लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA
DEBATES

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 4-1-84
Parliament Library

चतुर्थ माला
Fourth Series

खंड 4, 1967 / 1889 (शक)
Volume (IV), 1967/1889 (Saka)

[6 जून से 19 जून, 1967 / 16 ज्येष्ठ से 30 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]
[June 6 to June 19, 1967/ Jyaistha 16 to Jyaistha 30, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)
(Volume (IV) Contains Nos. 11 to 20)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

2663

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 12 बुधवार, 7 जून, 1967/17 ज्येष्ठ 1889 (शक)

No. 12–Wednesday, June 7, 1967/Jyaistha 17, 1889 (Saka)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण/MEMBER SWORN

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या / S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
331. शिक्षा संस्थाओं के साम्प्रदायिक नाम	Communal Names of Educational Institutions	1481–1485
334. तीरप डिविजन में नागाओं की गतिविधियां	Naga Activities in Tirap Division	1485–1488
335. मिजो लोगों का पूर्वी पाकिस्तान चले जाना	Escape of Mizos	1488–1492
336. राजस्थान सीमा पर राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां	Anti National Activities on Rajasthan Border ..	1492–1494
337. पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ	Pak. Infiltration	1494–1495
अ. सू. प्रश्न S. N. Q.		
8. बिहार को बीज का धान दिया जाना	Supply of Paddy Seeds to Bihar ..	1495–1500

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

332. सेवानिवृत्त इन्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी नौकरी स्वीकार करना	Taking up of Private Employment by Retired I. C. S. Officers	1500–1501
333. राज्यपालों के कृत्यों के बारे में आयोग	Commission on Functions of Governors ..	1501
338. बोनस के बारे में त्रिपक्षीय समिति	Tripurtite Committee on Bonus ..	1501
339. शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति	Parliamentary Committee on Education ..	1501–1502
340. हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	Hindi knowing Employees ..	1502

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या / S. Q. N.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
341.	मिजो पहाड़ी समस्या	Mizo Hills Problem ..	1502–1503
342.	एसोसियेटिक सीमेंट कम्पनियों द्वारा बोनस की अदायगी	Payment of bonus by associated Cement Companies	1503
343.	दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारी	Dandakaranya Project Employees	1503–1504
344.	मजूरी बोर्ड	Wage Board ..	1504
345.	दूसरी भाषा के रूप में उर्दू	Urdu as Second Language ..	1504–1505
346.	भारतीय हॉकी टीम का कार्यक्रम	Indian Hockey Team Fixtures	1505
347.	इंजीनियरी उद्योग के लिए मंजूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industry	1505–1506
348.	राज्यपालों के मार्गदर्शनार्थ सिद्धान्त	Guidelines to Governors	1506
349.	उपकुलपतियों की नियुक्ति	Appointments of Vice-Chancellors..	1506
350.	परीक्षा पद्धति में सुधार	Reforms in Examination System ..	1506–1507
351.	इण्डियन स्कूल ऑफ इन्टरनेशनल स्टडीज	Indian School of International Studies	1507
352.	हिन्दी टेलीप्रिंटर	Hindi Teleprinters ..	1507–1508
353.	नागा तथा मिजो विद्रोहियों द्वारा अपहरण	Kidnapping by Naga & Mizo Hostiles	1508
354.	हरियाणा के कालिजों के प्राध्यापकों के वेतन मान	Pay Scales of Haryana College Teachers	1508
355.	गैर-सरकारी ठेकेदारों के अधीन मजदूर	Labourers Under Private Contractors	1508–1509
356.	रिक्शा चलाना	Rickshaw Pulling	1509
357.	नई भर्ती पर प्रतिबन्ध	Ban on Fresh Recruitment	1509–1510
358.	बेरूबाड़ी पर पूर्वी पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण	East Pakistan Raid on Berubari ..	1510
359.	सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटे	Working Hours of Government Servants ..	1510 1511
360.	दिल्ली नगर निगम के लिए धन	Funds for Delhi Municipal Corporation ..	1511

अता. प्र. संख्या U S. Q. Nos.			
1640.	हरियाणा राज्य में टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन	Telephone Exchanges and Public call Offices in Haryana State	1511-1512
1641.	सीधी टेलीफोन सेवा	Direct Telephone Service	1512
1642.	मंत्रियों पर खर्च	Expenditure on Ministers	1512
1643.	केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती	Recruitment in Central Services ..	1512-1513
1644.	दिल्ली में राजनीतिक पीडित लोग	Political Sufferers in Delhi	1513
1645.	भारत में विदेशी विद्यार्थी	Foreign Students in India	1513-1514
1646.	भारतीय वैज्ञानिक	Indian Scientists ..	1514-1515
1647.	इटारसी टेलीफोन एक्सचेन्ज	Itarsi Telephone Exchange	1515
1648.	राष्ट्रीय प्रयोगशालायें	National Laboratories	1516
1649.	दिल्ली में धर्मपुरा में मकान का गिरना	Collapse of House in Dharampura, Delhi ..	1516
1650.	गिरजाघरों द्वारा मध्यस्थता करने की पेशकश	Mediation offer by churches	1517
1651.	ब्रिटेन द्वारा दी गई उपाधियां	Titles conferred by British ..	1517
1652.	बरेली में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchange, Bareilly ..	1518
1653.	श्रम न्यायाधिकरणों के पंचाट	Awards of Labour Tribunals	1518
1654.	मजूरी में उत्पादन–शक्ति के अनुपात में वृद्धि	Increase in proportion of Labour Productivity	1518-1519
1655.	बिहार में टेलीफोन	Pending Telephone Connections in Bihar ..	1519
1656.	"ए रिपोर्ट आन दि काश्मीर प्राबलम" पुस्तिका	Booklet "A Report on the Kashmir Problem."	1519-1520
1657.	पंजाब तथा हरियाणा में अभिरक्षकाधीन भूमि का बेचा जाना	Sale of Custodian Land in Punjab and Haryana	1520-1521
1658.	दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण	Dandakaranya Development Authority	1521-1522

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1659. मध्यनिषेध तथा लगान की समाप्ति	Abolition of Prohibition and land Revenue	1522
1660. मिजो विद्रोहियों की गिरफ्तारी तथा मिजो विद्रोहियों द्वारा अफसरों की गिरफ्तारी	Arrest of Mizos and arrest of Officers by Mizos	1522–1523
1661. एमर्जेन्सी कमीशन अफसर	Emergency Commissioned Officers	1523–1524
1662. रेडियो लाइसेंस	Licences for Radio Sets	1524
1663. प्रगतिशील छात्र संघ, पटना द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Progressive Students Union Patna	1524
1664. राज्यों से लोगों का निकाला जाना	Externment of persons from states	1524
1665. राजनयिकों द्वारा दिये गये भोजों में भाग लेने संबंधी नियम	Regulation regarding Attendance of Lunches by Diplomats	1525
1666. राष्ट्रीय छात्र सेना दल योजना	N. C. C. Scheme	1525
1667. भारत रक्षा नियम	Defence of India Rules	1526
1668. चीनी मिलों में जबरी छुट्टी	Lay off in sugar Mills	1526-1527
1669. हिन्दी स्टेनोग्राफरों का संवर्ग	Hindi Stenographers' Cadre	1527
1671. क्रिकेट मैच के संबंध में सेन आयोग	Sen Commission of Enquiry on Cricket Match	1527
1672. स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा	Science Education in Schools ...	1528
1673. दिल्ली के मुकदमे में फैसला	Delhi Judgement Case ..	1528–1529
1674. अनुसचिवीय कर्मचारी	Ministerial Staff	1529
1675. दिल्ली और नरेला के बीच टेलीफोन व्यवस्था	Delhi Narela Telephone Link	1529–1530
1676. साहित्य अकादमी	Sahitya Akademi	1530
1677. रूस में प्रकाशित भारतीय लेखकों की पुस्तकें	Books of Indian Authors Published in USSR	1530
1678. श्रीलंका से स्वदेश लौटे हुए व्यक्ति	Repatriates from Ceylon	1530–1531
1679. दिल्ली पुलिस	Delhi Police	1531–1532

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

1680. सरकारी उपक्रमों के लिये पृथक लोक सेवा आयोग	Separate Public Service commission for Public Sector undertakings	1532
1681. चण्डीगढ़ कालेज के प्राध्यापकों के वेतन मान	Pay scales of Chandigarh College Teachers...	1532
1682. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति पर हमला	Attack on Vice-Chancellor of Aligarh Muslim University	1532-1533
1683. दिल्ली में सेवा के लिए मध्य प्रदेश पुलिस का बुलाया जाना	Requisitioning of Madhya pradesh Police for service in Delhi	1533
1684. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में परिवर्तन	Changes made in C. S. I. R. ...	1533
1685. हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देना	Statehood for Himachal pradesh	1533-1534
1686. मध्य प्रदेश में अवशेषों (एंटीक्विटीज) की चोरी	Theft of antiquities in Madhya Pradesh ..	1534
1687. केन्द्र और राज्य सरकारों के परस्पर सम्बन्ध	Centre States Relations	1534-1535
1688. भारत और भूटान के बीच डाक सम्बन्धी करार	India-Bhutan postal Agreement ...	1535
1689. कोयला खानों में लाभांश बोनस	Profit sharing bonus in coal mines	1535
1690. जनगणना के आंकड़े	Census Figures	1536
1691. असिस्टेन्ट और अपर डिविजन क्लर्क	Assistants and upper division clerks ..	1536
1692. अराजपत्रित कर्मचारियों को विशेष भत्ते	Special allowances to non-gazetted Employees	1536-1537
1693. जनता से प्राप्त हुए सुझाव	Suggestions received from public ...	1537
1694. प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी	Employees on Deputation	1537

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

U.S.Q. No.	विषय	Subject	Pages
1695.	झरिया में खनन कार्य	Mining operations in Jharia	1537-1538
1696.	विभाजन कार्यान्वयन समिति का प्रतिवेदन	Partition Implementation Committee's Report	1538-1539
1697.	रणजीतपुरा (राजस्थान) के निकट मार्टर गोले का विस्फोट	Mortar Shell Explosion near Ranjitpura (Rajasthan)	1539
1698.	दक्षिणी अफ्रिका की जाति भेद की नीति	South Africa's Apartheid policy ..	1539-1540
1699.	लोह-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि	Iron ore Mines Labour Welfare Fund	1540
1700.	मिजो पहाड़ियों को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा देना	Status of Union Territory to Mizo Hills ..	1540
1701.	लोक कथाओं का संरक्षण	Preservation of Folk-Lores	1540-1541
1702.	शहीदों की समाधियां	Samadhis of Martyrs	1541
1703.	गंगानगर जिले में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई	Archaeological Excavations in Ganganagar District	1541-1542
1704.	निजी थैलियां	Privy Purses ...	1542
1705.	ताजमहल	Taj Mahal ..	1542
1706.	डा. जोशी की हत्या के मामले से सम्बन्धित फाइल का गुम होना	Missing File regarding Dr. Joshi's Murder Case	1542-1543
1707.	अहमदाबाद डाक घर	Ahmedabad Post Office	1543
1708.	दिल्ली में हडसन् लाइन्स तथा आउटरम लाइन्स के क्वार्टर	Quarters at Hudson Lines and Outram Lines Delhi	1543
1709.	कार्यालयों का नागपुर ले जाया जाना	Shifting of Officer to Nagpus	1543-1544
1710.	निर्वाह व्यय का देशनांक	Cost of Living Index ..	1544
1711.	उड़ीसा में बकाया टेलीफोन आय	Outstanding Telephone Revenue in Orissa ...	1544-1545
1712.	उड़ीसा में डाक व्यवस्था	Postal Services in Orissa	1545
1713.	पुनर्वास उद्योग निगम	Rehabilitation Industries Corporation	1545
1714.	सी.आई.ए. द्वारा नाविक संघ को सहायता	C. I. A. help to Seamen's Union	1545-1546

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

1715. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम	Aligarh Muslim University Act	1546
1716. राजस्थान में पंचायत समितियों के कार्यालय	Panchayat Samiti Officers in Rajasthan ..	1546–1547
1717. राजस्थान में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for P&T Employees in Rajasthan ..	1547
1718. राजस्थान में डाक घर	Post Offices in Rajasthan ..	1548
1719. राजस्थान में टेलीफोन लगाना	Telephone Connections in Rajasthan	1548
1720. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में छंटनी	Retrenchment in CSIR	1548–1549
1721. बढ़ने वाले सावधिक जमा खाते	Cumulative Time Deposit Accounts	1549
1722. उड़ीसा तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा विवाद	Boundary Disputes between Orissa and Bihar	1549-1550
1723. टेलीफोन आपरेटरों द्वारा अभिवादन	Greetings by Telephone Operators	1550
1724. राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये प्रतिमायें	Images for National Museum	1550
1725. स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें	School Text Books	1550 1551
1726. गांवों में डाकघर	Post Offices in Villages	1551
1727. पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को मेरठ में बसाना	Rehabilitation of displaced persons from East Pakistan in Meerut ...	1551–1552
1728. हस्तिनापुर का विकास तथा प्रबन्ध	Development and management of Hastinapur	1552-1553
1729. मिजो विद्रोहियों से हथियारों का पकड़ा जाना	Arms Recovered from Mizos	1553
1730. हिमाचल प्रदेश के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय का बैंच	Delhi High Court Bench for Himachal Pradesh	1553

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

1731. महानगर परिषद्, दिल्ली	Metropolitan Council, Delhi	1553–1554
1732. बड़ा डाक घर, भुवनेश्वर	G. P. O. Bhubaneswar	1554–1555
1733. भुवनेश्वर के बड़े डाक घर में कार्य भारित कर्मचारी	Work charged staff at G. P. O. Bhubaneswar	1555–1556
1734. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्धी भारतीय स्कूल	Indian School of International Studies	1556
1735. उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए सहायता	Assistance for Cultural Centres in U. P. ...	1556
1736. विश्वविद्यालयों में परा-मर्शदान केन्द्र	Counselling Centres at Uuiversities	1557
1737. भारतीय प्रशासन सेवा का प्रशिक्षण	I. A. S. Training	1557–1558
1738. जमशेदपुर में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनु-संधान परिषद् के क्वार्टरों का अलाटमेंट	Allotment of C. S. I. R. Accommodation in Jamshedpur	1558
1739. खानों में दुर्घटनायें	Accidents in Mines	1559
1740. लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीपों के कर्मचारी	Emplopees in Laccadive, Minicoy and Aminidive Islands	1559
1741. तेलीचेरी मुख्य डाक घर	Tellicherry Head Post Office ..	1559–1560
1742. भारतीय इंजीनियर सेवा	Indian Service of Engineers	1560–1561
1743. अन्दमान द्वीप समूह के पुलिस कर्मचारी	Police Force, Andama	1561
1744. अन्दमान के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Andaman Officers	1561–1562
1745 मई, 1967 में मिजो विद्रोहियों द्वारा आक्रमण	Attack by Mizos in May, 1967	1562
1746 सशस्त्र लोगों को वापिस बुलाने का नागाओं का प्रस्ताव	Offer of Withdrawal by Nagas	1562

अता. प्र. संख्या./U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1747	मिडिल अन्दमान में बेतपुर पिचर नाला फार्म	Betapur pitcher Nalla Farm in Middle Andaman	1562-1563
1748	स्मारकों के दर्शकों से लिया जाने वाला शुल्क	Fees charged from Visitors to Monuments...	1563
1749	भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय के अधिकारी	I. A. S., I. P. S. and Central Secretariat Officers	1563-1564
1750	कोयला-खान भविष्य निधि	Coal Mines Provident Fund	1564
1752	खनिकों के शिविर और होस्टल	Miners' Camps and Hostels	1564-1565
1753	कोयला खानों में दुर्घटनाएँ	Accidents in Coal Mines ...	1565-1566
1754	कोयला खानों में लाभांश बोनस	Profit sharing bonus in coal mines	1566-1567
1755	महाजन सीमा आयोग	Mahajan boundary commission ...	1567
1756	अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा योजना	Compulsory National Service Scheme	1567-1568
1757	संसद सदस्यों के निवास-स्थानों में चोरियां	Thefts in M. P's. Residence	1568-1569
1758	पुनर्वास बस्तियां	Rehabilitation Settlements	1569-1570
1759	औद्योगिक संस्थानों में उचित मूल्य वाली दूकानें	Fair Price Shops in Industrial Establihments	1570
1760	अकुशल तथा खेतिहर मजदूरों के लिये रोजगार	Employment for Unskilled and Agricultural Labour	1571
1761	विशाल हरियाणा	Vishal Haryana ...	1571
1762	पुनर्वास मंत्रियों का सम्मेलन	Rehabilitation Ministers' Conference	1571-1572
1763	काँगड़ा जिले में डाकघर	Post Offices in Kangra District ...	1572
1764	मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण	Pay Revision of Manipur Government Employees	1573
1765	मनीपुर के स्कूलों को अनुदान	Grants to Manipur Schools ...	1573
1766	दिल्ली पुलिस का आंदोलन	Delhi Police Agitation	1573-1574

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1767	अध्यापकों की सेवा निवृत्ति की आयु	Retiring Age of Teachers	1574
1768	मनीपुर को राज्य का दर्जा देना	Statehood for Manipur	1574
1769	लोअर डिवीजन क्लर्क / अपर डिवीजन क्लर्क/ असिस्टेंट की सेवाओं का केन्द्रीकरण	Centralisation of Services of L.D.C's/ U.D. C's/Assistants	1574–1575
1770	दिल्ली न्यायिक सेवा	Delhi Judicial Service	1575–1576
1771	आयल इंडिया कम्पनी के तेल शोधक कारखानों में श्रमिक संघ	Labour Unions in Oil India Refineries	1576
1772	गाजीपुर का मुख्य डाकघर	Ghazipur Head Post Office	1576
1773	भारत में ईसाई धर्मप्रचारक	Christian Missionaries in India ...	1576–1577
1774	आसाम में केन्द्रीय स्कूल	Central Schools in Assam	1577
1775	मैसूर के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of Primary Teachers of Mysore	1577–1578
1776	मध्य प्रदेश में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Madhya Pradesh	1578–1579
1777	उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा	Girls' Education in Orissa	1579
1778	उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों की इमारतें	Primary School Buildings in Orissa	1579
1779	उड़ीसा में शिक्षा योजनायें	Education Schemes in Orissa	1579–1580
1780	विदेशों को भेंट की गई पुस्तकें	Books Presented to Foreign Countries	1580
1781	हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्त अधिकारी	Officers on deputation in Himachal Pradesh ...	1580–1581
1782	दिल्ली–मद्रास टेलीफोन लाइन	Delhi-Madras Telephone Line	1581
1783	डाकघरों में रजिस्ट्रियां	Registration in Post-Offices	1581–1582
1784	पुरानी मूर्तियों की चोरी	Theft of Ancient Idols	1582
1785	निःशुल्क उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	Free Higher Seondary Education	1582–1583

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1786	राज्य चिन्ह	State Symbol	1583
1787	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में निशुल्क शिक्षा	Free Education in Eastern Districts of U. P.	1583
1788	नेफा की तलहटी में प्राचीन नगर	Ancient City at NEFA Foothills	1583
1790	नेहरू संग्रहालय से वस्तुओं की चोरी	Theft of articles from Nehru Museum	1584
1791	बम्बई का टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange, Bombay	1584
1792	डयूलबेरा कोयला खान में हड़ताल	Strike in Deulberd Colliery ...	1585
	स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices (Query)	1585
	'हिन्दुस्तान टाइम्स' के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against the 'Hindustan Times'	1586–1587
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1587
	ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re-Calling Attention Notices (Query)	1587–1588
	सभापटल पर रखे गये पत्र (जारी)	Papers Laid on the Table (Contd.)	1588-1589
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	1589
	तीसरा प्रतिवेदन	Third Report ..	1589
	समितियों के लिये निर्वाचन	Elections to Committees	
	(1) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	(i) Central Advisory Board of Education;...	1590
	(2) भारतीय विज्ञान संस्था बैंगलोर	Council of the Institute of Science, Bangalore	1590
	सामान्य आय-व्ययक 1967–68 सामान्य चर्चा (जारी)	General Budget 1967–68 General Discussion. (Contd)	1590–1600
	श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	
	डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	
	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी — Shri Surendranath Dwivedy

श्री राम किशन — Shri Ram Kishan

श्री अमियनाथ बोस — Shri Amiyanath Bose

श्री रणधीर सिंह — Shri Randhir Singh

राष्ट्रीय खाद्य बजट के बारे में आधे घंटे की चर्चा — Half-an-hour Discussion re: National Food Budget 1600-1602

श्री मधु लिमये — Shri Madhu Limaya

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी — Shri S. S. Kothari

श्री नायनार — Shri E. K. Nayanar

श्री स्कवीरा — Shri Sequeira

श्री अन्नासाहिब शिन्दे — Shri Annasahib Shinde

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 7 जून, 1967/17, ज्येष्ठ 1889 (शक)
Wednesday, June 7, 1967/*Jyaistha* 17, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

(सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण)
(Member Sworn)

श्री विक्रम चन्द (चम्बा*) [अंग्रेजी]
Shri Vikram Chand (Chamba)

प्रश्न के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Communal Names of Educational Institutions

*331 **Shri O. P. TYAGI** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether in view of the secular policy of Government his Ministry propose to take steps to ensure that so long as the educational institutions do not change their communal names, they would not be able to receive grants from Government; and

(b) whether his Ministry propose to issue a directive to the State Governments to this effect ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) ; (a) and (b) : No, Sir. Any policy to be laid down in the matter by Central or State Governments has to be in conformity with the relevant Articles of the Constitution.

Shri O.P. Tyagi : Despite the fact that Government has affirmed time and again that casteism, provincialism and communalism are stumbling blocks in the way of countrys' progress, what we see in practice is just the contrary. Uttar Pradesh has taken

* "सदस्य के नाम के आगे दी गई भाषा इस बात की द्योतक है कि सदस्य ने उसी भाषा में शपथ ली थी।"

"The language shown against the name of a member indicates that he took oath in that language".

some steps in this direction. What are the reasons for the Central Government not imposing restrictions on the institutions which propagate communalism and casteism that they will not be granted funds unless they dropped their communal nomenclatures ? While the State Governments are following it. Why the Central Government does not follow it ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I want to draw the attention of the hon. Member to Articles 25 and 30 of the Constitution.

Article 25 says :

"all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion."

The Article 30 says :

"All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

We made an effort but the law experts are of the view that so long as these Articles are there, this amendment cannot be made.

Shri Madhu Limaye : Sir I rise on a point of order. The hon. Minister wants to mislead the house. The Articles of the Constitution quoted by him have no relevance here, The question is not to impose legal sanctions on the communal organisations, The question is when ours' is a secular state why grants are given by Governments to communal and religious institutions ? This specific question should be answered.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना दूसरा प्रश्न पूछने दीजिये । वह स्वयं पूछ लेंगे ।

Shri Madhu Limaye : Sir, you should give your ruling. The hon. Members' question relates to the giving of grants. Ours is a secular state. Now you tell us which Article comes in the way of imposing restrictions. Hence, that is a misstatement. If he does not want to do it, he should straight way say that he has not the courage and will to do it, but why does he mislead the House like this ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It has become the habit of the hon. Member to mislead and to misstate not mine.

Shri Madhu Limaye : It is your habit. You have effected this in the Banaras University.

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Member has not the courage. He is misleading the House, not I. Therefore, he should not talk of misleading. Sir, Article 30 of the Constitutions says :

"The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language".

Shri Madhu Limaye : The matter is quite clear. This is with regard to discrimination between the institutions.

Shri Bhagwat Jha Azad : So long as this Article of the Constitution is there, we cannot drop the appelation of any University.

You might recall that the amendment to the Hindu University Bill was opposed by both the Houses. I again emphasise this point that the Article of the Constitution comes in its way.

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order. I want reply from you and not the Minister. The Article which we read out relates to discrimination. The question of the hon. Member was whether Government would stop giving grants to the institutions having communal nomenclatures. Therefore, the hon. Minister should either speak after consulting the Law Minister or remain silent. Sir, you should give your ruling on my point of order.

अध्यक्ष महोदय : यहां पर क्या व्यवस्था है ? यदि प्रश्नकर्त्ता उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो उसे कहना चाहिये कि वह किस पहलू का स्पष्टीकरण चाहता है ।

Shri A. B. Vajpayee : Sir, you should allow half an hour discussion on this question whether this constitution comes in the way or not. This cannot be decided in the question hour.

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिये पूछ सकते हैं । प्रश्न जारी रहने दीजिये । अब आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister can have his say. The constitution does not come in the way.

Shri O. P. Tyagi : Neither any citizen of India can disregard our fundamental principles nor can the Government encourage it. Just now the hon. Minister referred to certain Articles of the Constitution and said that Government can impose the condition on the Government aided schools that if they imparted religious education their grants would be stopped because it encourages communalism. If the Government can do this why it cannot impose restriction on having communal names ?

Shri Bhagwat Jha Azad ; Sir, we cannot do so as the provisions of the Constitution come in our way which is not so in the opinion of the hon. Member. We have consulted Law Department in this matter. They are of the view that we cannot do so. What can we do now ? Should we go by what the Law Ministry says or by what the hon. Member says ?

Shri Ram Sewak Yadav : The State Government might have taken this decision after having consultations. They are wiser than you.

Shri Bhagwat Jha Azad : I am talking of Central Government.

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वह इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर न दें ।

श्री अंबा जागन : क्या सरकार ऐसे संस्थानों को अनुदान न देने पर विचार करेगी जो किसी समुदाय के पीछे अपना नाम रखते हैं और जो किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में नहीं आते ?

श्री भागवत झा आजाद : यह एक कल्पित प्रश्न है । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम एसे संस्थानों का अनुदान बन्द नहीं कर सकते हैं जिनके नाम हिन्दू या मुस्लिम या ईसाई या इस प्रकार के शब्दों से आरम्भ होते हैं क्योंकि अनुच्छेद 30 (2) कहना है कि हम किसी भी शिक्षा संस्थान को अनुदान देने में भेदभाव नहीं कर सकते हैं । विधि मंत्रालय की राय हमने पहले ही जान ली है और यही कारण है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ।

श्री अंबाजागन : सरकार ने यह सिद्धान्त अपनाया है कि सरकार अल्पसंख्यकों के धार्मिक या भाषाई नामों वाले संस्थानों को अनुदान दे सकती है । परन्तु अन्य प्रकार के संस्थानों के बारे में, जिनका नाम किस समुदाय या जाति के नाम पर रखा जाता है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन संस्थानों को अनुदान बन्द करने पर विचार करेगी ?

श्री भागवत झा आजाद : यह उन संस्थानों पर निर्भर है जो माननीय सदस्य के दिमाग में हैं । मैं केवल यह ही कह सकता हूं कि नामों के आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा । जहां तक उन संस्थानों का सम्बन्ध है जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है हम प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की जाँच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उनके बारे में क्या किया जा सकता है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : किसी शिक्षा संस्थान के नाम से 'हिन्दू' 'मुस्लिम' या 'ईसाई' शब्द को हटा देने से कुछ नहीं होता, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अब तक किये गये ऐसे प्रयासों से साम्प्रदायिक भावना घटी है या बढ़ी है । जब अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में प्रश्न उठा था तो राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था या इसका समर्थन किया था ।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने पहले बताया ऐसा प्रयास किया गया था, और हम इस सभा में और दूसरी सभा में एक विधेयक लाये थे । विधेयक एक संयुक्त समिति को भेजा गया था । जब राज्यसभा में इस विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, चर्चा की गई थी, तो राज्य सभा ने इसका नाम बदल कर काशी विश्वविद्यालय कर दिया । परन्तु वह भी लोकसभा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था । यह एक उदाहरण है । दूसरी बार दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक 1964 के प्रारूप पर सहमति प्रकट नहीं की गई थी । इस सभा में पुरःस्थापित विधेयक में हमने कहा था कि हमें किसी जाति या वर्ग के आधार पर स्कूल का नाम नहीं रखना चाहिए । तथापि, विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति ने इस उपबन्ध को हटाने के लिये एक सरकारी संशोधन स्वीकार कर लिया क्योंकि इसको संवैधानिक नहीं समझा गया था ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : धार्मिक तथा सामुदायिक संस्थानों में भेद किया गया है । सभी शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों से अपेक्षित नहीं है कि उन्हें अपने समुदाय का नाम बताना अपेक्षित नहीं है जैसे कि खम्मा, रेड्डी आदि । इसी प्रकार संस्थानों के नामों से खम्मा, रेड्डी जैसे शब्दों को हटाने में और ऐसे संस्थानों का अनुदान बन्द करने से माननीय मंत्री को क्या चीज रोकती है ?

श्री तेनेट्टि विश्वनाथन : माननीय मंत्री कह रहे थे कि उन्होंने वैधिक राय प्राप्त की है । क्या वह उसकी एक प्रति सभापटल पर रख सकते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : जी हां, रख सकते हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : The Article quoted by the hon. Member specifically names language and religion. The decision taken by U. P. Government does not apply to any religious institution but to those institutions which are named after castes and sub-castes. I think the Constitution does not come in the way in that perspective, otherwise it will not have been possible for the U. P. Government to take that decision. Will Government consider to impose certain restrictions on the institutions sponsored by it and having names of castes or sub-castes as their appelations ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Just now in reply to a question I had stated that I have expressed the Governments' stand in principle. But if there is anything expressly contrary to the principles that can, of course, be considered.

Shrimati Savitri Shyam : During the last general elections these educational institutions had taken an active part which generated communal disharmony on a limited scale if not on a large scale. It was said just now that Constitution comes in our way. May I know whether Government have considered or will consider to amend the Constitution in order to drop such nomenclatures ?

Shri Bhagwat Jha Azad : This is a suggestion for action.

Shri Ram Sewak Yadav : Is it not a fact that various educational institutions with communal names being run at present in our country explain to a large extent the mutual hatred among the different communities and the prevailling atmosphere of communalism, if so, whether Government propose to abolish such names in keeping with the spirit of the Constitution and our avowed faith in secularism ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I have answered it. The hon. Member is putting the same question in different words. I have already mentioned the difficulties presently faced by us. The hon. Members did not support the bills brought forward in this House and in the other House. Now we will have to mobilise public opinion for this and this requires a concerted effort by us all.

तीरप डिवीजन में नागाओं की गतिविधियां

*334. **श्री बलराज मधोक :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागा सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के लिये नेफा के तीरप डिवीजन में अपने आदिम-जाति लोगों से मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उस क्षेत्र में ऐसे विद्रोह को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हमें तीरप के आदिम जाति लोगों को नागा विद्रोहियों के प्रभाव में लाने के प्रयत्नों का ज्ञान है।

(ख) नागा विद्रोहियों के तीरप में घुसपैठ के प्रयत्नों को रोकने के लिये उचित उपाय किये गये हैं।

श्री बलराज मधोक : इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण का तीरप सब-डिवीजन भारत-बर्मा तथा तिब्बत की सीमायें जहां मिलती हैं, वहां पर है और चीनी वहां के निवासियों में लगातार यह प्रचार करते आ रहे हैं कि उनकी मुख आकृति के कारण वे मंगोलिया के लोगों से मिलते-जुलते हैं और इस प्रकार वे भारतीयों की बजाय चीनियों के अधिक निकट हैं तथा समतल क्षेत्र के किसी भारतीय को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती, क्या चीनियों को उस क्षेत्र के लोगों की भारत के प्रति निष्ठा के साथ खिलवाड़ करने का अवसर नहीं मिलता ? यदि हां, तो सरकार ऐसी बातों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सच नहीं है कि नागा तथा चीनी वहां के लोगों की भारत के प्रति निष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे वहां अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे हैं परन्तु हमने इसे रोकने के लिये विभिन्न कार्यविधियां की हैं और इसमें हम काफी सफल हुये हैं।

श्री बलराज मधोक : यह बात सभी को मालूम है कि चीनी उस क्षेत्र में आये, वहां बहुत समय तक रहे और फिर चले गये। हमारी सुरक्षा सेना तथा गृह-कार्य मंत्रालय के अधिकारी वहां क्या करते रहे हैं ? क्या वे इस बात का पता नहीं लगा सकते थे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वहां कोई चीनी नहीं आये।

Shri A. B. Vajpayee : An news item appeared in the newspapers a few days ago that a few Chinese came in Tirap division, stayed there for a few day and then went back. This news item was circulated through Press Trust of India. I would like to know whether the Ministry of Home Affairs have tried to ascertain the source of the news from Press Trust of India.

Shri Vidya Charan Shukla : We have enquired about this matter from the local administration and we are in a position to say that there is no truth in the news. We would certainly enquire about the source of the news.

श्री रा० बरुआ : उत्तर से यह मालूम होता है कि उस क्षेत्र में नागा सक्रिय है। क्या नागा स्वयं वहां कार्य कर रहे हैं अथवा उस क्षेत्र के कुछ लोगों का अपने प्रयोजन के लिये प्रयोग कर रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ नागा निकटवर्ती नागालैण्ड के क्षेत्र से आते हैं, हमने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया है और अब हम ऐसा करने में सफल हो गये हैं। हम उन्हें वहां जाने और वहां के लोगों की भारत के प्रति निष्ठा में गड़बड़ करने की अनुमति नहीं देते।

श्री हेम बरुआ : नागा विद्रोही न केवल उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के तीरप डिवीजन के आदिवासियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं, अपितु यह भी मालूम हुआ है कि वे ऊपरी बर्मा के करेन लोगों के सहयोग से ऊपरी बर्मा, नागालैण्ड, मनीपुर तथा आसाम में रह रहे नागाओं का एक स्वतन्त्र ईसाई गणराज्य स्थापित करने के उद्देश्य से उनके साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। वैदेशिक कार्य मंत्रालय, जिसका नागालैण्ड सम्बन्धी मामलों पर सर्वोपरि नियंत्रण है केवल नाममात्र सम्पर्क रखती है और गृह कार्य मंत्रालय ही वहां पर शान्ति तथा सुरक्षा के लिये उत्तरदायी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि गृहमंत्री ने उस बात के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये हैं कि विद्रोही नागा देश के उस भाग के शान्तिपूर्ण वातावरण तथा विधि और व्यवस्था को भंग न करें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि हमने उन्हें रोकने के लिये उपाय किये हैं और ऐसा करने में सफल हुये हैं। हम उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के तीरप सब डिवीजन में नागा विद्रोहियों का प्रभाव सीमित करने में सफल हुये हैं। वे वहां के आदिवासियों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न स्वतन्त्र ईसाई गणराज्य के सम्बन्ध में था ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध तीरप सब डिवीजन में नागा विद्रोहियों से है, यदि माननीय सदस्य इस बारे में पृथक प्रश्न की सूचना दें तो हम अवश्य इस पर ध्यान देंगे ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में एक चीनी स्त्री चीन के आक्रमण से पहले आई और वहां के एक आदिवासी के साथ विवाह करने के पश्चात वहीं रहने लगी है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य अक्टूबर, 1962 से पहले हुई किसी बात का उल्लेख कर रहे हैं । मुझे इस समय किसी ऐसी बात की जानकारी नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : यह बात सभा में स्वीकार की गई थी ।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know the steps taken by the Government to prevent the Nagas from going to Burma and China ? Is the Government aware that a few christian missionaries, some of whom are foreigners, are creating mischief ? If so, the action taken by Government in regard thereto ?

Shri Vidya Charan Shukla : The matters relating to Nagaland are the responsibility of Ministry of Defence and External Affairs. The question of Tirap sub-division comes under Ministry of Home Affairs. We have taken certain measures to check them from going to Burma and China via Tirap sub-division.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि वे उपाय क्या हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने अधिक निगरानी की चौकियां स्थापित की हैं और गश्त बढ़ा दिये गये हैं । हमने कुछ अन्य उपाय भी किये हैं जिनके बारे में सभा में बताया नहीं जा सकता क्योंकि विद्रोही उसका लाभ उठायेंगे ।

श्री कंवर लाल गुप्त : ईसाई पादरियों के बारे में नहीं बताया गया है ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि क्या उनमें से कुछ लोग उत्तरी बर्मा अथवा चीन जाते हैं ? उत्तरी बर्मा में कुछ ईसाई आदिम जातियां हैं । उनमें कुछ ईसाई पादरी भी हैं । उस सम्बन्ध में तो मैं कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता कि वहां उनकी सरकार का आदेश चलता है परन्तु यह बात निश्चित है कि नागालैण्ड में कुछ लोग उत्तरी बर्मा में घुसपैठ करने और वहां ईसाई समुदाय के साथ सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मेरे विचार में वहां कुछ विदेशी पादरी कार्य कर रहे हैं, परन्तु मैं निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं माननीय राज्य मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि उनकी उस सूचना का आधार क्या है कि उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में कोई चीनी नहीं है ? क्या ऐसा केवल गृह मंत्रालय की गुप्त सूचना के आधार पर ही किया गया है अथवा मंत्री महोदय ने सैनिकों आदि से भी उसका पता लगाने का प्रयत्न किया है ? उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में विद्रोही कार्यवाहियों के दौरान हमें मालूम हुआ है कि हमारी गुप्त सूचना बुरी तरह असफल रही है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम सैनिक साधनों तथा गुप्त सूचना के साधनों दोनों से ही अपनी सूचना का आधार बनाते हैं। यह वक्तव्य बिल्कुल उचित सूचना पर आधारित है। 1962 से पहले की घटनाओं को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने उनसे शिक्षा ग्रहण कर ली है, यद्यपि यह शिक्षा हमें बहुत मंहगी पड़ी है।

मिजो लोगों का पूर्वी पाकिस्तान चले जाना

*335. **श्री स्वैल** :
श्री किंकर सिंह :
श्री कोलाई बरुआ :
डा० कर्णी सिंह
श्री हेमराज :
श्री शारदा नन्द :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में कितने मिजो लोग पूर्वी माकिस्तान चले गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अथवा उत्तर क्या है; और

(घ) मिजो लोगों को पूर्वी पाकिस्तान जाने से रोकने के हेतु सीमा को बन्द करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हमारी सूचना के अनुसार मिजो विद्रोहियों का कुछ समय से पाकिस्तान के साथ सम्पर्क रहा है, किन्तु उन विद्रोहियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है जो पिछले छः महीनों में पाकिस्तान में प्रविष्ट हुए।

(ख) और (ग) पाकिस्तान सरकार को अनेक विरोध-पत्र, मिजो विद्रोहियों को उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं बन्द करने की मांग करते हुए, दिये गए, किन्तु पाकिस्तान सरकार ने सदा ही इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने किसी भी प्रकार की सहायता दी है।

(घ) प्रतिरक्षा सेनाएं मिजो विद्रोहियों की गतिविधियां रोकने के लिये नागरिक प्राधिकारियों की सहायता करती रहीं।

श्री स्वैल : मिजो विद्रोह एक वर्ष से अधिक समय से चल रहा है। समय समय पर सरकार यह वक्तव्य देती रहती है कि विद्रोह समाप्त हो रहा है। नवीनतम दुर्घटना 23 मई को हुई थी जब सिलचर-एजल सड़क पर घात लगा कर हमला किया गया। यह सड़क समूचे जिले के लिये संचार की मुख्य लाइन है। इसमें हमारे 16 देशवासियों की मृत्यु हो गई थी। इससे यह मालूम होता है कि विद्रोह के शिथिल पड़ जाने की बात तो दूर रही, उसे अधिक शक्ति प्राप्त हो रही है। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि मिजोओ को पड़ोसी देशों से शस्त्र, गोलाबारूद तथा अन्य सहायता मिल रही है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : छिप कर हमला करने की एक घटना हुई थी जिसमें हमारे कुछ व्यक्ति मारे गये थे परन्तु शान्ति स्थापना के लिये की गई कार्यवाही में सफलता की तुलना में यह

घटना छुटपुट घटना है। इस सम्बन्ध में हमने बहुत अच्छी प्रगति की है। बहुत से मिजो विद्रोहियों ने अपने आपको हमारी सुरक्षा सेना के हवाले कर दिया है और हमने उनके कई महत्वपूर्ण व्यक्ति पकड़ लिये हैं। मिजो विद्रोहियों का अन्त करने के सम्बन्ध में हमारी प्रगति न्यूनाधिक सन्तोषजनक रही है।

श्री स्वैल : मंत्री महोदय का उत्तर सुनकर मुझे बहुत खेद हुआ है उन्होंने कहा है कि 23 मई की घटना छुटपुट घटना थी जबकि समाचारों से मालूम होता है कि यह घटना इस श्रृंखला में नवीनतम घटना है। सुरक्षा सेनाओं की शिकायत है कि सरकार हताहत व्यक्तियों सम्बन्धी ठीक आंकड़े नहीं देती है और इसका परिणाम यह होता है कि सुरक्षा सेनायें विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में बहुत हिचकिचाती हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मिजो ग्रामवासियों को 19 केन्द्रों में ले जाने और जिले के बहुत बड़े क्षेत्र को मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों के लिये खुला छोड़ देने की सरकार की नवीनतम नीति से हमें हानि नहीं हो रही है।

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय सदस्य यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ग्रामवासियों को एक स्थान पर लाने की योजना असफल रही है। इस प्रणाली से अवश्य ही हमें कुछ लाभ हुये हैं। अभी मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह पूर्णतया सफल हुई अथवा नहीं परन्तु इससे एक लाभ अवश्य हुआ है। मिजो विद्रोही इक्का-दुक्का बस्तियों का लाभ उठाकर लोगों को आतंकित किया करते थे और उनकी खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुयें छीन कर ले जाते थे यह वस्तुयें अब उन्हें नहीं दी जा रही हैं और उसके परिणामस्वरूप वे अब और निराश हो गये हैं।

मैं यह जानता हूँ कि छिप कर हमला करने की यह घटना ऐसी घटनाओं की श्रृंखला में से एक है। परन्तु छिप कर हमला करना अवश्य ही विद्रोह का एक हिस्सा है। इसे सहन करना ही पड़ता है। छिप कर हमला करने के परिणामस्वरूप कुछ जानें सामान्यत: चली जाती हैं। इस दुर्घटना में मरने वाले लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है परन्तु इस मामले में उनकी गलती थी। जहां छिप कर हमले का डर हो वहां ऐसे दस्ते को धीरे धीरे चलना चाहिये और पैदल चलना चाहिये। दुर्भाग्य से यह सभी लोग मोटर गाड़ियों में जा रहे थे, ऐसा करना स्थायी आदेशों के प्रतिकूल है। इसी के परिणामस्वरूप वे अपना जीवन खो बैठे।

हमने कभी आंकड़े छुपाने का प्रयत्न नहीं किया था। जहां कहीं आंकड़े देने आवश्यक हों, हम आंकड़े देते हैं। सभा में हम गलत आंकड़े नहीं दे सकते क्योंकि इसके लिए हमें पकड़ा जा सकता है।

डा० कर्णी सिंह : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि मिजोओं ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें चीन तथा पाकिस्तान से सहायता मिल रही है। क्या माननीय मंत्री को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि मिजोओं को चीन तथा पाकिस्तान से शस्त्र, गोलाबारूद तथा सैनिक प्रशिक्षण से कोई सहायता नहीं मिली है तथा इसमें पूर्वी यूरोपीय देशों का हाथ नहीं है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने कभी इस बात से इनकार नहीं किया है। पाकिस्तान उन्हें सहायता दे रहा है और वे पाकिस्तान से शस्त्र आदि प्राप्त कर रहे हैं, हमने ऐसा कई बार कहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बात नहीं है कि मिजोओं ने इस बात से इनकार किया है बल्कि मैंने कहा है कि पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने मिजोओं को कोई सहायता दी है।

श्री कर्णी सिंह : पूर्वी यूरोपीय देशों के बारे में मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या पूर्वी यूरोपीय देशों द्वारा कोई सहायता दी जा रही है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी नहीं।

श्री रणजीत सिंह : 1949 से अर्थात काश्मीर में युद्ध विराम के समय से सेना अधिकारी यह सिफारिश कर रहे हैं कि विद्रोहियों को सीमा के पार जाने अथवा अन्दर आने से रोकने का एक मात्र तरीका सीमा से ग्रामवासियों को दूर रखना है। हमने सदा इस देश में यह सुना है कि नागालैंड का क्षेत्र बहुत कठिन क्षेत्र है जिसका सैनिक शब्दों में अर्थ यह है कि वहां घने वन हैं, इसलिये वहां जनसंख्या रहित क्षेत्र स्थापित करने के लिये तथा लोगों का सीमा के साथ सम्पर्क तोड़ने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं और सरकार ने सुरक्षा सेना की इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह प्रश्न नागालैंड से नहीं बल्कि मिजो विद्रोहियों से सम्बन्धित है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, हमने सिलचर-एजल सड़क पर ग्रामीणों की भर्ती के के लिये कार्यवाही की है और वह सफल रहा है।

श्री रंगा : उन्होंने जनसंख्या रहित खण्ड का प्रश्न पूछा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रश्न का सम्बन्ध मिजोओं से है।

श्री कंवरलाल गुप्त : आपने जब प्रश्न की अनुमति दी है तो इसका उत्तर दिया जाना चाहियें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान पेकिंग रेडियो के एक प्रसारण की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि मिजो विद्रोहियों ने भारत सरकार के विरुद्ध सफलतापूर्वक विद्रोह किया है। इसका अर्थ मिजोओं को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहन देना है और इससे मालूम होता है कि इसके पीछे चीन का दानवीय हाथ है। क्या सरकार को इस प्रसारण की जानकारी है ? इस मामले के सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं कि चीनी सहायता से मिजोलैंड में हमारे लिए एक नई समस्या पैदा न हो जाये जैसी कि इस समय पाकिस्तानी सहायता से पैदा हो गई है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : चीनी निश्चय ही भारत में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय राज्यक्षेत्र में कहीं भी कोई गड़बड़ हो तो यह उनके लिये एक अवसर है और वे इस बारे मे प्रचार करते हैं। इस मामले में मिजोओं की तोड़ फोड़ की गतिविधियों में चीन का कोई हाथ नहीं है। परन्तु सम्भव है कि चीनी पाकिस्तान के माध्यम

से उनकी सहायता करें, इसलिये हमें यह देखना होगा कि पाकिस्तान मिज़ोओं से सम्पर्क स्थापित करने और उनकी सहायता करने में सफल न हों।

श्री हेम बरुआ : यह समाचार मिले हैं कि मिज़ो विद्रोही पूर्वी पाकिस्तान में ढ़ाका में जाते हैं और वहां वे चीनी राजनयिकों से मिलते हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीय गृह कार्य मंत्री ने सभा में बार बार इस प्रकार के वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुये, कि मिज़ोओं जैसी समस्यायें उन्हें मानवीय तथा पारस्परिक सूझ-बूझ से हल करनी होंगी क्योंकि विद्रोही होने के बावजूद वे हमारे अपने लोग हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बात का क्या कारण है कि वह ग्रामों के पुनर्गठन के मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं। इससे न केवल विद्रोहियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाहियों में लाभ न होगा बल्कि इससे स्थानीय लोगों की उनके साथ सहानुभूति भी समाप्त हो जायेगी। मलाया तथा दक्षिण वियतनाम में भी यही हुआ है जहां अंग्रेज तथा अमरीकी उसी आधार पर कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे कि इस समय जो मिज़ो विद्रोही नहीं हैं, उनकी देश के साथ सहानुभूति समाप्त न हो जावे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस पुनर्गठन को समाप्त करने से पहले हम यह विश्वास कर लेना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं राजनैतिक पहलू पर अधिक बल दे रहा हूँ और स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त कर रहा हूँ, यह महत्वपूर्ण बात है। चाहे शुरू में ग्रामों के पुनर्गठन की इस योजना का विरोध किया गया था क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को कुछ असुविधायें थीं, परन्तु अब वे यह बात मान रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने इसका स्वागत किया है :

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूँ कि इस योजना को ठीक प्रकार आजमाना चाहिये। यदि इसके पूरा होने से पहले इसे समाप्त कर दिया जाये तो वास्तव में हम इससे कुछ नहीं ग्रहण करेंगे। हम इसे कुछ समय तक आजमायेंगे और देखेंगे कि इससे क्या लाभ अथवा हानि होती है। हम इस दृढ़ संकल्प से इसका मिज़ोलैण्ड में पहली बार परीक्षण कर रहे हैं। हमने नागालैण्ड में ऐसा करना शुरू किया था परन्तु उसे बहुत शीघ्र समाप्त कर दिया था। हम नहीं चाहते कि हम बाद में यह अनुभव करें कि हमने उसे बहुत शीघ्र समाप्त कर दिया है। यदि हम इसे समाप्त ही करना चाहते हैं तो यह अच्छा होगा कि उचित परीक्षण के बाद ही इसे समाप्त किया जाये।

श्री नि० रं० लस्कर : मिज़ो विद्रोहियों ने अपनी गतिविधियां मिज़ो ज़िले तक ही सीमित नहीं रखी हैं, वे काछार तथा मैदानी इलाके तक पहुँच गये हैं, वहां बहुत घटनायें हुई हैं, । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि कम से कम मैदानी इलाकों के लोग सीमा पर शान्ति से रह सकें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कई बार वे अपनी हिंसात्मक गतिविधियों के अनुसरण में मैदानी इलाकों में आते हैं और कई बार कुछ ग्राम लूट लेते हैं। इस बारे में एक मात्र बात यह की जा सकती है कि स्थानीय नेताओं की सहायता से मैदानों में संरक्षण के प्रबन्ध सुदृढ़ किये जायें और लोगों को अपना अधिक अच्छा संगठन बनाने की अनुमति दी जावे।

Shri Prakash Vir Shastri : The Mizo rebels and Naga rebels are getting assistance from Pakistan. They are also helping people responsible for the happenings in Assam and Bengal. On being asked, the Ministry informs every time that a protest note has been sent. The Minister of State in the Ministry of Home Affairs has stated that protest notes have been sent so many times. May I know whether such protest notes are prepared afresh on every happening or they have been cyclostyled ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री समर गुह : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में पाकिस्तान ने सिलहट तथा काक्स बाजार में प्रशिक्षण के बाद 200 मिजोओं तथा कुकियों को भेजा है और उन्होंने दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र नामक क्षेत्र पर कब्जा करके वहां लूटमार शुरू कर दी है ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पाकिस्तान द्वारा बनाये गये इन दो प्रशिक्षण शिवरों में चीनी गुरीला युद्ध विशेषज्ञ भी नागा तथा मिजो विद्रोहियों को गुरीला युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वास्तव में पाकिस्तान ने मिजो विद्रोहियों के लिये दो से अधिक प्रशिक्षण शिविर बनाये हैं। यह भी सच है कि हाल ही में मिजो विद्रोहियों का एक दल पाकिस्तान से वापिस आया है। प्रशिक्षण देने वाले कुछ चीनी भी इन दो कैम्पों में देखे गये हैं।

राजस्थान सीमा पर राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां

336. डा० कर्णी सिंह : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सीमावर्ती बाडमेर जिले में रहने वाले कुछ लोग सीमापार रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ मिलकर हाल में राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री डा० कर्णी सिंह : क्या राजस्थान के पाकिस्तान से लगे 20 मील चौड़े सीमान्त क्षेत्र से पंचमार्गियों को निकालने का कार्य पूरा हो गया है और क्या घुसपैठिया वापिस लौट आये हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ लोग जो पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान पाकिस्तान चले गये थे, वे वापिस आये हैं। वे पकड़ लिये गये हैं और राजस्थान सरकार उन पर कानून के मुताबिक मुकद्दमा चला रहा है।

श्री डा० कर्णी सिंह : क्या यह सच नहीं है कि कुछ ऐसे पंचमांगी वापिस राजस्थान आये हैं, जो संघर्ष के दौरान पाकिस्तान चले गये थे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह सच नहीं है कि राजस्थान के सारा सीमावर्ती क्षेत्र में पचमार्गी बसे हुए थे। कुछ मुसलमान लोग पाकिस्तान चले गये थे। उनमें से कुछ वापिस आ गये हैं। जिन पर सदेह था उन पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या सरकार देशद्रोहियों तथा तोड़-फोड़ करने वालों के साथ मजबूती से पेश आयेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार एक जिम्मेदार संस्था है जो साधारणतः समझ-बूझ कर मजबूती से काम करती है ।

Shri Tulsidas Jadhav : May I know whether the Government have done anything to provide the facilities of transport and water etc. to the inhabitants of border areas of Rajasthan to remove their actual difficulties ?

Shri Vidya Charan Shukla : Efforts are being made.

श्री न यनर : समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि राजस्थान में काम कर रहे शान्ति कोर के स्वयंसेवक गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहे हैं । क्या यह सच है ?

Shri Pahadia : May I know whether the Government have made efforts to check the entrance of such families into India, which have gone to Pakistan during the Indo-Pak conflict and whose loyality is doubted ?

Shri Vidya Charan Shukla : We have tried that such families may not come back yet some of them have managed to come back to India and they are being prosecuted.

Shri Abdul Ghani Dar : May I know whether the Government have conducted any enquiry to prove that the so-called fifth-columnists were the real fifth-columnists and secondly, whether the Government have any plan to rehabilitate the Muslim population in the other area of the country after removing them from the border areas ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बात सच नहीं है कि कुछ लोगों को हमारी सेना ने पाकिस्तान की ओर खदेड़ा था । संघर्ष शुरू होने पर सुरक्षा पाने की भावना से कुछ भारतीय लोग पाकिस्तान चले गये थे और कुछ पाकिस्तानी लोग इधर आ गये थे । संघर्ष के दौरान ऐसा होना स्वाभाविक ही है । दूसरे प्रश्नकर्त्ता या उत्तरदाता का आशय यह सुझाव पेश करने का नहीं है कि उनको सीमावर्ती क्षेत्रों से हटाया जाये ।

डा० कर्णी सिंह : माननीय सदस्य ने मुसलमानों का नाम लिया है । मेरे प्रश्न का सम्बन्ध मुसलमानो से नहीं था । पंचमांगी हिन्दू मुसलमान दोनों ही हो सकते है ।

श्री बलराज मधोक : सीमा पर तनाव बढ़ जाने पर और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार किसी ऐसे सुझाव पर विचार कर रही है, जिसके अनुसार सीमा पर एक जन रहित (डीपोपुलेटिड) क्षेत्र बनाया जा सके, जिससे पंचमांगियों का संघर्ष के दौरान दूसरी ओर के लोगों के साथ सीधा सम्पर्क न हो सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रकार की बात तो कभी मन में भी नहीं लानी चाहिये । पूरी सीमा पर जन रहित क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता । हां, जो स्थान सामरिक महत्त्व के हैं, उन स्थानों से लोगों को उनका हित सोचते हुए हटा लिया जाता है ।

Shri Abdul Ghani Dar : Daily questions are being raised about the Muslim fifth-columnists with the result that Muslim population is being harassed unnecessarily.

श्री बदरुद्दुजा : क्या महाराजा कर्णीसिंह जी यह कहना चाहते थे कि जो हजारों मुसलमान भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जेल में थे, वे सब पंचमांगी है ?

श्री अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने वाले या उत्तर देने वाले ने तो प्रश्न को साम्प्रदायिक आधार नहीं दिया। थर्ड पचमांगी का मतलब हिन्दू, मुसलमान या ईसाई नहीं होता। यह दुर्भाग्य की बात है कि आप इसे साम्प्रदायिक रंग में रंगते जा रहे हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : On Barmer border smuggling goes on a large scale. Smugglers include both Hindus as well as Muslims. Will the Minister tell us whether the smugglers, who crossed into the territory Pakistan during Indo-Pakistan conflict, are still living there or have returned back to India ?

Shri Vidya Charan Shukla : All those, who illegally went to Pakistan during the conflict and have returned back later on, are being prosecuted.

श्री अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ

*337. श्री देवकीनन्दन पटोदिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री श० ना० मण्डल :
श्री त्रिदिबकुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की घुसपैठ बराबर जारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि गत तीन महीनों में सीमा पार करके कितने पाकिस्तानी भारत में घुस आये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन घुसपैठियों की संख्या कितनी है तथा भविष्य में इस घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। अब घुसपैठ कम हो रही है।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1967 को समाप्त होने वाले तीन महीनों में घुसपैठियों की संख्या 998 थी। सीमा पर गश्त बढ़ाई गई है और सीमा चौकियों के कर्मचारियों द्वारा अधिक सतर्कता रखी जाती है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : आसाम के मुख्य मंत्री ने 1 अप्रेल 1967 को अपने वक्तव्य में यह कहा था कि केवल आसाम राज्य में 75000 घुसपैठिया हैं। पिछले कुछ वर्षों में घुसपैठ

को रोकने के लिये कुछ उपाय किये गये हैं परन्तु वे प्रभावपूर्ण सिद्ध नहीं हुए अब सरकार इसके लिए कौन से नये उपाय अपनाने जा रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कहना ठीक नहीं है कि प्रभावपूर्ण उपाय नहीं किये गये हैं। घुसपैठ पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वह दिन पर दिन कम होती जा रही है। यदि घुसपैठ को रोकने के लिए अन्य उपायों की आवश्यकता होगी, तो वे भी किये जायेंगे।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : आसाम राज्य में ही लगभग 75000 घुसपैठिये बताये जाते हैं और ये नागालैण्ड तथा मिजो पहाड़ियों में गड़बड़ी करते रहते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वहां पर कुछ घुसपैठिये हैं, परन्तु उन्हें वापिस खदेड़ने का हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the Government are aware of the activities of infiltration on the border of Rajasthan and West Bengal also; if so the number of infiltration there and the steps taken to put an end to it ?

Shri Vidya Charan Shukla : I require a notice for it.

Shri Jagannath Rao Joshi : During Indo-Pakistan conflict about 10,00? people went to Pakistan via Poonch Rajouri border areas. It was assured on behalf of the Government that they will not be allowed to come back, but they have returned back. What is the reasons therefor ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सच है कि वतन से वे लोग तथा परिवार जो पाकिस्तान चले गये थे अब वापिस आ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए कारगर कार्यवाही करना कठिन है विशेषकर जबकि स्त्रियाँ तथा बच्चे इतनी अधिक संख्या में आना प्रारम्भ कर दें। परन्तु उनमें से जिन पर संदेह होता है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The minister wants notice for the question May I know the number of Pakistan infiltrators who came to India during the last three months ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आसाम के बारे में तो मैं नोटिस चाहता हूँ क्योंकि वह सूचना दुर्भाग्य से मेरे पास इस समय नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I have a point of order. I asked the question about the entire border and not about Assam alone. If he reads the question he will know what I am asking.

Shri Y. B. Chavan : I am speaking after having read the question.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Supply of Paddy Seeds To Bihar

S.N.Q.8. **Shri B. S. Sharma** :
Shri N. S. Sharma :
Shri Shri Chand Goal :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Kameshwar Singh :
Shri Shiva Chandra Jha :
Shri M. L. Sondhi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri A. Sreedharon :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the quantity of paddy seeds in tonnes asked for by the Bihar Government from the Central Government;

(b) the quantity of paddy seeds in tonnes supplied to them so far and the quantity which is yet to be supplied; and

(c) whether immediate arrangements are being made to supply them the remaining quantity of paddy seeds ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहब शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) बिहार सरकार ने पहले—खरीफ 1967 के दौरान बुवाई के लिए राज्य के बाहर से 25,000 टोन्ज बीज का धान मंगाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था। बाद में राज्य सरकार ने स्थिति पर पुनः विचार किया और उसने राज्य के बाहर से 61,000 टोन्ज बीज के धान की आवश्यकता जाहिर की।

(ख) विभिन्न राज्यों से बिहार को बीज के धान की जो मात्रा नियतन की गई और 2 जून, 1967 तक जो मात्रा दी गई वह निम्नलिखित है:—

राज्य का नाम	नियतन की गई मात्रा (टोन्ज में)	प्रेषित की गई मात्रा (टोन्ज में)	
1 आन्ध्र प्रदेश	31,000	27,179	
2. उड़ीसा	20,000	3,261	
3 मद्रास	2,000	458	31—5—67 तक
3. पंजाब	846	—	
5. पश्चिम बंगाल	5,000	900	
6. मैसूर	2,000	—	
कुल :	60,846	31,798	

उपरोक्त के अतिरिक्त बिहार सरकार नेपाल के तटवर्ती जिलों से बीज के धान प्राप्त कर रही है और आशा है कि उसे लगभग 5,000 टोन्ज प्राप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज निगम भी अपने आन्ध्र प्रदेश के विशेष उत्पादन कार्यक्रम से 3,000 मीट्रिक टन ताइचुंग नेटिव–1 धान का बीज सप्लाई कर रहा है।

(ग) विभिन्न राज्यों से बीज के धान की प्राप्ति तथा लाने में भारत सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा सभी सम्भव सहायता बिहार सरकार को दी जा रही है। बीज की किस्म को सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने तकनीकी कर्मचारियों के कई दल विभिन्न राज्यों को भेजे हैं और प्रेषण की रफ्तार को तेज किया जा रहा है ताकि बुवाई के लिए समय पर पहुँच जाए।

Shri B. S Sharma : Much has been said here about the drought in Bihar and the deaths which resulted therefrom. Now we are all thinking about the next crop. The Bihar Government asked the Central Government to send to them 60 thousand tons of paddy seed to be sown for the next season but from the statement of the minister which he has placed on the table it appears that upto 2nd June he could send only 31,798 tons of paddy seed. It does not indicate whether seed has actually reached Bihar or not. Is the minister aware that the time for sowing of paddy is fast going and if so till when will the seed be sent there ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है। 31,798 टन धान का बीज बिहार को पहले ही भेजा जा चुका है। बिहार सरकार के अधिकारी वास्तव में उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में हैं तथा इन कार्यों का समन्वय कर रहे हैं। आन्ध्र तथा उड़ीसा की सरकारों ने बिहार को बीज भेजने में हमारे साथ पूरा सहयोग किया है। आन्ध्र सरकार ने इतनी शीघ्रता से बीज भेजा कि वह सराहनीय है। उड़ीसा सरकार ने भी सहयोग किया किन्तु बिहार सरकार के अधिकारियों ने पहले तो बीज की जांच कर ली परन्तु लदान के स्थान पर उस बीज को रद्द कर दिया। अब बिहार सरकार ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा हैं और वह भेजने में जल्दी कर रहे हैं।

श्री तिरुमल राव : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बिहार को कितना बीज भेजा है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : लगभग 27........

Shri B. S. Sharma : Can the hon. minister specify some time by which the seed is to reach there ? Now the time is running against us and if the seed does not reach there within a week, the fields will be full of water and it will not be possible to sow the seed. Can the hon. minister assure us that the seed will reach within a week ?

The Food and Agriculture Minister (Shri Jagjiwan Ram) : Yes Sir, we do realise that the sooner the seed is sent there the better it would be and due to this we have requested some State Governments to send the same soon. I want to congratulate the Andhra Pradesh and Orissa Governments for the promptness with which inspite of their own difficulties they have consented to supply seed to Bihar. The difficulty is that when these State Governments agree we ask the Bihar Government to send their officials to get the seed.

This must also be borne in mind that all the paddy which will be available now was not all meant for seed and hence the same amount of crop should not be expected from it as from the one kept as seed. It is possible that the officials of Bihar Government were afraid to accept that paddy as seed as that will not produce the 80 to 85 per cent yield which the paddy for seed normally does. This paddy will yield only 70 to 75 per cent yield. We will get 20 thousand tons. The new paddy by the name of tai chun which we have got now will be received by us by 15th June.

श्री म० ला० सोंधी : मैं आन्ध्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वह देश को अन्न दे रहे हैं। क्या मंत्री महोदय को पता है कि बिहार में सैंकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है तथा हम संसार में इस कारण बदनाम भी हो गये हैं कि वह बिहार के लोगों में फिर से विश्वास स्थापित करें। मेरे विचार में उन्हें वहां के किसानों को सहायता देनी चाहिए। क्या केन्द्र बीज देने के बारे में उदारता दिखायेगा ? क्या वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों को

भेजेंगे कि वह ऐसे बीज छांटने में सहायता दें जिन पर सूखा का प्रभाव न पड़े ? क्या वह हमें विश्वास दिला सकते हैं कि इस कार्य में शीघ्रता दिखायें ?

श्री जगजीवन राम : शायद सदस्य महोदय को पता नहीं है कि कृषकों को कितने प्रकार की सहायता दी जा रही है। जहां तक कृषकों को बीज तथा उर्वरक देने का सम्बन्ध है ऋण तथा सहायता देने की व्यवस्था है। जहां तक मूल्य का प्रश्न है वह बिहार सरकार को स्वयं निर्धारित करना है जो वह समझे कि कृषक दे सकेंगे अथवा वह उन्हें सहायता के रूप में देना चाहे। यह सारी व्यवस्था की गई हैं। यदि जो प्रतिवेदन हमने प्रसारित किये हैं उन्हें सदस्य महोदय पढ़ने का कष्ट करते तो यह प्रश्न ही नहीं पूछते।

Shri N. S. Sharma : Till now only 31,000 tons of paddy has reached there. Will the minister give assurance as to when the remaining seed would be sent ?

Shri Jagjiwan Ram : I have clearly stated about it.

श्री श्रीचन्द गोयल : धान बोने का मौसम चल रहा है और इसमें केवल अब एक दो सप्ताह बाकी हैं। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि 30,000 टन धान का बीज वास्तव में पहुंच जायेगा तथा यह बीज उन क्षेत्रों में भी पहुंच जायेगा जहां इसकी आवश्यकता है अन्यथा यह बेकार होगा ?

श्री जगजीवन राम : आवश्यकता के क्षेत्रों में अन्न भेजना हमारा काम नहीं है। एक बार यह पता चल जाये कि किसी राज्य में बीज है तो उस बीज की जांच करना तथा उसे भिजवाने का कार्य बिहार सरकार के अधिकारियों का है। पहले उड़ीसा से माल लाने में बिहार सरकार के अधिकारियों ने देर की। हमें पूरी आशा है कि इस मास की 15 तारीख तक बीज आवश्यक मात्रा में बिहार पहुंच जायेगा।

Shri Bibhuti Mishra : It is written that the Bihar Government is collecting paddy from the neighbouring areas of Nepal and 5,000 tons of paddy will be thus ready. Those areas are Champaran and Muzaffarpur. Bihar Government is buying it at a price ranging between Rs. 42/- and Rs. 53/-. Whether Government will send their technical staff from the Centre to see that the seed which cultivators get there is of a type which can be sown ? I suggest that no money should be charged from the Government if the seed does not take root but if it takes then the price may be charged. Has Government drawn the attention of Bihar Government to this suggestion and if so what is their reaction to it ?

Shri Jagjiwan Ram : It is a fact that there was a proposal to take rice from Nepal to the tune of 5000 tons. The Bihar Government is also taking it from Bihar too whenever it is available. About the quality of seeds the Bihar Government has its officials who check the seed before the same is taken. It is not possible for the Central Government to take responsibility for all these things. About supply of seeds I have told to supply it to some on payment, to some on loan and to others free of charge keeping in view the capacity of cultivators. All this work will have to be done by the Bihar Government. We cannot do it from here.

Shri K. N. Tiwary : I understand that the seed will be supplied to the people of drought stricken areas. You are going to supply 3 thousand metric tons of Tai Chung native 1 paddy and while so doing will you see to it that it is supplied to those areas where there is plenty of water as this seed requires much water ? This seed should not

be given to those areas where there is drought as there is not sufficient water for it. Have you made arrangements that it will be supplied to those areas only where there is water ?

Shri Jagjiwan Ram : We expect the Officers of Bihar agricultural department to have knowledge of these matters. We cannot assume responsibility in all such affairs.

Shri Kameshwar Singh : What is the quantity of seed being despatched in Bihar daily as you said just now that all seed will reach there by the 15th instant ?

Shri Jagjiwan Ram : This information may be available with the officials of Bihar Government. We can give this information to you when it is available to us. I have informed the Bihar Government where the paddy is available and that they should send their officials to get it.

श्री हेम बरुग्रा : क्या सरकार का ध्यान पिछली बिहार सरकार के इन मंत्रियों की ओर गया है जिसमें उन्होंने "बीज मांगो दिवस" के नाम से एक मांग की है और क्या यह केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध नहीं है कि वह राज्य सरकार को बीज देने में असफल रही है ?

श्री जगजीवन राम : केन्द्रीय सरकार के लिए जहां तक बीज देना संभव था उसमें वह असफल नहीं रही है।

Shri D. N. Tiwary : Has the minister made some arrangement that the timely supply of seeds to Bihar from Andhra Pradesh and Orissa is not delayed at the hand of railways ?

Shri Jagjiwan Ram : We are getting cooperation from the railways. The officials of Bihar Government, our Government and that of the railways plan these things jointly.

Shrimati Tarkeshwari Sinha : The people of Bihar are not in a position to buy seed. Is Government taking some action to supply them seeds by way of loan especially the people in the drought stricken areas ?

Shri Jagjiwan Ram : There are arrangements to supply seed on short term loan basis. There is no difficulty in it.

Shri Bhogendra Jha : The hon. minister said just now that the Bihar Government officials refused to accept the seed. Is it a fact that the officials asked the cultivators to buy the seed ? Whether the seed was of various types--some to ripe after one month and some had ripen one month before and as such it was not taken ? Does the hon. Minister keep a stock of seed and whether or not he is prepared to give paddy in place of seed. Is the hon. minister aware that Bihar Government has announced to give all the seed on loan and cultivators need not pay any money for that ? Whether you intend to supply them seed or not ?

Shri Jagjiwan Ram : I hope the hon. member know that seed in different states was not in sufficient quantity and now the paddy which is used for the purpose of seed was kept for domestic consumption.

Shri Madhu Limaye : When you knew about the drought condition why did you not arrange for it ?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : The hon. member should knew that the paddy seed cannot be kept for two years.

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि धान के बीज के काम

को दोबारा न करना पड़े । क्या सरकार बीज के वितरण के कार्य को राष्ट्रीय बीज निगम को देने को तैयार है ताकि एक ही प्रकार की प्रक्रिया हो तथा क्या वह इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : बीज निगम भी इतनी बड़ी मात्रा में बीज नहीं प्राप्त कर सकता । यह तो आपातकाल के कारण विभिन्न राज्यों से लेना पड़ रहा है और जो उपलब्ध हो रहा है वह बीज के रूप में नहीं था । इसलिए कुछ त्रुटियां उसमें हो सकती हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय को पता है कि धान के बीज को रद्द किये जाने के बाद 25,000 टन धान का बीज के बारे में फिर भारत खाद्य निगम से बातचीत हो रही है कि वह उड़ीसा सरकार से खरीदे और यदि हाँ तो क्या उड़ीसा सरकार इसके लिए तैयार हो गई है ?

श्री अन्नासाहिब शिंदे : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है बिहार सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजा है और मेरे विचार में इसे बिहार भिजवाने की शीघ्र व्यवस्था भी हो जायगी । आरंभ में बिहार सरकार ने 20,000 टन देने को कहा था ।

Shri Tulsidas Jadhav : There is great demand for seed in Bihar but that has been allocated 60,846 tons and the quantity despatched is 3 ,79 tons. This seed is to be sown simultaneously but only half of it has been received, I want to know when the remainder will be sent ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सेवानिवृत्त इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी नौकरी स्वीकार करना

***332. श्री जनार्दन :**
श्री अचिन्त:
श्री वासुदेवन नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन सिविल सर्विस के कितने कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के बाद विदेशी समवायों अथवा उन समवायों में जिनमें अधिक विदेशी पूंजी लगी हुई है, नौकरी कर ली है;

(ख) ऐसे कितने भूतपूर्व आई०सी०एस० अधिकारी इन फर्मों के प्रतिनिधियों के रूप में आम तौर पर दिल्ली में रहते हैं; और

(ग) क्या सरकार को इनमें से किसी अधिकारी के सम्पर्क स्थापक व्यक्ति होने का पता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) नियमों के अधीन सेवानिवृत्त अधिकारियों को अपनी नियुक्ति अथवा नियोजकों अथवा अपने निवास-स्थान के बारे में सूचना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती । अतः सरकार के पास यह सूचना उपलब्ध

नहीं है। उन्हें केवल उसी अवस्था में सरकार से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, जब वे निवृत्ति प्राप्त करने के बाद दो वर्ष के अन्दर-अन्दर वाणिज्यिक नियुक्ति ग्रहण करना चाहते हों।

(ग) जी नहीं।

राज्यपालों के कृत्यों के बारे में आयोग

*333. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यपालों के कृत्यों के बारे में संविधान में निहित प्रथाओं की उचित व्याख्या करने के लिए कोई समिति अथवा आयोग नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बोनस के बारे में त्रिपक्षीय समिति

*338. **श्री रमानी** :

श्री उमानाथ :

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है: और

(ग) यदि नहीं, तो यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक सरकार को देगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिए जिसमें बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 की कुछ धारायें संवैधानिक रूप से अवैध घोषित की गई हैं, कई प्रस्तावों और विकल्पों पर विचार-विमर्श करने के निमित्त 26 अक्टूबर, 1966 को एक द्विपक्षीय समिति बनाई गई थी। इस समिति की दो बैठकें हुई लेकिन उनमें कोई भी समझौता नहीं हो सका। 10 मई, 1967 को स्थायी श्रम समिति से अवगत करा दिया गया।

शिक्षा सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति

*339. **श्री ईश्वर रेड्डी** :

श्री नि० र० लास्कर :

श्री श्रद्धाकर सूपकार :

श्री लीलाधर कटकी :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री मधु लिमये :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री जनार्दनन् :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री अ० कु० किस्कु :

श्री श० ना० माइति :

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

श्री मोहन स्वरूप :
श्री शारदा नन्द :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री गोपाल साबू :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री च० क० भट्टाचार्य :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री र० बरुआ :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री च० चु० देसाई :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या शिक्षा संबंधी संसद् सदस्यों की समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है, और

(घ) यदि हाँ तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

*340. श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दी जानने वाले सरकारी कर्मचारियों को अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में अपना सरकारी काम करने के लिये विशेष प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार की नीति है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नियुक्त हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को घाटे में न रखा जाना चाहिए ।

मिजो पहाड़ी समस्या

*314. श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्री रामसेवक यादव :
श्री मधु लिमये : श्री महाराज सिंह भारती :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में भारत से पृथक होने के लिये मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा किये गये विद्रोह के पश्चात नागरिक प्रशासन कायम करने में सरकार को अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ख) इस उद्देश्य को कार्य रूप देने के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं तथा इन उपायों से यदि कोई निष्कर्ष निकले हैं तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मिजो पहाड़ियां जिले में नागरिक प्रशासन पुनःकायम कर लिया गया है। श्रेष्ठतर प्रशासन के हित में, अभी हाल ही में उन ग्रामों में सीमित वर्ग बनाने की एक योजना लागू की गई है, जो सिलचर से एजल होकर लुंगलेह जाने वाली सड़क के साथ-साथ 10 मील की पट्टी में आते हैं। वर्गबद्ध केन्द्रों का प्रशासन भी नागरिक प्राधिकारियों ने सम्हाल लिया है। जिले में विधि तथा व्यवस्था को पुनः पूरी तरह लागू करने की समस्या पर हमारी सुरक्षा सेनाएं जोरशोर से कार्य कर रही हैं।

एसोसियेटिड सीमेन्ट-कम्पनियों द्वारा बोनस की अदायगी

*342. **श्री राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनियों में नियुक्त कर्मचारियों को बोनस देने सम्बन्धी विवाद की जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस न्यायाधिकरण ने अब तक क्या प्रगति की है; और

(ग) प्रतिवेदन के कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सम्बंधित पक्षों ने अपने बयान दाखिल कर दिये हैं।

(ग) न्यायाधिकरण द्वारा मामले की सुनाई के लिए जल्दी ही एक तारीख निश्चित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारी

*343. **श्री प्र० के० देव;**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों ने छटनी और अवनति के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कुछ कर्मचारी जो पुनर्गठन तथा मितव्ययिता में कटौती फलस्वरूप फालतू हो गये थे और जिन्हें सेवा-समाप्ति के सामान्य नोटिस दिये गये थे, जिन्होंने ऐसे नोटिस जारी करने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये थे।

(ख) अतिरिक्त कर्मचारियों का अन्य समान या निम्नतर पदों में समंजन करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है। यह आशा की जाती है कि इस प्रकार समंजन द्वारा छटनी को रोका जा सकेगा।

मजूरी बोर्ड

***334. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के हेतु कोई कानून बनाने के बारे में क्या सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) इस संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूसरी भाषा के रूप में उर्दू

***345. श्री अब्दुल गनी दर :**
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फर्नेन्डीज :
श्री बलराज मधोक :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों में उर्दू भाषा को दूसरा दर्जा देने की घोषणा करने के बारे में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो जिन राज्यों में उर्दू भाषा को दूसरा दर्जा देने की घोषणा कर दी गई है उनके नाम क्या हैं; और

(ग) कौन कौन से राज्य इस पक्ष में हैं कि उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देने की घोषणा की जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 17 मार्च 1967 को बिहार राज्य विधान सभा के सम्मुख दिये गये राज्यपाल के अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी कि उर्दू को राज्य में सरकारी भाषा के रूप में दूसरे दर्जे पर मान्यता दी जानी चाहिए । आन्ध्र प्रदेश सरकारी भाषा अधिनियम में इस बात की व्यवस्था है कि राज्य के कुछ भागों में तेलुगु के साथ-साथ उर्दू का भी ऐसे सरकारी तथा अन्य कार्यों के के लिये उपयोग किया जा सके जिनकी अधिसूचना द्वारा व्यवस्था की जाये ।

भारतीय हाकी टीम का कार्यक्रम

***346. श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटिश हाकी संस्था ने भारतीय हाकी टीम के जो अप्रैल, ··· से यूरोप का दौरा करने वाली थी, कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त से यह कहा गया था कि वह ब्रिटिश खेल-कूद अधिकारियों के पास जाकर ब्रिटिश हाकी संस्था को इस बात के लिये राजी करवाये कि वह इस कार्यक्रम को रद्द न करें; और

(ग) क्या ब्रिटेन में इन कार्यक्रमों के रद्द किये जाने के कारण भारतीय हाकी की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) ब्रिटिश हाकी संस्था के साथ कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं किया गया था ;

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

***347. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी इंजीनियरी एककों ने इंजीनियरी उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सहायता की राशि सम्बन्धी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है;

(ख) क्या यह सहायता की राशि बढ़ाये गये सामान्य मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त दी गई है; और

(ग) उन एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने अन्तरिम सहायता की राशि की अदायगी के अतिरिक्त सामान्य महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

राज्यपालों के मार्गदर्शनार्थ सिद्धान्त

***348. श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स. मो. बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या गृह-कार्य मंत्री 5 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 260 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजनैतिक दलों के नेताओं तथा निर्दलीय संविधानवेत्ता वकीलों से इस बीच परामर्श कर लिया है ;

(ख) क्या कोई प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के मार्गदर्शनार्थ सिद्धान्त उनको भेजने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) इस बारे में संविधानवेत्ता विशेषज्ञों के विचार ज्ञात किये जा रहे हैं । विरोधी दलों के नेताओं के साथ उनकी सलाह प्राप्त होने के पश्चात् विचार-विमर्श किया जा सकेगा ।

(ख) से (घ) : वर्तमान स्थिति में ये प्रश्न उठते ही नहीं ।

Appointments of Vice-Chancellors

***349. Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 105 on the 29th March, 1967 and state :

(a) whether any decision was taken regarding the appointments of Vice-Chancellors of Universities at the Conference of the State Education Ministers held in April, 1967; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir. This question was not considered at the Conference.

(b) Does not arise.

परीक्षा पद्धति में सुधार

***350. श्री वासुदेवन नायर :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने राज्य सरकारों और उनके माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के परामर्श से परीक्षा-सुधार का कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रश्नपत्रों, अंक देने की प्रक्रियाओं तथा आन्तरिक मूल्यांकन में सुधार किए जा रहे हैं। पर्चे बनाने वाले, परीक्षक तथा परीक्षाओं से सम्बन्ध रखने वाले अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

Indian School of International Studies

*351. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the decision taken in regard to the medium of examination and research in the Indian School of International Studies; and

(b) whether his Ministry has issued any order to the Government aided institutions not to violate the provisions of the Constitution ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) According to the Bye-laws of the School, English is the medium of examination and research. The Board of Research Studies of the School, however, has the discretion to permit student to write his thesis in any language other than English provided it can find a competent supervisor and examiners for examining the thesis in the language concerned.

(b) In the event of any Government-aided institution violating the Constitution, the law of the land can be relied upon to take its natural course. The question of the Ministry issuing any orders in the matter, therefore, does not arise,

हिन्दी टेलीप्रिंटर

*352. **श्री हुकमचन्द कछवाय :** **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री ओंकार सिंह : **श्री मधु लिमये :**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या संचार मंत्री 5 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 518 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हिन्दी टेलीप्रिंटरों का निर्माण करने के लिये पुर्जे तथा तकनीकी जानकारी देने के लिये मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड ने अपने सहयोगदाताओं इटली के मैसर्स ओलीवेट्टी के साथ बातचीत पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) और (ख) जी हां। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड ने अपने सहयोगियों सर्वश्री ग्रालिवेत्ति से अपनी बातचीत पूरी कर ली है। इटालीय–पूर्तिकर्त्ता-उधार के अधीन औजारों और प्राविधिक-जानकारी की पूर्ति के समझौते के मसौदे का अनुमोदन हाल ही में भारत सरकार द्वारा कर दिया गया है। आशा है कि लगभग एक मास में दोनों पक्षों द्वारा औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर हो जायेंगे।

(ग) (घ) : 'क' और 'ख' भागों के उत्तर में निवेदित स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न उठता ही नहीं।

नागा तथा मिजो विद्रोहियों द्वारा अपहरण

***353. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा तथा मिजो विद्रोहियों ने अप्रैल, 1967 में कुछ असैनिक/सैनिक अधिकारियों का अपहरण किया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों का अपहरण किया गया ; और

(ग) क्या इन अधिकारियों को छुड़ा लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) अप्रैल महीने में अपहरण की केवल एक घटना की सूचना मिली है जिसके अनुसार एक स्कूलों के उपनिरीक्षक और उसके चपरासी को मिज़ो विद्रोहियों द्वारा 9-4-67 को अपहृत किया गया। अपहृत व्यक्तियों का 13-4-67 को पता चल गया।

हरियाणा के कालेजों के प्राध्यापकों के वेतन-मान

***354. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालेज–प्राध्यापकों के नये वेतन-मानों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को हरियाणा राज्य में लागू करने की स्थिति क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) यह मामला हरियाणा सरकार के विचाराधीन है।

गैर-सरकारी ठेकेदारों के अधीन मजदूर

***355. श्री एस्थोस** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले मजदूरों को भी औद्योगिक मजदूरों को प्राप्त लाभ देने का है ; और

(ख यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) और (ख) संसद के चालू अधिवेशन में ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) विधेयक पेश करने का सरकार का विचार है। इस विधेयक में कुछ कल्याण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं और काम के घंटों, न्यूनतम मजूरी, वेतन की अदायगी आदि की व्यवस्था है।

रिक्शा चलाना

*356. **श्री वेवेन सेन :**

श्री मधु लिमये :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साइकिल रिक्शा और हाथ से रिक्शा चलाने से रिक्शा-चालकों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में कोई जांच की है ;

(ख) क्या सरकार ने रिक्शाओं के स्थान पर स्वचालित रिक्शाओं का प्रयोग किये जाने के बारे में राज्यों के मार्गदर्शन के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सरकार को यह परामर्श दिया गया है कि रिक्शा चलाने से स्वास्थ्य पर कोई हानिकर प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि यह संभव है कि काफी शारीरिक परिश्रम के कारण ऐसे रिक्शाचालकों को फेफड़े की बीमारियां जल्दी पकड़ सकती हैं जिन्हें पोषक आहार प्राप्त नहीं होता और जो अच्छे मकानों में नहीं रहते। अस्वास्थ्यकर वातावरण और कठोर परिश्रम के कारण ये बीमारियां गन्दी बस्तियों में आम पाई जाती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

नई भर्ती पर प्रतिबंध

*357. **श्री दामानी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मितव्ययता करने के लिये नये कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में हाल में कोई निर्देश जारी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्देश का स्वरूप क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) और (ख) : प्रशासनिक सुधारों के लागू किये जाने अथवा वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक के अध्ययन के फलस्वरूप जिन फालतू कर्मचारियों का पता चले उनके लिये दोबारा काम पर लगाने की व्यवस्था करने की दृष्टि से गृह मंत्रालय में एक केन्द्रीय (अतिरिक्त कर्मचारी) कोष स्थापित किया गया है। ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों को सुविधापूर्वक खपाने के लिये सभी सरकारी संगठनों में

सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा निम्न श्रेणी लिपिकों जैसे अराजपत्रित मंत्रालयिक पदों में सीधी भरती पर तब तक के लिये रोक लगा दी गई है जब तक कि केन्द्रीय कोष से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त न हो जाये कि उसके पास कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। यह रोक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली वार्षिक प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिये की जाने वाली भरती पर लागू नहीं होती ; किन्तु अभिप्राय यह है कि ऐसी भरती द्वारा लिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या यथासम्भव कम-से-कम रखी जाये।

बेरुबाड़ी पर पूर्वी पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण

*358. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या गृह–कार्य मंत्री 29 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 9 मार्च, 1967 को जलपाईगुड़ी जिले में दक्षिण बेरुबाड़ी में पूर्वी पाकिस्तान के उपद्रवी लोगों द्वारा धावा मारकर जो अपराध किये गये थे, क्या उसकी जांच पूर्ण हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या हमारी ओर से भेजे गये विरोध-पत्रों का पाकिस्तान ने कोई उत्तर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर दिया गया है ?

गृह–कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) और (ख) जी हां। स्थानीय पुलिस ने जांच का एक अंतिम प्रतिवेदन 30 अप्रैल 1967 को प्रस्तुत किया था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के दिनाजपुर जिले के दस पाकिस्तानी नागरिकों पर इस अपराध के बारे में सन्देह व्यक्त किया गया था।

(ग) और (घ) कदमतला के सीमा सुरक्षा के दल के सैक्टर कमांडर को दिनाजपुर के पूर्वी पाकिस्तानी राइफल्स के सैक्टर कमांडर से अपने विरोध-पत्र का जो उत्तर प्राप्त हुआ उसमें कहा गया था कि मामले की पूर्वी पाकिस्तान में जांच की गई थी, और उसे सत्य नहीं पाया गया। किन्तु राज्य सरकार अथवा जलपाईगुड़ी के उप-आयुक्त को अपने समकक्षों से इस बारे में अपने विरोध का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी कर्मचारियों के काम के घण्टे

*359. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटों को कम करने या शनिवार तथा रविवार को सभी सरकारी कार्यालयों को बन्द करने का है जैसा कि कुछ अन्य देशों में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन साप्ताहिक छुट्टियों के बदले सरकार कितनी सार्वजनिक तथा वैकल्पिक छुट्टियों को कम करना चाहती है;

(ग) क्या कार्य के घंटों में कमी के फलस्वरूप सरकार को अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी;

(घ) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि यदि काम कम और छुट्टियां अधिक दी गईं तो रुपयों में कितनी हानि होगी; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी धनराशि की हानि होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली नगर निगम के लिए धन

*360. **श्री कंवरलाल गुप्ता :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **यह सच है** कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली नगर निगम की धन सम्बन्धी मांग नामंजूर कर दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नगर निगम में 6 करोड़ रुपये का घाटा है;

(ग) क्या निगम अपने कर्मचारियों के वेतन का भी भुगतान नहीं कर सकता है; और

(घ) पिछले 9 वर्षों के इस घाटे की प्रतिपूर्ति करने के हेतु नगर निगम की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार सहायता के पूर्व-विचारित पद्धति के अनुसार दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को वित्तीय सहायता देती है। इस पद्धति के आधार पर नियतकालिक अदायगियां नियमित रूप से कारपोरेशन को दी जा रही हैं।

(ख) कारपोरेशन ने लगभग 6 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान लगाया है।

(ग) कारपोरेशन अपने कर्मचारियों का वेतन नियमित रूप से अदा करती रही है।

(घ) सरकार ने दिल्ली में स्थानीय संस्थाओं के वित्तीय साधनों तथा आवश्यकताओं की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त किया है। कारपोरेशन की सहायता के नमूने में कोई भी परिवर्तन, आयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए किया जायगा। आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

हरियाणा राज्य में टेलीफोन एक्सचेन्ज और सार्वजनिक टेलीफोन

1640. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 में हरियाणा राज्य में कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले जायेंगे और कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : 1967-68 के दौरान हरियाणा राज्य में दस सार्वजनिक टेलीफोन घर और छः एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है ।

सीधी टेलीफोन सेवा

1641. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में चरखी दादरी-रिवाड़ी और चरखी दादरी तथा नारनौल के बीच सीधी टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) परिपथों पर होने वाले परियात की हाल ही में की गई जांच से यह पता चला है कि इन स्थानों के बीच इस समय सीधे ट्रंक टेलीफोन परिपथ पूरी तरह से न्यायसंगत नहीं हैं । फिर भी चरखी दादरी से रिवाड़ी तक सीधे ट्रंक परिपथ की व्यवस्था करने के लिए परियात पर निगरानी रखी जायगी ।

मंत्रियों पर खर्च

1642. श्री बाबूराव पटेल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) हर महीने केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री के वेतन, आवास तथा अन्य व्ययों पर कुल कितना धन व्यय किया जाता है;

(ख) क्या इस खर्च को कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों सहित केन्द्र के समस्त मंत्रिमंडल पर प्रतिवर्ष कुल कितना खर्च किया जाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस व्यय में कमी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 550/67]

(ख) और (घ) ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

1643. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1956 से अब तक प्रत्येक केन्द्रीय सेवा में पृथक्-पृथक् कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये ;

(ख) राज्यवार उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य से तब से अब तक कितने व्यक्तियों की प्रादेशिक सेवाओं से पदोन्नति की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे राज्यों के विद्यार्थियों को, जिनके उपरोक्त सेवाओं में कम व्यक्ति हैं, वजीफे देने तथा उनके लाभ के लिये विशेष कोचिंग संस्थायें चलाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का मंतव्य संगठित केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी–I तथा II में सीधी भरती के आंकड़े ज्ञात करना है। इन श्रेणियों के लिये भरती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है । यह सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है और इसको तैयार करने में बहुत अधिक अनुसंधानकार्य की आवश्यकता पड़ेगी जो उन परिणामों की तुलना में नगण्य होगा जिनके उससे प्राप्त हो सकने की सम्भावना हो सकती है ।

(ग) राज्यों की सेवाओं से केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी–I तथा II में कोई पदोन्नति नहीं होती ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली में राजनीतिक पीड़ित लोग

1644. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1967 तक दिल्ली में राजनीतिक पीड़ितों से भूमि के आवंटन के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने प्रार्थियों के लिये भूमि मंजूर की गई;

(ग) कितने आवेदन पत्रों पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया;

(घ) क्या दिल्ली में राजनीतिक पीड़ितों को भूमि देने के लिये नये आवेदन पत्र मांगे जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की लाटरी द्वारा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को रिहाइशी प्लाट देने की योजना में कुछ प्लाट आवश्यक शर्तें पूरी करने वाले राजनीतिक पीड़ितों के लिये सुरक्षित हैं। सुरक्षित प्लाटों की संख्या कुल आवेदन पत्रों की संख्या की तुलना में राजनीतिक पीड़ितों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है । इस योजना के अधीन प्राप्त आवेदन पत्रों में से एक राजनीतिक पीड़ित को एक प्लाट दिया गया । अब नए आवेदन पत्र तभी मांगे जायेंगे जब प्लाटों की अगली खेप बांटे जाने के लिये तैयार हो जायेगी ।

भारत में विदेशी विद्यार्थी

1645. श्री बाबूराव पटेल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 31 मार्च, 1967 को देशवार कितनी थी;

(ख) वे किन-किन विषयों का तथा किन-किन शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन करते हैं;

(ग) इन विद्यार्थियों को अपने अध्ययन तथा भारत में निवास के लिये क्या विशेष सुविधाएं दी जाती हैं: और

(घ) ये विद्यार्थी अपने खर्च के लिये प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा लाते हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) ताजी उपलब्ध सूचना के अनुसार हमारे देश में 31–3–64 को पढ़ रहे विदेशी छात्रों की संख्या देशवार अनुबन्ध (I) में दी जा रही है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 551/67]**

(ख) विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विदेशी छात्रों की विषयवार संख्या अनुबन्ध (II) में दी जा रही है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 551/57]**

(ग) ट्यूशन फीस, किताबों के दाम, यात्रा-दौरे के खर्चे, अनुरक्षण भत्ता, यात्रा का खर्च, आदि को पूरा करने के लिये बहुत सी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । विश्वविद्यालयों में उनके लिये कुछ स्थान सुरक्षित भी रखे जाते हैं । यथासम्भव विश्वविद्यालय/कालेज हौस्टलों में आवास स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं ।

(घ) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय वैज्ञानिक

1646. श्री बाबूराव पटेल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को कितने भारतीय वैज्ञानिक विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और किन-किन देशों में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये इन वैज्ञानिकों को प्रति मास कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है;

(ख) विदेशों में प्रशिक्षित कितने भारतीय वैज्ञानिक 31 मार्च, 1967 तक रोजगार की तलाश में थे और वे कितनी अवधि से बेरोजगार थे;

(ग) भारत में नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों पर पिछले दो वर्षों की अवधि में (पूल) से कितना धन खर्च किया गया;

(घ) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, श्री आत्माराम द्वारा हाल में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की जानकारी सरकार को है कि विदेशस्थ भारतीय वैज्ञानिकों को भारत में वापस लौटने के लिये तब तक न कहा जाये जब तक देश में उन्हें किसी लाभप्रद कार्य में लगाने का उचित अवसर उपलब्ध न हो; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें विदेश भेजने की अनुमति देने तथा उन पर विदेशी मुद्रा खर्च करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 31 मार्च, 1967 को कितने भारतीय वैज्ञानिक विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है । कुछ मोटे वर्गीकरण के अनुसार विदेशी मुद्रा से संबन्धित आंकड़े रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा रखे जाते

इन आंकड़ों में से विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वैज्ञानिकों को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई, इसके अलग से आंकड़े संकलित करना सम्भव नहीं है।

(ख) विदेशों में प्रशिक्षित कितने भारतीय वैज्ञानिक 31 मार्च, 1967 तक भारत में वापस आ चुके हैं और रोजगार की तलाश में थे, इसके बारे में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु 31 मार्च, 1967 को वैज्ञानिक पूल में कार्य कर रहे और नियमित रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों की संख्या 478 थी। इनमें से 136, छः महीने से कम समय से; 98 छः महीने से बारह महीने तक; 95 बारह महीने से अठारह महीने तक; 72 अठारह महीने से चौबीस महीने तक और 77 दो वर्ष से ज्यादा समय से पूल में कार्य कर रहे थे।

(ग) 1965–66 के दौरान पूल पर 50·716 लाख रुपये और 1966–67 के दौरान 48·049 लाख रुपये खर्च हुए।

(घ) जी हां।

(ङ) विदेशों में प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित नीति का निर्धारण, मोटे तौर पर देश की जन-शक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तथापि एक निश्चित समय पर विदेशों में प्रशिक्षित ऐसे कुछ व्यक्ति भी हो सकते हैं जो देश के आर्थिक ढांचे में आसानी से सामंजस्य नहीं स्थापित कर सकते। सरकार का यह विचार है कि विदेशों में प्रशिक्षित वैज्ञानिक, यथासमय देश में ही किसी न किसी उपयोगी कार्य में खप जाएंगे।

इटारसी टेलोफोन एक्सचेंज

1647. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटारसी का टेलीफोन एक्सचेंज बहुत पुराना और दोषयुक्त है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस टेलीफोन एक्सचेंज में हैड-फोन तथा अन्य सहायक उपकरण और क्लाक अपर्याप्त मात्रा में है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक्सचेंज में न तो पर्याप्त फर्नीचर है और न ही वहां के कर्मचारियों के लिये आराम करने के लिये कोई स्थान ही है; और

(घ) यदि हां, तो मामले को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। एक्सचेंज 1959 में स्थापित किया गया था। यह दोषयुक्त नहीं है और ठीक काम कर रहा है।

(ख) सहायक उपकरण और दीवाल-घड़ियां लगा दी गई हैं। फिर भी अत्यधिक कमी के कारण हरेक आपरेटर को अलग-अलग हैड गीयर सेट नहीं दिये जा सके हैं।

(ग) जगह की कमी के कारण बरामदे को बन्द करके अस्थायी विश्राम-कक्ष बनाया गया है। पर्याप्त फर्नीचर मौजूद है।

(घ) मौजूदा इमारत का विस्तार करने का प्रस्ताव पहले से ही विचारार्थ प्रस्तुत है। हरेक टेलीफोन आपरेटर को अलग-अलग हैड-गीयर सेट देने की कार्रवाई भी की जा रही है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालायें

1648. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई है;

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्य का मूल्यांकन करने के लिये सरकार ने क्या कसौटी निर्धारित की है; और

(ग) इन प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये अब तक के अनुसंधान कार्य का वाणिज्यिक मूल्य क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 113·98 करोड़ रुपये का विनियोजन निम्न प्रकार से किया गया है :—

पूंजी	40·37 करोड़ रुपये
आवर्ती	73·61 करोड़ रुपये
जोड़	113·98 करोड़ रुपये

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्य के मूल्यांकन के लिए, जिसके अन्तर्गत विज्ञान और टैक्नोलोजी के व्यापक रूप से विभिन्न विषय आते हैं, कोई सामान्य मापदण्ड निर्धारित नहीं किया जा सकता। तथापि, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान के नियम और विनियम तथा उपनियम के नियम 57 के अधीन समय-समय पर नियुक्त समीक्षा समितियों द्वारा प्रयोगशालाओं के कार्य का आवधिक पुनर्विलोकन किया जाता है। इन नियमों की एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) अधिकतर, अनुसंधान कार्य का वाणिज्यिक मूल्यांकन संभव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, संस्थानों द्वारा विकसित प्रक्रियाओं, तैयार माल के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित विस्तृत सूचना "रिसर्च फार इन्डस्ट्रीज" और "डेटा आन रिसर्च यूटिलाइजेशन 1965" नामक पुस्तिकाओं में दी गई है। इन पुस्तिकाओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

Collapse of House in Dharampura, Delhi

1649. Shri Hardayal Devgun :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 123 on the 24th May, 1967 and state :

(a) whether the Commission set up to enquire into the causes of the collapse of a house in Dharampura, Delhi, has submitted its report;

(b) if so, the conclusions arrived at and the recommendations made by it; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in The Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) A statement is attached. **[Placed in Library, see No. LT-552/67]**

गिरजाघरों द्वारा मध्यस्थता करने की पेशकश

1650. श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो उपद्रवों के बारे में ईसाई गिरजाघरों ने मध्यस्थता करने की पेशकश सरकार को की है;

(ख) क्या आसाम सरकार ने यह पेशकश अस्वीकृत कर दी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मामले में सरकार की स्थिति यह नहीं है कि मिजो उपद्रवियों के साथ विचार-विमर्श करने के किसी सुझाव पर कार्यवाही का तब तक कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता जब तक कि वे अपने हथियार नहीं डाल देते।

ब्रिटेन द्वारा दी गई उपाधियां

1651. श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोगों को ब्रिटेन द्वारा दी गई उपाधियां तथा 'नाईटहुड', 'लार्ड शिप' आदि को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् रखने की अनुमति है;

(ख) क्या लार्ड सिन्हा को 'हाऊस आफ लार्डज' की सदस्यता बनाये रखने तथा ऐसे देश की जिसने हमें लगभग वर्ष तक दासता के बन्धन मे बांधे रखा, संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी गई थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समूची स्थिति पर पुनर्विचार करने और इन सब पुरानी उपाधियों तथा सदस्यता को समाप्त करने के लिये कोई समुचित प्रशासनिक एवं विधायी कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसी उपाधियों का सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग बन्द कर दिया गया, किन्तु उपाधिधारियों के लिये उपाधियों को छोड़ना आवश्यक नहीं समझा गया था।

(ख) ऐसी किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) वर्तमान स्थिति में विधायी कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई; प्रशासकीय कार्यवाही पहले ही कर ली गई है;

बरेली में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

1652. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बरेली में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव है: और

(ख) यदि हां, तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) बरेली में एक स्वचल एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। प्रायोजनों को स्वीकृति दे दी गई है। जमीन ले ली गई है। इमारत के नक्शे बन चुके हैं। चूंकि इमारत बड़ी है, जिसपर 25 लाख रुपये को लागत लगेगी और जिसमें एक तहखाना तथा तीन तकनीकी मंजिलें और एक कार्यालय ब्लाक रहेगा, अतः इसके निर्माण में लगभग तीन वर्ष लग जाएंगे। आशा है कि स्वचल एक्सचेंज लगभग साढ़े चार वर्ष में चालू हो जाएगा।

श्रम न्यायाधिकरणों के पंचाट

1653. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

1966–67 में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच कितने द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय करार तथा न्यायाधिकरणों और मजूरी बोर्डों के कितने पंचाट क्रियान्वित नहीं किये गये ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० वा० मिश्र) : केन्द्रीय क्षेत्र में अप्रैल, 1966 से अप्रैल 1967 के बीच 1297 त्रिपक्षाय करारों, पंचाटों में से अभी तक 16 क्रियान्वित नहीं किये गये। इनमें से चार न्यायालयों में विचाराधीन हैं। 511 मामलों में क्रियान्विति सम्बन्धी रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। द्विपक्षीय करारों की क्रियान्विति सरकार द्वारा नहीं कराई जाती।

खनिज लोहे, चूनापत्थर तथा डोलोमाइट की खानों की लगभग 628 इकाइयों ने संबंधित मजूरी बोर्डों की अंतरिम सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है।

मजूरी में उत्पादन-शक्ति के अनुपात में वृद्धि

1654. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में मजदूरों की मजूरी उनकी उत्पादन शक्ति में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तीनों योजना कालों के लिये सभी उद्योगों के सम्बन्ध में मजूरी और उत्पादिता के बारे में पूर्ण आंकड़े संकलित नहीं किये गये हैं। 1951–61 की कालावधि के संबंध में कुछ उद्योगों के बारे में प्राप्त

आंकड़ों से यह पता चलता है कि कुछ उद्योगों में श्रमिकों की मजूरियां उत्पादिता में वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ी हैं; कुछ मामलों में वृद्धि कम हुई है और अन्य मामलों में मजूरी और उत्पादित में वृद्धि की दरें लगभग समान रही हैं।

(ख) उत्पादिता में होने वाली वृद्धि कई बातों पर आधारित है, अर्थात् प्रयुक्त सामग्री या ईंधन की किस्म, विनियोजित पूंजी, तथा श्रमिकों की कार्य दक्षता। इसलिए उत्पादिता में होने वाली वृद्धि की दर आवश्यक रूप से श्रमिकों की दक्षता में वृद्धि की दर समान रूप से प्रदर्शित नहीं करती। चौथी पंचवर्षीय योजना के मसविदे में यह सुझाव दिया गया है कि मजूरी के तीन अवयव होने चाहिएं अर्थात् मूल या न्यूनतम मजूरी, निर्वाह खर्च से सम्बद्ध तत्व और उत्पादिता में वृद्धि से संबद्ध तत्व।

बिहार में टेलीफोन

1655. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना, गया, रांची तथा भागलपुर में नये टेलीफोन लगवाने के कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं तथा इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण है; और

(ख) अधिकांश आवेदनकर्त्ताओं को कब तक टेलीफोन दे दिये जायेंगे?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क)

नगर का नाम	**प्रतीक्षा सूची**
पटना	2,651
गया	221
रांची	1,263
भागलपुर	291

विलम्ब के कारण ये है कि कनेक्शन के देने के लिए आवश्यक एक्सचेंज उपस्कर और कुछ दूसरे सामान की कमी है।

(ख) कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देने के लिए नये एक्सचेंज खोलने, मौजूदा का विस्तार करने और जमीन के नीचे केवल बिछाने के लगातार प्रयत्न किये जाते हैं बशर्ते कि उनके लिए साधन उपलब्ध हों।

"ए रिपोर्ट आन दि काश्मीर प्राबलम" पुस्तिका

1656. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री ज ज फरनेन्डीज :**
श्री राममूर्ति : **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ए रिपोर्ट आन दी काश्मीर प्राबलम" (काश्मीर समस्या के बारे में एक

रिपोर्ट) नामक पुस्तक के पंडित सुन्दर लाल द्वारा लिखे गय प्राक्कथन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बारे में उनके द्वारा उल्लिखित परिस्थितियां सही हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) सरकार ने 'एक रिपोर्ट आन द काश्मीर प्राब्लम" नामक पुस्तक व पंडित सुन्दर लाल द्वारा लिखे गये प्राक्कथन को देखा है।

(ख) और (ग) वे मूलतः गलत और भ्रामक है।

पंजाब तथा हरियाणा में अभिरक्षकाधीन भूमि का बेचा जाना

1657 श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** 31 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3772 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को किस दर पर तथा किस वर्ष में अतिरिक्त अभिरक्षकाधीन भूमि बेची थी ;

(ख) पंजाब, हरियाणा तथा देश के अन्य भागों में सिन्ध के शरणार्थियों की किस दर पर अतिरिक्त अभिरक्षकाधीन भूमि बेची जा रही है ; और

(ग) पंजाब, हरियाणा तथा देश के अन्य भागों में अतिरिक्त भूमि के लिये ली जाने वाली दरों में [illegible] ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दिये गये विवरण में दी गई है।

विवरण

अतिरिक्त निष्क्रान्त भूमि, भूतपूर्व पंजाब सरकार को निम्नलिखित दरों पर बेची गई थी:—

ग्रामीण क्षेत्र

क्रम संख्या	भूमि का प्रकार	दर	बेचने का वर्ष
1	कृष्य क्षेत्र	445 रु० प्रति मानक एकड़	1961
2	बंजर भूमि	5 रु० प्रति एकड़	1961
3	गैर मुमकिन भूमि	100 रु० के टोकन (प्रतीक) मूल्य पर	1961
शहरी क्षेत्र			
1	निष्क्रान्त क्षेत्र	1100 रुपये प्रति एकड़	1963

2	दखलकारी अधिकार के अधीन क्षेत्र	550 रुपये प्रति एकड़	1963
3	संयुक्त क्योटों के अधीन क्षेत्र	550 रुपये प्रति एकड़	1963
4	गैर मुमकिन क्षेत्र	100 रुपये के टोकन (प्रतीक) मूल्य पर	1963

(ख) पंजाब और हरियाना में सिंघ तथा पश्चिम पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों से आये विस्थापित एलाटियों के पास पाई गई अतिरिक्त भूमि भारत सरकार द्वारा बेची नहीं जा रही है चूंकि वह भूमि राज्य सरकार को एक मुश्त सौदे में हस्तान्तरित कर दी गई थी। अन्य राज्यों में, जहां आवंटन मिथ्या या बढ़े-चढ़े दावों के फलस्वरूप प्राप्त की गई हो, उसे छोड़कर केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को ग्रामीण निश्क्रान्त कृषि-भूमि 450 रुपये प्रति मानक एकड़ की समान दर से हस्तान्तरित की जा रही है। इन मामलों में यदि अतिरिक्त आवंटन दो मानक एकड़ तक हो तो 675 रुपये प्रति मानक एकड़ की दर से लिया जाता है और जो क्षेत्र दो मानक एकड़ से अधिक हो उसके लिये 900 रुपये प्रति मानक एकड़ लिया जाता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा बेची जाने वाली अतिरिक्त भूमि की दरों में कोई अन्तर नहीं है।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण

1658. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960-61 से 1967-1968 तक की अवधि में दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण बोर्ड की प्रति वर्ष कितनी बैठकें हुई तथा कहां कहां हुई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में इन बैठकों में भाग लेने वाले अधिकारियों ने यात्रा भता तथा दैनिक भत्ते के रूप में कितनी रकम ली ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क)

वर्ष	हुई बैठकों की संख्या	स्थान
1960-61	7	कोरापुर उमरकोट छोटा कपसी
1961-62	3	कोरापुर कलकत्ता
1962-63	4	नई दिल्ली भूवनेश्वर कोरापुर
1963-64	3	कलकत्ता नई दिल्ली
1964-65	1	नई दिल्ली
1965-66	3	नई दिल्ली भोपाल भूवनेश्वर
1966-67	3	कोरापुर नई दिल्ली कलकत्ता
1967-68 (31-5-67 तक)	1	कोरापुर
	25	

(ख) जितनी सूचना मिल सकेगी वह एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मद्यनिषेध तथा लगान की समाप्ति

1659. श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में राज्य सरकारें लगान की समाप्ति से होने वाली हानि को पूरा करने के लिये मद्य-निषेध तथा लगान की समाप्ति के प्रश्नों को परस्पर जोड़ रही हैं ; और

(ख) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दो राज्यों (एक में चार जिले आते हैं, और दूसरे में एक जिला) में, जिनमें अब तक मद्य-निषेध को उठाया गया है, मद्य-निषेध की समाप्ति को लगान की समाप्ति से नहीं जोड़ा गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिजो विद्रोहियों की गिरफ्तारी तथा मिजो विद्रोहियों द्वारा अफसरों की गिरफ्तारी

1660. श्री रामपुरे :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री न० कु० सांघी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ :
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में मिजो पहाड़ी जिले में सुरक्षा सेना ने कितने मिजो विद्रोहियों को गिरफ्तार किया है ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) मिजो विद्रोहियों ने कितने भारतीय अधिकारियों को गिरफ्तार किया है ; और

(घ) उन्होंने कितने अधिकारियों को मार दिया है अथवा रिहा कर दिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मार्च, अप्रैल और मई 1967 महीनों में लगभग 1200 मिजो विद्रोही हिरासत में लिये/पकड़े गये ।

(ख) उनके खिलाफ उनके अपराधों की प्रकृति के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) और (घ)—1967 के मार्च से मई महीने तक की अवधि के दौरान अपहरण की केवल

एक घटना की सूचना मिली थी । 9.3.67 को एक ग्राम सेवक को अपहृत किया गया और अभी तक उसका पता नहीं चला है ।

एमर्जेन्सी कमीशन अफसर

1661. श्री मधु लिमये :
श्री डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री सो० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनैन्डीज :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1967 में इस आशय के पत्र तथा परिपत्र जारी किये गये थे जिनमें एमर्जेन्सी कमीशन अफसरों से सीमा सुरक्षा सेना तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के विभागों में डिप्टी सुपरिनटैन्डेण्ट, पुलिस के पदों के लिये उनसे आवेदन पत्र मांगे गये थे;

(ख) क्या इसका विज्ञापन समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था;

(ग) क्या एक विज्ञापन में, जो सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस के नाम से प्रकाशित हुआ था, सभी रिक्त स्थान (लगभग 60) प्रतियोगिता के आधार पर भरे जाने थे और एमर्जेन्सी कमीशन अफसरों के लिये कोई सुरक्षित स्थान नहीं था;

(घ) क्या एमर्जेन्सी कमीशन अफसरों के लिये राष्ट्रीय छात्र सेना दल में कुछ पद सुरक्षित हैं; और

(ङ) कितने एमर्जेन्सी कमीशन अबसर सीमा सुरक्षा सेना भारत–तिब्बत सीमा, पुलिस तथा सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस और राष्ट्रीय छात्र सेना दल में लिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रतिरक्षा मंत्रालल द्वारा दिसम्बर, 1966 में इस आशय के बारे में ऐसे अनुदेश जारी किये गये थे कि पाठ्यक्रम 1 और 2 के वे एमर्जेन्सी कमीशन अफसर, जो सेना में स्थायी नियमित कमीशन के लिये नहीं चुने गये, सीमा सुरक्षा सेना तथा अन्य सशस्त्र पुलिस दलों में कम्पनी कमान्डर के पद पर पुर्ननियुक्ति के लिये सीधे आवेदन पत्र दे सकते थे । चयन-मंडल ने उनका साक्षात्कार लिया तथा उनमें से योग्य व्यक्तियों को नियुक्ति के लिये चुना ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इन दलों में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, के पदों पर सीधी भरती के कोटे के लिये पिछले साल की भांति अलग से विज्ञापन जारी किया गया था । रिक्त पदों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया था ।

एमर्जेन्सी कमीशन अफसरों की उपरोक्त (क) में उल्लिखित विशेष भरती को देखते हुए उक्त विज्ञापन में उनके लिये पद सुरक्षित रखने के बारे में कहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) राष्ट्रीय छात्र सेना दल के जितने पदों की नियमित अधिकारियों अथवा उपयुक्त पुर्ननियुक्ति सैनिक अधिकारियों की भरती द्वारा भरना सम्भव नहीं हो सका उनके लिये ऐसे एमर्जेन्सी कमीशन अफसरों को प्राथमिकता दी जायगी जो स्थायी कमीशन प्राप्त न कर सकें ।

(ङ) अब तक 254 एमर्जेन्सी कमीशन अफसरों को नियुक्ति के लिये चुना गया है। जहां तक राष्ट्रीय छात्र सेना दल का प्रश्न है, आवेदन-पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं और अन्तिम परिणाम का पता तभी लगेगा जब चयन-बोर्डों द्वारा उनकी जांच कर ली जायगी।

Licences for Radio Sets

1662 Shri Mohan Swarup : Will the Minister of Communications be pleased to state

(a) whether Government have recently detected thousands of such persons as have not obtained licences for their radio sets;

(b) if so, the number of such persons; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes Sir,

(b) During the calender year 1966, 1,19,734 unlicensed sets were detected.

(c) Notices are served on persons possessing radio sets without licences, asking them to obtain licences on payment of fee and a surcharge equal to one Year's fee. Those who do not obtain licences even after a second notice, are prosecuted under the Indian Telegraph Act and/or Indian Wireless Telegraphy Act. But mostly they pay up the surcharge and license fee.

Memorandum by Progressive Students Union, Patna

1663. Shri Bibhuti Mishra : Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Progressive Students' Union of Patna submitted to him a memorandum during his visit to Patna;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir.

(b) The main suggestion made in the memorandum is for launching adult literacy campaign in Bihar State on the lines of Gram Shikshan Mohim of Maharashtra.

(c) The memorandum has been forwarded to the Government of Bihar for their comments.

राज्यों से लोगों का निकाला जाना

1664. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में उन राज्यों से बाहर के लोगों को वहां से निकालने के लिये राज्य संगठन बनाये गये हैं; और

(ख) जिन राज्यों में अल्प संख्याकों को बाहर निकाल दिये जाने का खतरा है, क्या उन राज्यों के अल्प संख्यकों ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने के लिये कहा है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : हरियाना, त्रिपुरा, पंजाब, मध्य प्रदेश, मैसूर, अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, गोआ, दमन और दियू, बिहार, उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण, मनीपुर और दिल्ली में ऐसे कोई संगठन नहीं बनाए गए हैं। अन्य राज्यों। संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना भी एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राजनयिकों द्वारा दिये गये भोजों में भाग लेने सम्बन्धी नियम

1665. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी राजनयिकों द्वारा दिये जाने वाले स्वागत समारोहों तथा भोजों आदि में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भाग लिये जाने के बारे में सरकार के कोई स्थायी आदेश हैं ?

(ख) क्या इन आदेशों के उल्लंघन के हाल में किसी मामले का पता सरकार को लगा है अथवा इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र ही सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल योजना

1666. श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 750 से अधिक विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय छात्र सेना की परेडों में उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय छात्र सेना योजना के बारे में शिक्षा (एकेडमी) परिषद में हुई चर्चा से इसके चलने में अनेक त्रुटियों का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विश्वविद्यालय को प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी तथा फरवरी 1967 में विभिन्न कॉलेजों में राष्ट्रीय छात्र सेना दल की परेडों में 767 विद्यार्थियों की उपस्थिति कम के समाचार मिले हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का विचार है कि सत्र के अन्त तक इन विद्यार्थियों में से अधिकांश अपनी उपस्थिति पूरी कर लेंगे।

विश्वविद्यालय की शिक्षा (एकेडमी) परिषद ने इस बीच निर्णय किया है कि प्रथम तथा दूसरे वर्ष की कक्षाओं के वे विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति की कमी 25% से अधिक नहीं है, उनकी कमी इस शर्त पर क्षमा कर दी जायेगी कि वह उच्च कक्षा में अपनी उपस्थिति की कमी पूरी करलें। यह रियायत अन्तिम वर्ष की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं है।

(ख) और (ग) : इस योजना को जारी रखने के प्रश्न पर शिक्षा परिषद में 6 अप्रैल 1967 को चर्चा हुई थी। कुछ सदस्यों ने यह राय प्रकट की कि विद्यार्थियों को दिया गया प्रशिक्षण कारगर नहीं है तथा कोई लाभ नहीं हो रहा है। परिषद ने अधिकार के अनुसार उप कुलपति ने सर्वेक्षण के लिए एक समिति नियुक्त कर दी है कि वह राष्ट्रीय छात्र दल योजना के प्रशिक्षण को सुधारने तथा उसके अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में पता लगायें।

भारत रक्षा नियम

1667. श्री राममूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1966 से 17 मार्च, 1967 तक की अवधि के दौरान भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत त्रिपुरा में कितने मामलों में कार्यवाही की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान जिन मामलों में भारत रक्षा नियम लागू किये गये, उनका व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारत रक्षा नियमों के दुरुपयोग के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं: और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) त्रिपुरा में 1 जुलाई, 1966 से 17 मार्च, 1967 की अवधि के दौरान दो मामलों में भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

(ख) पहले मामले में अगरतला में 28 और 29 अगस्त, 1966 के दंगों के बारे में भारत रक्षा नियमों के नियम 41(5) के अधीन 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से दो संसद सदस्य और चार विधान-मण्डल के सदस्य थे। दूसरे मामले में 27 दिसम्बर 1967 को जब परिवहन कर्मचारियों ने हड़ताल की, तब परिवहन कर्मचारियों के आठ नेताओं को भारत रक्षा नियमों के नियम 41 (5) और 38(2) के अधीन गिरफ्तार किया गया था।

(ग) गृह मन्त्री को सर्व श्री दसरथ देब, विरेनदत्त नृपेन्द्र चक्रवर्ती, एस० डी० वर्मा, चित्त चन्द, सुनील चौधरी, राम चरन देव बर्मा तथा बेनु सेन द्वारा हस्ताक्षरित एक अभ्यावेदन की प्रति प्राप्त हुई थी। इसमें सामान्यत: अभियाचकों की गिरफ्तारी और विशेष रूप से उनकी जमानत मंजूर न किये जाने का बिरोध किया गया था।

(घ) बाद में अभियाचकों को न्यायालयों द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। त्रिपुरा प्रशासन 29 अगस्त, 1966 को पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की न्यायालयिक जांच कराने के बारे में विचार कर रहा है।

चीनी मिलों में जबरी छुट्टी

1668. श्री राममूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :
डा० रानेन सैन :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह आयरवाल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग में काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों को अनिवार्य अवकाश अथवा जबरी छुट्टी लेनी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं: और

(ग) सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) ; (क) से (ग) यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता हैं और भारत सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

Hind Stenographers' Cadre

1669. Shri Ram Singh Ayarwai :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 116 on the 29th March, 1967 and state :

(a) the decision taken by Government on the question of inclusion of Hindi Stenographers in the cadre of English Stenographers;

(b) if not, when it is likely to be taken; and

(c) the difference between the two cadres at present ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :
(a) and (b) : The matter is still under consideration and a decision is expected to be taken shortly.

(c) The posts of Hindi Stenographers are isolated ones created temporarily to meet the immediate requirements of the Ministries and are, therefore, allowed to be filled by the Ministries on an ad-hoc basis. On the other hand, English Stenographers (Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service) are recruited through the U. P. S. C. and are members of a regular cadre.

क्रिकेट मैच के सम्बन्ध में सेन आयोग

1671. श्री प्र० के० देव :
श्री क०प्र० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष कलकत्ता में भारत और वैस्ट इण्डीज के बीच क्रिकेट के टैस्ट मैच स्थगित किये जाने के बारे में सेन जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) इस बात के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि भविष्य में इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय टैस्ट मैच स्थगित न किये जायें; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सेन जांच आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। पश्चिम बंगाल सरकार से तार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर भेजने की प्रार्थना की गई है।

(ख) और (ग) : सेन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होते ही मामले पर विचार किया जाएगा

स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा

1672. श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री रा० बरुआ :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री मणीभाई जे० पटेल :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दत्तात्रेय कुन्ते :
श्री यशपाल सिंह :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा के विकास के लिये हाल में भारत, यूनेस्को और यूनीसेफ के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं: और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस पर भारत सरकार द्वारा अनुमानित व्यय कितना होगा ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) करार की मुख्य बातें यह हैं : सुधरे हुए पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री का तैयार करना, मुख्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार करना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना : स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में प्रयोगशाला की सुविधा देना, विज्ञान के सरल बक्सों का विकास करना तथा विज्ञान सम्बन्धी सामान तैयार करना ।

इस समय के अनुमान के अनुसार इस योजना पर 13·29 करोड़ रु० का खर्च रहेगा जिसमें 6·31 करोड़ रु० यूनीसेफ देगा योजना के पहले दो वर्ष यूनीसेफ 21,82,000 डालर की सहायता देगा तथा सरकार का खर्च 1·11 करोड़ रु० आयेगा ।

दिल्ली के मुकदमे में फैसला

1673. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली के प्रथम श्रेणी के एक मजिस्ट्रेट द्वारा फौजदारी के मुकदमे संख्या 8/2, दिनांक 30 अप्रैल, 1966 में दिये गये फैसले की ओर दिलाया गया है जिसमें उसने कुछ पुलिस आफिसरों की कटु आलोचना की है क्योंकि उन्होंने दुर्भावना, निन्दा तथा बदले की भावना से फौजदारी का एक झूठा मुकदमा बनाया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस न्यायालय ने यह निदेश दिया था कि यह मामला प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाय ताकि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।

(ग) क्या यह भी सच है कि यह मामला डिवीजनल मजिस्ट्रेट की जांच के लिये सौंपा गया था और उससे कहा गया था कि वह जून, 1966 में रिपोर्ट दें; और

(घ) यदि हां, तो किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने में कितना समय लगेगा ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) यह मामला जुलाई 1966 में सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को जांच के लिये सौंपा गया।

(घ) प्रारम्भिक सुनवाई में इन अधिकारियों ने अभ्यावेदन दिया कि जिस न्यायालय ने इनकी भर्त्सना की थी, उसने उन्हें 'कारण बताओ नोटिस' दिया था कि उनको झूठी शपथ लेने के अपराध में दंडित क्यों न किया जाये। इन अधिकारियों ने अपनी आपत्तियां पहले ही न्यायालय में दर्ज करा दी हैं, और मुकदमे की सुनवाई चल रही है। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने जांच का काम रोक दिया क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

अनुसचिवीय कर्मचारी

1674. श्री रा०स्व० विद्यार्थी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री शारदानन्द :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका बचत करने की दृष्टि से अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती करने का है; और

(ख) क्या यह कार्यवाही करने से पहले सरकार ने छटनी किये गये कर्मचारियों को उन अन्य विभागों में जहां कम कर्मचारी हैं अथवा नये विभागों में खपाने की सम्भावना पर विचार किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली और नरेला के बीच टेलीफोन व्यवस्था

1675. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नरेला के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली और बादली के बीच केवल ट्रंक टेलीफोन सेवा की ही व्यवस्था है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली और नरेला के बीच के अन्तर की तुलना में दिल्ली और बादली के बीच का अन्तर बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली और बादली के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हाँ।

(घ) बादली में 50 लाइनों का एक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने की एक प्रायोजना, जिससे दिल्ली मुख्य टेलीफोन प्रणाली में सीधे डायल करने की सुविधा रहेगी, पहले से ही मंजूर की जा चुकी है और उक्त प्रायोजना को यथाशीघ्र पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है।

Sahitya Akademi

1676. **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Rabi Ray :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some persons are to be nominated to the Executive Committee of the Sahitya Akademi;

(b) if so, names of the persons recommended; and

(c) the names of the present President and Secretary of the Akademi ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir;

(b) The question does not arise.

(c) Dr. S. Radhakrishnan is the President of the Sahitya Akademi and Shri K. R. Kripalani is the Secretary.

रूस में प्रकाशित भारतीय लेखकों की पुस्तकें

1677. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री मे० एच० पटेल :

क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लेखकों की कितनी पुस्तकें रूस में प्रकाशित हुई हैं, और

(ख) इन पुस्तकों के भारतीय लेखकों को कितनी रायल्टी दी जाती है तथा किस मुद्रा में ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। रूस अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट अधिसमयों का सदस्य नहीं है।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे हुए व्यक्ति

1678. **श्री पी. विश्वम्भरन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका से स्वदेश लौट कर आये हुये व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) वर्ष 1966–67 में सरकार की पुनर्वास योजना से श्रीलंका से लौट कर आये हुये कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के पुनर्वास के सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये हैं, वे निम्न हैं:—

1. रोजगार दफ्तर के जरिये केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में प्राथमिकता ।
2. रोजगार दफ्तर के जरिये भर्ती की आयु सीमा में 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के लोगों को 50 वर्ष तक छूट दी गई है ।
3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के बारे में आयु तथा शुल्क की रियायतें मंजूर करदी गई हैं ।
4. बर्मा और श्री लंका से लौटे व्यक्तियों के लिये सार्वजनिक संस्थानों में 25 से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत पद आरक्षित रखने के लिये प्रार्थना की गई है ।
5. विशाखापटनम और मद्रास में रोजगार सम्पर्क अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं ताकि उन्हें रोजगार सहायता दी जा सके ।
6. जहां तक संभव होगा वर्तमान बागों में प्लान्टेशन कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिये जो गुन्जाइश होगी उसके बारे में संयुक्त प्लान्टर्स संस्था, दक्षिण-भारत तथा भारतीय चाय बोर्ड की सहायता से छान-बीन की जा रही है ।
7. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, मद्रास तथा मैसूर राज्यों में नये बाग स्थापित करने के प्रस्तावों की छान-बीन की जा रही है ।
8. यह निर्णय किया गया है कि छोटे-मोटे कार्य यह व्यापार या व्यवसाय और मकान तथा व्यापार के लिये स्थान बनाने के लिये ऋण और शिक्षा रियायतें तथा छात्र-वृत्तियां देने के बारे में जो योजनायें बर्मा से लौटे व्यक्तियों के लिये पहले ही मंजूर की गई हैं, वहीं श्रीलंका से लौटे भारतीयों को भी लागू की जायें ।

(ख) भारत श्री लंका करार, 1964 के अधीन भारतीयों का स्वदेश लौटना अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

Delhi Police

1679. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Indrajit Gupta :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri K. N. Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to reorganise the Police Department in Delhi; and

(b) if so, the details of the scheme and when this reorganisation is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla : (a) Yes, Sir,

(b) The details of the scheme are being worked out. It is difficult at this stage to indicate the time by which the reorganisation is likely to be completed.

सरकारी उपक्रमों के लिये पृथक् लोक सेवा आयोग

1680. श्री रामानी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों को भरती करने के लिये एक पृथक लोक सेवा आयोग बनाने के लिये विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) सरकारी उपक्रमों की कर्मचारी सम्बन्धी नीतियां प्रशासनिक सुधार आयोग के विचारार्थ विषयवस्तु का भाग है। सरकार इस सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करना चाहेगी।

Pay-Scales of Chandigarh College Teachers

1681. Shri Balraj Madhok :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pay-scales as recommended by the University Grants Commission have not so far been introduced in the Colleges of the Union Territory of Chandigarh;

(b) whether it is also a fact that the teaching staff of the colleges of Chandigarh have boycotted the University examinations for this year in order to express their discontent in the matter; and

(c) when Government would take a decision in regard to the introduction of pay-scales recommended by the University Grants Commission ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir.

(b) Some teachers boycotted the examinations.

(c) The revision of pay scales of college teachers in Chandigarh is linked with those of the teachers in Punjab and Haryana as the teachers in the Government Colleges are all on deputation from the two States. The Chandigarh Administration has already decided to introduce the revised scales, as and when the Governments of these States adopt them.

Attack on Vice-Chancellor of Aligarh Muslim University

1682. Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 111 on the 29th March, 1967 and state :

(a) whether the report in respect of the attack on the Vice-Chancellor of the Aligarh Muslim University has since been received from the Government of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the broad details thereof and the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The Government of Uttar Pradesh has forwarded a copy of the secret report of the State Intelligence Department in the matter.

(b) It is not in the public interest to disclose the contents of a secret report.

Cases were registered by the State Government against 54 persons including two employees of the University. These cases were subseqnently withdrawn.

दिल्ली में सेवा के लिए मध्य प्रदेश पुलिस का बुलाया जाना

1683. **श्री मणी भाई जे० पटेल** :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री राम मूर्ति :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हुई पुलिस की हड़ताल के दौरान मध्य प्रदेश के कितने पुलिस कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त की गई थीं; और

(ख) क्या इस कार्य के लिये उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन ने मध्य प्रदेश सरकार से, दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये, सैनिक पुलिस की कम्पनियां मंगाई थीं।

(ख) जी नहीं। वे ऐसी प्रतिनियुक्ति को शासित करने वाली सामान्य शर्तों पर प्राप्त की गई थीं।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में परिवर्तन

1684. **डा० रानेन सेन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में कुछ परिवर्तन किये गये हैं; और

(ख) परिवर्तन किन कारणों से किये गये हैं।

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) अभी हाल में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Statehood For Himachal Pradesh

1685. **Shri Sidheshwar Prasad** :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwari :
Shri Prem Chand Verma :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Himachal Pradesh Government have demanded full-fledged Statehood;

(b) if so, the basis thereof; and

(c) the reaction of Government thereto

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) The demand has been made mainly because of the increase in area and population of the Union territory as a result of the reorganisation of Punjab.

(c) There is no proposal at present to alter the present status of this Union territory.

Theft of Antiquities in Madhya Pradesh

1686. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether due to the lack of proper supervision over more than 750 ancient archeological monuments and antiquities, cases of theft are on the increase in Madhya Pradesh;

(b) whether it is a fact that some persons posing themselves as officials of the Archaeological Department and stating that they are taking the antiquities to the National Museum, Delhi, are selling these articles to foreigners; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) There are only 316 centrally protected monuments in Madhya Pradesh from which there were nine thefts, during the years from 1963 upto May, 1967; 3 in 1963, 1 in 1964, 2 in 1965, and 3 in 1967 (upto May).

(b) No such cases have come to Government's notice.

(c) Besides seeking the active co-operation of the police in bringing the culprits to book, steps are being taken to remove loose sculptures of archaeological value to sculpture sheds and museums to the extent possible and to tighten up watch and war darrangements within the existing limitation of funds.

केन्द्र और राज्य सरकारों के परस्पर सम्बन्ध

1687. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक 17 अप्रैल, 1967 में छपे भारत के मुख्य न्यायाधीश के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र और राज्य सरकारों के परस्पर मतभेदों को सुलझाने के लिये सक्षम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) कहा जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि विधायी शक्तियों अथवा किसी कानूनी अधिकार की विद्यमानता अथवा परिणाम के बारे में

केन्द्र और राज्यों के बीच विवादों को निबटाने के लिए विस्तृत व्यवस्थाएं हैं। सरकार उनके इस मत से पूरी तरह सहमत है।

India-Bhutan Postal Agreement

1688 **Shri Mohan Swarup : Shri H.P. Chatterjee : Shri Dattatraya Kunte : Shri S.C. Samanta : Shri Yashpal Singh : Shri Madhu Limaye : Shri S.M. Banerjee : Shri Ram Sewak Yadav : Shri George Fernandes : Dr. Ram Manohar Lohia :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a new agreement regarding Posts and Telegraphs was recently concluded between the Postal Administration of Bhutan and India; and

(b) If so, the main terms thereof ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) Yes Sir. Two Postal arrangements, (one for exchange of letter mails and the other for exchange of money orders) were concluded on 21-4-67.

(b) Letter mail arrangement provides for exchange of Registered and Un-registered articles between the two countries. The Bhutanese postage rates and fees will be in conformity with the Indian postage rates and fees. No transit charges will be payable by either Administration for mails transitted through the other.

Money order arrangement provides for exchange of money orders between the two countries in Indian currency; the maximum limit and rates of commission will be the same as in the Indian inland money order service.

कोयला खानों में लाभांश बोनस

1689. **श्री देवेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्दवान जिले के आसनसोल-सब-डिवीजन के अक्तरा-काजारा-बोमूला क्षेत्र की विभिन्न कोयला खानों को 1965 का लाभांश बोनस नहीं दिया गया है हालांकि इसे बहुत पहले दिया जाना चाहिए था;

(ख) क्या निर्माण प्राधिकारी (केन्द्रीय) आसनसोल द्वारा समझौते के सभी प्रयास असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) आसनसोल सब-डिवीजन के अक्तरा-कोजारा-बोमुला क्षेत्र की 104 कोयला-खानों में से 75 ने लेखा वर्ष 1965 का लाभांश बोनस दे दिया है।

(ख) और (ग) : दोषी कोयला-खानों को कारण बताओ नोटिस देकर उनसे यह जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 का उल्लंघन करने के कारण कार्यवाही क्यों न की जाए। इन कोयला खानों के खिलाफ मुकदमे चलाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

Census Figures

1690. **Shri O.P. Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total population of India and the population of Hindus, Muslims and Christians separately according to 1961–Census; and

(b) the ratio of increase in the population of Hindus, Muslims and Christians in India in a period of ten years between 1951 to 1961 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b) A statement is attached.

Statement

	Population according to 1961 Census	Percentage increase (1951–61)
(1)	(2)	(3)
India	439,234,771	
Hindus	366,502,878*	20·29
Muslims	46,939,357*	25·61
Christians	10,726,350*	27·38

*Excludes population of North East Frontier Agency.

Note :—The Census population by religion is not available for N.E.F.A. for 1961, and for N.E.F.A., J & K. and Pondicherry for 1951. Thus, the two sets of figures are not strictly comparable. The percentage increase shown under column (3) above is, therefore, for the comparable areas.

Assistants and Upper Division Clerks

1691. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Assistants and Upper Division Clerks in his Ministry who belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes; and

(b) the number of these two categories of employees working in the Administrative Wing who belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) 20

(b) 2

Special Allowances to Non-Gazetted Employees

1692. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4545 on the 27th April, 1966 and state :

(a) Whether any Scheduled Caste or Scheduled Tribe person had been appointed to these five posts of non-gazetted employees who are being given daily or monthly special allowances;

(b) if not, whether Government propose to appoint Scheduled Castes or Scheduled Tribes employees in place of any of those persons who may have been working on these posts for a long period; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes; one.

(b) and (c) Do not arise.

Suggestions Received from Public

1693. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of suggestions received from the public in his Ministry during 1966-67;

(b) the number amongst them received in Hindi and English separately;

(c) the action taken thereon; and

(d) the cases out of them filed after acknowledging the receipt only ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (d) : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the results to be achieved.

Employees on Deputation

1694. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of such employees of his Ministry as are on deputation to autonomous bodies and subordinate offices under it; and

(b) the deputation allowance per mensem being paid to them ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) 91.

(b) They are being paid deputation allowance admissible in accordance with the normal rules in each case.

झरिया में खनन कार्य

1695. **श्री वेणीशंकर शर्मा** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया नगर की भूमि में नीचे खनन-कार्य चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यों में कौन सी कम्पनियां लगी हुई हैं;

(ग) क्या ये कम्पनियां सर्वथा कानून के उपबन्धानुसार काम कर रही हैं और क्या रात में जब लोग अपने घरों में सोये रहते हैं तो विस्फोटों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं जिससे उन्हें अपनी सुरक्षा की चिन्ता होती है;

(घ) क्या लोगों की जान तथा माल के लिए खतरा पैदा करने वाले विस्फोट-कार्यों की कानूनन इजाजत है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे गैर-कानूनी कार्यों को बन्द करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं-साऊथ झरिया कालियरी आफ मैसर्स जे० के० बनर्जी एन्ड बदर्स तथा ईस्ट भक्तडीह कालियरी आफ मैसर्स ईस्ट भक्तडीह काल कम्पनी (प्रा०) लि०, झरिया ।

(ग) कोयला खान कम्पनियाँ सर्वथा खान अधिनियम और विनियमन के उपबन्धों के अनुसार काम कर रही हैं । कभी-कभी भूमि के नीचे कार्य-स्थलों पर हुए विस्फोट की आवाज सतह पर सुनाई देती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ये विस्फोट-कार्य जान और माल के लिए खतरा पैदा नहीं करते ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विभाजक कार्यान्वियन समिति का प्रतिवेदन

1696. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या पंजाब विभाजन कार्यान्वियन समिति ने दोनों सरकारों के बीच पूरे किये जाने वाले विभिन्न कामों को पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि, हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वान) (क) और (ख) - पंजाब तथा हरियाना की सरकारों ने, जिनसे परामर्श किया गया, सूचित किया है कि पंजाब विभाजन कार्यन्वियन समिति नाम की कोई समिति नहीं है । हाँ, जनवरी, 1967 में यह निश्चित किया गया था कि संयुक्त पंजाब राज्य पर अधिकार रखने वाले सचिवालय तथा विभागों के अध्यक्षों के कार्यालयों से सम्बन्धित सामान का समझौते द्वारा बटवारा होना चाहिए और पंजाब, हरियाना तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों तथा चंडीगढ़ के मुख्यायुक्त को एकत्र होना चाहिए और इन मामलों को निबटाना चाहिए । यह भी निश्चय किया गया कि पंजाब के संयुक्त राज्य के ऐसे स्टोरों को जो जारी नहीं किये गये पंजाब, हरियाना तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों की एक समिति द्वारा बटवारा किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय चंडीगढ़ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाये । कहा जाता है कि 24 विभागों के स्टोरों का बटवारा समझौते द्वारा किया जा चुका है और

अन्य विभागों के स्टोरों के बटवारे का काम प्रगति पर है। पंजाब सरकार द्वारा उन स्टोरों से सम्बन्धित सूचना भी एकत्रित की जा रही है जो जारी नहीं किये गये। मुख्य सचिवों की समिति सूचना एकत्रित होने के तुरन्त बाद ही, इन स्टोरों के बटवारे का प्रश्न हाथ में लेगी। पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न अन्तर्राज्यीय निगमों के विभाजन की भी योजना बनाई गई है। पता चला है कि अन्य सम्बन्धित सरकारों के साथ परामर्श करके खादी तथा ग्रामोद्योग-मंडल से सम्बन्धित योजना को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा और भी कुछ योजनाओं को अन्तिम रूप देने की शीघ्र ही आशा है ;

रणजीतपुरा (राजस्थान) के निकट मार्टर गोले का विस्फोट

1697. डा० कर्णी सिंह : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रणजीतपुरा, राजस्थान के निकट फरवरी 1967 को मार्टर गोले के विस्फोट के फलस्वरूप नौ बच्चे मारे गये और अन्य कई गम्भीर रूप से घायल हो गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्फोट के कारणों का पता लगा लिया गया है और जो बच्चे मारे गये हैं या घायल हुए हैं उनके परिवारों को कुछ क्षतिपूर्ति दी गई है; और

(ग) उस सारे क्षेत्र से जहां ये गोले भारत-पाक संघर्ष के दौरान पहुँच गये थे ऐसे विस्फोटक गोलों को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) जी हां। 15.2.1967 को बीकानेर जिले में रणजीतपुरा के निकट मार्टर गोले के विस्फोट में नौ बच्चे मारे गये थे और एक स्त्री तथा एक बच्चा घायल हुए थे।

(ख) ईंधन चुनते समय बच्चों ने 1965 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान वहां पड़े रह जाने वाले एक तीन इंची मार्टर बम को उठा लिया। लड़कों में से एक ने बम पर कुल्हाड़ी से चोट की जिसके फलस्लरूप वह फट गया। मारे गये तथा घायल बच्चों के परिवारों को क्षतिपूर्ति देने (यदि कोई दी जानी है, तो) के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ग) यदि इन क्षेत्रों में कोई बम तथा राकेट फटने से बच गये हों तो उनका पता चला कर उनको निशक्त करने के लिये सेना द्वारा आवश्यक कदम उठाये गये थे और इक्के दुक्के बिना फटे गोलों और बमों की लगातार तलाश की जाती है।

दक्षिणी अफ्रीका की जाति-भेद की नीति

1698. श्री ही ना० मुकर्जी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ अफ्रीकी देशों द्वारा प्रारम्भ किये गये गये इस आन्दोलन की ओर दिलाया गया है कि खेल-कूद के मामले में दक्षिण-अफ्रीका 'जाति-भेद' की नीति त्याग दे या 1968 में मेक्सिको में होने वाले ओलम्पिक खेलों से उसे दूर रहने के लिये बाध्य कर दिया जाये; और

(ख) क्या सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संघ तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं को इस संबंध में यथावश्यक निर्देश दिए हैं।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय पर भारतीय ओलम्पिक संस्था को आवश्यक सलाह दे दी गई है।

लौह–अयस्क खान श्रम कल्याण निधि

1699. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के अन्तर्गत अब तक कितना धन एकत्रित हो गया है;

(ख) एक मीट्रिक टन लोहा अयस्क के उत्पादन पर कितना उपकर लिया जाता है; और

(ग) इस विधि में से कितना धन खर्च कर दिया गया है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) लगभग 165.34 लाख रुपये

(ख) 25 पैसे प्रति टन।

(ग) लगभग 21·79 लाख रुपये।

Status of Union Territory to Mizo Hills

1700. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri George Fernandes :
Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Rai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) Whether Government have decided to grant to Mizo Hills the status of a Union Territory; and

(b) If so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

Preservation of Folk-Lores

1701. Shri P.L. Barupal : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) Whether, in view of the fast disappearance of our ancient folk-lores in various regions of the country, Government have under consideration any measures for their preservation; and

(b) If so, the details thereof ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) : The Sangeet Natak Akademi has a programme for the revival and preservation of folk music, folk dance and folk drama. The following steps have been taken by the Akademi:—

(i) Collecting of large material in the form of tape music, films and photographs pertaining to these art forms;

(ii) Organising Seminars and festivals in which folk art forms always formed an integral part;

(iii) Assisting the publication of research papers pertaining to these art forms by giving financial assistance;

(iv) Giving financial assistance to other institutions engaged in the field of performing arts.

(v) The Akademi has also a scheme for a comprehensive survey of the folk music, folk dance and folk drama in the Fourth Five Year Plan and for the expansion of its Museum of Musical Instruments, Folk Costumes and Masks etc.

The Lalit Kala Akademi, the Sahitya Akademi and All India Radio have also some programmes in their respective fields for preservation of folk-lore and art.

Samadhis of Martyrs

1702. Shri P.L. Barupal : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the samadhis of immortal martyrs Sardar Bhagat Singh and Raj Guru Sukhdev had been lying in dilapidated condition; and

(b) If so, the steps taken to renovate the important samadhis ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Government have no information.

(b) As the samadhis are less than one hundred years old, the question of their protection and preservation does not fall within the scope of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

Archaeological Excavations in Ganganagar District

1703. Shri P.L. Barupal : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) The conclusions drawn from the archaeological excavations carried out at Kalibanga in Ganganagar district of Rajasthan;

(b) Whether the excavation would be continued for finding out antiquities; and

(c) If so, the amount proposed to be spent on this and the time likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Excavations at Kalibangan have revealed two periods of occupation at the site. Of these, the upper one (Period II) was Harappan (circa 2300-1800 B.C.). The lower settlement (Period I), being pre-Harappan, was found to be enclosed by a mud-brick fortification wall. The Harappan settlement (Period II) consisted of two principal parts : (a) the citadel and (b) the lower city. While the citadel was located on the site of the abandoned pre-Harappan settlement, the lower city was laid out about 40 meters to the east of it. The citadel consisted of two separately patterned and almost equal parts, each of which was enclosed by a fortification wall. The southern half contained four to six mud-brick platforms, some of which might have been used for religious or ritual purposes. The northern half of the citadel contained residential buildings of the elite. The lower city

was also perhaps fortified. Within it were found north-south and east-west running thorough-fares with house-blocks in characteristic grid pattern.

(b) Yes, Sir, but only on a small scale to complete some details.

(c) Rs. 50,000, The work is likely to be completed during this year.

निजी थैलियां

1704. **श्री वामानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में निजी थैलियों की राशि में कोई घटा बढ़ी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) – एक और मामले में विलीनीकरण समझौते की व्यवस्था के अनुसार कम राशि दिये जाने के कारण 40,000 रु० प्रति वार्षिक की कमी हुई हैं ।

ताजमहल

1705. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ताजमहल की इमारत के बारे में 'मदर इण्डिया' पत्रिका के फरवरी, 1967 के अंक में प्रकाशित श्री पी० एन० ओक के "दि मौस्ट सन्सेशनल डिस्कवरी इन 300 इयर्ज" (तीन सौ वर्षों में सर्वाधिक रोमांचकारी खोज) नामक लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या लेखक द्वारा किये गये सनसनीपूर्ण रहस्योद्घाटन को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त लेख में कही गई बात की सच्चाई की जांच करने के लिए सरकार का विचार इतिहासकारों तथा पुरातत्ववेताओं की एक समिति नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह मुख्य रूप से विद्वानों और अनुसंधान संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपनी मान्यताओं को सिद्ध करें ।

डा० जोशी की हत्या के मामले से संबंधित फाइल का गुम होना

706. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० जोशी की हत्या के मामले सम्बन्धित फाइल जिसमें मुकदमे की सुनवाई करने वाले सैशन जज का फैसला शामिल है, दिल्ली न्यायालयों के अभिलेख-कक्ष (रिकार्ड रूम) से गुम हो गई हैं;

(ख) क्या इस फाइल का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सैशन जज के न्यायालय में भारतीय दंड-संहिता की धारा 302 के अधीन 1.6.1948 को निर्णीत मामला राज्य विरुद्ध अब्दुल गनी कुरैशी दिल्ली अभिलेख–कक्ष में नहीं हैं।

(ख) और (ग) – जिला तथा सैशन जज द्वारा एक जांच शुरू की गई है और उसका कार्य प्रगति पर है।

अहमदाबाद डाकघर

1707. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी डाकघर में प्रथम श्रेणी का पोस्टमास्टर नियुक्त करने के लिये कितना काम तथा कितने कर्मचारी होने चाहिए;

(ख) अहमदाबाद डाकघर में कितना काम और कर्मचारी हैं; और

(ग) अहमदाबाद डाकघर में प्रथम श्रेणी पोस्टमास्टर नियुक्त नहीं करने के क्या कारण हैं ?

संसद–कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) डाकघरों को प्रथम श्रेणी के पोस्टमास्टरों के अधीन उनमें काम करने वाले क्लर्कों की संख्या के आधार पर रखा जाता है। सामान्यत: वे ही डाकघर, जिनमें 300 क्लर्क होते हैं, प्रथम श्रेणी के 'पोस्टमास्टर के कार्यभार के अधीन रखे जाते हैं।

(ख) अहमदाबाद के बड़े डाकघर में 166 क्लर्क हैं।

(ग) अहमदाबाद डाकघर में प्रथम श्रेणी का पोस्टमास्टर इसलिए नहीं लगाया गया है कि इस डाकघर में क्लर्कों की संख्या 300 से बहुत कम है।

Quarters at Hudson Lines and Outram Lines Delhi

1708. Shri Hardyal Devgun : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints of irregularities in regard to recovery of cost of quarters located at Hudson Lines and Outram Lines, Delhi;

(b) whether it is a fact that the cost was to be recovered in eight annual instalments but now the purchasers are served with notices for paying several instalments together with interest; and

(c) if so, the action proposed to be taken to remove these irregularities and to recover the costs in future by simple annual instalments ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) No.

(b) According to Rule 42 of the D. P. (C&R) Rules, the non-claimant DPs had to pay 20 per cent of the cost by 31-10-59 and the balance with interest in seven equated annual instalments. The defaulters are being issued notices for payment of the arrears due from them.

(c) Does not raise.

कार्यालयों का नागपुर ले जाया जाना

1709. (**श्री देवराव पाटिल**) : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोस्मास्टर जनरल के कार्यालय को नागपुर से भोपाल ले जाने के बाद क्या सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण डाक तथा तार कार्यालयों को दूसरे स्थानों से नागपुर ले जाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्वाह व्यय का देशनांक

1710. **श्री रामचन्द्र उलाका, :** **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री ख० प्रधानी, **श्री हीरजी भाई :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निर्वाह व्यय का देशनांक बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में कितना बढ़ा है:

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) और (ख) : 1966-67 में दिल्ली के औद्योगिक कामगारों से सम्बन्धित मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में जो वृद्धि हुई वह निम्न तालिका में बताई गई है:—

वर्ष	मास	सूचकांक आधार 1960 = 100
1966	जनवरी	138
	फरवरी	138
	मार्च	140
	अप्रैल	142
	मई	145
	जून	150
	जुलाई	151
	अगस्त	151
	सितम्बर	151
	अक्टूबर	152
	नवम्बर	154
	दिसम्बर	155
1967	जनवरी	157
	फरवरी	159
	मार्च	161
	अप्रैल	162

उड़ीसा में बकाया टेलीफून आये

1711. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री ख० प्रधानी :**
श्री घुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय टेलीफोन बिलों की कुल कितनी राशि वसूल की जानी बकाया है; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) 31 अक्तूबर, 1966 तक भेजे गए बिलों के 1 फरवरी 1967 को 9·83 लाख रुपये।

(ख) दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने की कार्रवाई की गई है। शीघ्र निपटान कराने की दृष्टि से दोषी उपभोक्ताओं को समझाने-बुझाने और आवश्यक होने पर कानूनी कार्रवाई करने जैसे दूसरे विशेष कदम भी उठाये जा रहे हैं। अधिक कारगर कार्रवाई करने के लिए कटक डिवीजन का टेलीफोन आय का काम 1 सितम्बर, 1966 से कलकत्ता से कटक स्थानान्तरित कर दिया गया है।

उड़ीसा में डाक व्यवस्था

1712. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 के अन्त तक उड़ीसा के कितने गांवों में डाक व्यवस्था की जा चुकी थी; और

(ख) 1967-68 में कितने गांवों में डाक व्यवस्था करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) उड़ीसा में सभी गांवों में डाक सेवाओं की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

पुनर्वास उद्योग नियम

1713. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पुनर्वास उद्योग निगम ने जिन विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों को ऋण दिये थे उनकी ओर 30 अप्रैल, 1967 को ऋण की कितनी राशि बकाया थी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री ल० ना० मिश्र) :

30 अप्रैल, 1967 तक, ऋण तथा ब्याज के बकाया का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 553/67]

सी० आई० ए० द्वारा नाविक संघ को सहायता

1714. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :

श्री प० गोपालन : श्री स० चं० सामन्त :
श्री के० रमानी : श्री श० ना० माइती :
श्री उमानाथ : श्री त्रिदिव कुमार चौधरी
श्री नम्बियार : श्री काशीनाथ पाण्डे :
श्री मोहसिन : श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री वासुदेवन नायर : श्री प्र० के०देव :
श्री जनार्दनन : श्री के० प्र० सिंह देव:
श्री शशिरंजन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका की केन्द्रीय गुप्तचर अभिकरण (सी०आई०ए०) ने भारत में नाविक संघों का संगठन करने में सहायता दी थी;

(ख) क्या सरकार ने अब यह पता लगा लिया है कि भारत में किन-किन नाविक संघों को केन्द्रीय गुप्तचर अभिकरण से धन मिला है; और

(ग) यदि हां; तो उन संघों के पदाधिकारियों का ब्योरा क्या है तथा वे संघ किस से सम्बद्ध हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार देखे हैं कि अमरीका के केन्द्रीय गुप्तचर अभिकरण ने भारत में नाविक संघों का संगठन करने में सहायता दी थी।

(ख) और (ग) : जांच कराई जा रही है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम

1715. श्री मोहसिन : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के स्थान पर एक नया विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : **(क) तथा (ख)** : जी हां, वर्तमान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन करने के लिए जितना जल्दी संभव होगा एक विधेयक लाया जायगा।

राजस्थान में पंचायत समितियों के कार्यालय

1716. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री स० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 तक राजस्थान में पंचायत समितियों के कितने कार्यालयों में टेलीफोन लगे हुए हैं ; और

(ख) 1967–68 में उस राज्य में पंचायत समितियों के कितने कार्यालयों में टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 30 अप्रैल, 1967 को ऐसे 177 स्थानों पर, जहां पंचायत समिति के कार्यालय हैं, टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई थी।

(ख) 1967–68 के दौरान ऐसे 15 स्थानों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दिये जाने की संभावना है।

जब कभी आवेदन-पत्र प्राप्त हों ऐसे सभी स्थानों पर पंचायत समिति के कार्यालयों में किराये के आधार पर टेलीफोन की व्यवस्था की जा सकती है।

राजस्थान में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

1717. **श्री बुलेश्वर मीना** :　　　　**श्री हीरजी भाई** :
श्री रामचन्द्र उलाका :　　　　**श्री ख० प्रधानी** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सर्किल के डाक व तार विभाग के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें 30 अप्रैल, 1967 तक सरकारी रिहायशी मकान मिल चुके थे : और

(ख) क्या 1967–68 में राजस्थान सर्किल में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 972।

(ख) जी हां।

(ग) (i) **निर्माण हो रहे क्वार्टर** :

पिलानी— 4। लगभग 40,000/– रु० व्यय होगा।

केकड़ी — 4। लगभग 40,000/– रु० व्यय होगा।

(ii) **1967–68 के लिए प्रस्तावित क्वार्टर** :

बिलारा— 4। लगभग 66,000 रु० व्यय होगा।

बीवाड़ — 1। लगभग 25,000 रु० व्यय होगा।

(iii) जयपुर में 7 लाख रु० की लागत के 56 क्वार्टर निर्माण करने के कार्य पर भी आगे कार्यवाही हो रही है।

राजस्थान में डाकघर

1718. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को राजस्थान में कितने शाखा डाकघर, उप डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर थे ; और

(ख) वर्ष 1967–68 के दौरान इस राज्य में ऐसे कितने और कार्यालय खोलने का विचार है ?

संसद–कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) शाखा डाकघर	5020
उप डाकघर	659
सार्वजनिक टेलीफोन घर	226

(ख) वित्तीय कठिनाइयों के कारण नये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने पर पाबन्दियां लगा दी गई हैं । यदि ये हटा ली जाएं तो 124 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, 10 विभागीय उप डाकघर तथा 20 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने की संभावना है ।

राजस्थान में टेलीफोन लगाना

1719. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को राजस्थान के विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन लगवाने के कितने प्रार्थना–पत्र अनिर्णित पड़े थे ; और

(ख) इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 5,314 ।

(ख) ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देने के लिए नये एक्सचेंज खोलने, मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने और जमीन के नीचे केबल डालने के प्रयत्न लगातार किये जा रहे हैं ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में छंटनी

1720. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् कर्मचारी संघ ने परिषद् के कार्यालय तथा इसकी प्रयोगशालाओं में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी रोकने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या उन्होंने महंगाई भत्ते के कुछ अंश का भुगतान राष्ट्रीय ऋण-पत्रों के रूप में

अथवा अनिवार्य जमा योजना को पुन: आरम्भ करके उस रूप में दिये जाने के प्रयास का भी विरोध किया है और उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ मकानों की सुविधा, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन-क्रम निर्धारित किये जाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् कर्मचारी संघ से ऐसा कोई अभिवेदन अथवा मांग प्राप्त नहीं हुई है।

प्रसंगत: छटनी करने का कोई भी प्रस्ताव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बढ़ने वाले सावधिक जमा खाते

1721. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

श्री मुहम्मद इमाम :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के पास बढ़ने वाली सावधिक जमा खातों में जमा बहुत बड़ी राशि अभी लोगों को देनी बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और सम्बन्धित व्यक्तियों को उस राशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) सावधि संचयी जमा लेखे तीन प्रकार के होते हैं अर्थात् 5 वर्षीय, 10 वर्षीय और 15 वर्षीय। सावधि संचयी जमा योजना 1 जनवरी, 1959 से प्रारम्भ की गई थी। अत: अभी तक 1 जनवरी, 1964 के बाद से केवल 5 वर्षीय सावधि संचयी जमा लेखों की अवधि ही अदायगी के लिए समाप्त हुई है। 31 मार्च, 1962 तक खोले गए 6,20,214 पाँच वर्षीय सावधि संचयी जमा लेखाओं में से 31 मार्च, 1967 तक 3,55,442 लेखे बन्द किये जा चुके हैं। जब तक जमाकर्त्ता लेखा बन्द करने और भुगतान लेने के लिए डाकघर में न आए, विभाग के लिए भुगतान करना संभव नहीं है।

उड़ीसा तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा विवाद

1722. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **गृह कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हाल में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में उड़ीसा और बिहार राज्यों के बीच विद्यमान सीमा विवाद पर चर्चा हुई थी ;

(ख) क्या इस सम्मेलन में उड़ीसा सरकार ने यह मामला उठाया था ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिये गये ;

(घ) क्या परिषद् का ध्यान बिहार के सिंहभूम जिले के उड़िया भाषी लोगों की कठिनाइयों की ओर दिलाया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके हितों के संरक्षण के लिये क्या निर्णय किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख)—जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी हां।

(ङ) बैठक की कार्यवाही जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ, परिषद् के निर्णय भी दिये जायेंगे अन्तिम रूप से तैयार होते ही सामान्य रूप से संसद के पुस्तकालय में रख दी जायगी ।

टेलीफोन आपरेटरों द्वारा अभिवादन

1723. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि दिल्ली में टेलीफोन आपरेटर 'गुड मार्निंग' से अभिवादन न करके 'नमस्कार' शब्द का प्रयोग किया करें ; और

(ख) यदि हां, तो पूरे भारत में इस हिन्दी शब्द का प्रयोग कब आरम्भ किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दिल्ली में पहले से ही उक्त प्रस्ताव 17 मई, 1967 से लागू किया जा चुका है ।

(ख) फिलहाल समूचे भारत में इस नये शब्द का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये प्रतिमायें

1724. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय ने विदेशों से कुछ प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उनको भारत में लाने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, राष्ट्रीय संग्रहालय को मिलीं भेटों द्वारा ।

(ख) राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की गई ।

School Text Books

1725. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints to the effect that corruption is rampant in the schools with regard to the text books;

(b) whether Government have received suggestions to the effect that the text books should be nationalised and if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government have made a suggestion to the State Governments that the text books for the students up to 10th standard be approved once after due considera-

tion and they should be continued for many years and that the system of according approval every year should be done away with, and if so, the reaction of each State Government thereto ?

The Minister of State for Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) The text books are approved and prescribed by the State Governments. It is, therefore, not possible for the Ministry to say if corruption is rampant in the schools with regard to text books.

(b) and (c) The question of nationalisation of text-books rests with the State Governments. No such suggestion has been made by the Central Government. However according to the information available in the Ministry, all State Governments except Gujarat have nationalised text-book production at various stages and in varying degrees.

Post Offices in Villages

1726. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Communications** be pleased to state ;

(a) the population limit fixed for opening Post Offices in villages during the Fourth Plan period;

(b) whether Government propose to open Post Offices in villages having High Schools and Colleges irrespective of their population;

(c) whether the expenditure on rural Post Offices is incurred in proportion to their incomes or it is uniform; and

(d) the average annual expenditure incurred on each rural Post Office ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Post Offices are opened in villages or groups of villages within a radius of two miles, with a population of 2,000 and more provided the distance from the existing Post Office is not less than 3 miles and the loss does not exceed Rs. 750/- per annum. Post Offices can also be opened in groups of villages with a population of less than 2,000 provided the distance from the existing post office is not less than 3 miles and the loss does not exceed Rs. 500/- per annum. The distance limit from the existing post office is reduced to 2 miles in places which are headquarters of Community Projects, NES Blocks or where there are schools run by Zilla Parishads or Local Boards or schools approved by or receiving aid from State Governments. In areas declared as 'very backward' there is no restriction regarding the minimum population. However, post offices may be opened regardless of population or distance factor if the interested party undertakes to bear the total cost of working by payment of non-returnable contribution.

(b) No Sir.

(c) No Sir. Subject to other conditions being satisfied, post office can be opened if the difference between the annual expenditure and income is within the permissible limit of loss applicable in the particular case.

(d) Rs. 1,0000/- approximately.

Rehabilitation of Displaced Persons From East Pakistan in Meerut

1727. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn a scheme to rehabilitate displaced persons from East Pakistan in Meerut;

(b) whether it is a fact that the said rehabilitation work is being done by the Indian Branch of the International Christian Organisation instead of Government;

(c) whether it is also a fact that the said displaced persons are given jobs arbitrarily but not according to their aptitude and education and consequently most of them refuse to accept the said jobs; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) :

(a) Government have drawn up a number of schemes to rehabilitate the displaced persons from East Pakistan in Meerut District. A list of these schemes, together with the number of displaced persons proposed to be rehabilitated in each scheme, is given in the statement given below—

Statement

S. No.	Scheme	Number of displaced persons to be rehabilitated.
1.	Financial assistance to a private Spinning Mill at Hastinapur on condition of employment of displaced persons.	600 (items 1 and 2)
2.	Scheme for imparting training to displaced persons to be employed in the Spinning Mill at Hastinapur.	
3.	Financial assistance to Co-operatives of displaced persons for setting up a power loom unit with 250 looms at Hastinapur.	250
4.	Financial assistance to displaced persons taken as apprentices in private industrial units at Meerut with a view to eventual employment in those units.	200
5.	Financial assistance by the Rehabilitation Industries Corporation to a private party for setting up a Wood Working Unit at Hastinapur.	200
6.	Setting up of a unit for agricultural implements by the Rehabilitation Industries. Corporation.	100
7.	Industrial Training Institute at Hastinapur.	126
8.	Unit for making Cement Concrete products at Hastinapur.	95
9.	Settlement of displaced persons as fishermen in the Ganga Khadar area at Hastinapur.	25

(b) All the schemes are being implemented or will be implemented through the agency of the U. P. Government or the Rehabilitation Industries Corporation. There is, however, another scheme which is in the process of implementation by the National Christian Council for the agricultural rehabilitation of 50 families of migrants from East Pakistan in the Ganga Khadar area in Hastinapur. This is an experimental scheme taken up voluntarily by the National Christian Council.

(c) No Sir.

(d) Does not arise

Development and Management Of Hastinapur

1728. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Central Government representatives who share the responsibility with the State Government representatives for the development and management of

Hastinapur, District Meerut, U. P. and the percentage of the expenditure borne by the Centre;

(b) the time likely to be taken for the rehabilitation work at the above place and the expenditure likely to be incurred thereon; and

(c) whether it is a fact that the State Government did not mobilise their share of resources during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) :

(a) Two representatives of the Central Government are members of the Hastinapur Town Development Board. The Central Government bears the deficit in the income and the expenditure of the Board subject to a maximum of Rs. 10,700/- per annum.

(b) The schemes already sanctioned or under consideration are likely to be completed in three years and are estimated to cost about Rs, 97 lakhs.

(c) No.

Arms Recovered From Mizos

1729. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Security Forces seized a big dump of arms from the Mizo Hostiles near Phailang in early May, 1967;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the names of the countries which the said arms bore; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :
(a) No, Sir.

(b) to (d) : Do not arise.

हिमाचल प्रदेश के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय का बेंच

1730. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय की हिमाचल बेंच ने 3 मई, 1967 से शिमला में काम करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बेंच पर वर्ष भर में कितना व्यय होगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) जी हां, 1 मई 1967 से।

(ख) इस बेंच पर होने वाले व्यय के निर्धारण का आधार अभी विचाराधीन है।

Metropolitan Council, Delhi

***1731. Shri Hardayal Devgun :**
Shri Yashpal Singh :
Shri S.C. Samanta :
Shri A.K. Kisku
Shri S.N. Maiti
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) Whether all the powers generally included in the State List have been trans-

ferred to the Lt. Governor by the various Ministries of the Central Government consequent upon the creation of Metropolitan Council in Delhi;

(b) Whether Government's attention has been drawn towards the statement of the Chief Executive Councillor of Delhi that several subjects and powers have not been transferred to Delhi Administration by several Ministries even after the creation of Metropolitan Council; and

(c) The steps proposed to be taken by Government to remove this complaint ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The State List in the Constitution contains entries in respect of which a State legislaure is competent to legislate. So far as Delhi is concerned, Parliament has the power to legislate in regard to these matters and this power has not been transferred to the Lt. Governor.

(b) and (c) The Government's attention has been drawn to the statement of the Chief Executive Councillor of Delhi, as published in the 'Hindustan Times' dated the 9th, May, 1967, that the Delhi Milk Scheme and all hospitals in the Capital should be brought under the control of the Delhi Administration. These matters and the question of delegation of powers now execrised by Ministries to the Lt. Governor were discussed by the Chief Executive Councillor with the Home Minister on the 27th May, 1967. It was indicated during these discussions that the transfer of Safdarjung Hospital and Willingdon Hospital was not feasible, as these two hospitals were primarily meant to cater to the needs of the Central Government Servants and their families and were apex institutions of the Central Government Health Services Dispensaries in the city. The transfer of the Delhi Milk Scheme to the Delhi Administration is being examined by the Ministry of Food and Agriculture. In respect of powers to be delegated to the Lt. Governor by various other Ministries, it was suggested that the Delhi Administration should send detailed proposals to the respective Ministries for their consideration.

बड़ा डाकघर, भुवनेश्वर

1732. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर का क्षेत्रफल बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भुबनेश्वर के बड़े डाकघर में कितने पत्र तथा अन्य प्रकार की डाक आती जाती है; और

(ग) पत्रों के शीघ्र तथा समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिये भुवनेश्वर के बड़े डाकघर में वितरण और छंटाई कर्मचारियों में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उठाये गए प्रश्नों के सम्बन्ध में एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

I. भुवनेश्वर के बड़े डाकघर में औसतन प्रतिदिन निपटाये जाने वाले पत्र तथा अन्य डाक-वस्तुओं की संख्या

(क) वितरण के लिए प्राप्त बेरजिस्ट्री वस्तुएं

डाकियों के द्वारा	—	6489
पोस्ट-बक्सों के द्वारा	—	6669

(ख) प्रेषण के लिए डाक द्वारा भेजी गई बेरजिस्ट्री वस्तुएं–23,170 (छटाई का काम भुवनेश्वर प्रधान डाकघर और छटाई कार्यालय (रेल डाक–व्यवस्था) में किया जाता है।)

(ग) प्रेषण के लिए डाक द्वारा भेजी गई उन वस्तुओं की संख्या जिनका लेखा रखा जाता है :

रजिस्ट्री पत्र	–	251
बीमा पत्र	–	5
मूल्य–देय पत्र	–	2
रजिस्ट्री पार्सल	–	30
मनी आर्डर	–	110

(घ) वितरण के लिए प्राप्त उन वस्तुओं की संख्या जिनका लेखा रखा जाता है :

रजिस्ट्री पत्र	–	691
बीमा पत्र	–	2
मूल्यदेय पत्र	–	17
रजिस्ट्री पार्सल	–	108
मूल्यदेय पार्सल	–	4
बीमा पार्सल	–	1
दत्त मनीआर्डर	–	155
अदत्त मनीआर्डर	–	23

II पत्रों का शीघ्र और समय पर वितरण के लिए भुवनेश्वर के बड़े डाकघर में वितरण व छंटाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उठाये गए कदम

उक्त डाकघर के कर्मचारियों की स्थिति का पिछली बार 22 फरवरी, 1967 को पुनरीक्षण किया गया था, जिसके फलस्वरूप आठ डाकियों, एक पाठक डाकिये तथा एक वितरण क्लर्क की मंजूरी दी गई थी। फरवरी, 1967 में एक और वितरण–कार्यालय अर्थात् भुवनेश्वर-6 खोला गया। यह भी निश्चय किया गया है कि 1 जून, 1967 से गश्तों की संख्या भी 14 से बढ़ाकर 18 कर दी जाए।

भुवनेश्वर के बड़े डाकघर में कार्य-भारित कर्मचारी

1733. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भुवनेश्वर के बड़े डाकघर के 40 विभागीय कर्मचारियों में से 30 कर्मचारी दस दिन के कार्य–भारित आधार पर काम कर रहे हैं :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि ये तीस व्यक्ति नियुक्ति करने वाले अधिकारियों की दया पर नियुक्त किये गये हैं और इनसे निजी काम करवाया जा रहा है: और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख)—यह बात सही नहीं है कि भुवनेश्वर के बड़े डाकघर में 40 विभागीय कर्मचारियों में से

30 कर्मचारी 10 दिन से कार्यभारित आधार पर काम कर रहे हैं। जब किसी प्रधान डाकघर में डाकियों और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के संवर्ग में कर्मचारियों की इतनी कमी हो जाए कि वह छुट्टी के लिए आरक्षित कर्मचारियों की संख्या से अधिक हो तो कभी-कभी कुछ व्यक्तियों को कार्य-भारित आधार पर नियुक्त कर लिया जाता है।

(ग) और (घ)—ऐसे बाहरी व्यक्तियों को कार्यालय-अध्यक्ष या कार्यालय के किसी अन्य स्थायी कर्मचारी की जिम्मेदारी पर नियुक्त किया जाता है। दो कर्मचारियों से निजी काम कराने के आरोप प्राप्त हुए थे। जांच करने पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्धी भारतीय स्कूल

(इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज)

1734. **श्री य० अ० प्रसाद :**

श्री म० कु० सांघी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्धी भारतीय स्कूल के कार्यकलापों की जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक दल भेजने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : जी नहीं। इस प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से बातचीत की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक पुनर्विलोकन समिति को, जिसने 1965 में स्कूल के कार्य की जांच की थी, स्कूल के शिक्षा कार्यक्रमों और वित्तीय प्रबन्ध में कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली। समिति ने स्कूल को विश्वविद्यालय 'समझे जाने' के बारे में मान्यता को जारी रखने से सहमति प्रकट की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और मैं इससे सहमत हूं कि इसे देखते हुए स्कूल के कार्य की जांच-पड़ताल के लिए एक अन्य दल नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए सहायता

1735. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 और 1966-67 में उत्तर प्रदेश को राज्य में सांस्कृतिक केन्द्रों के निर्माण के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) विवरण नीचे दिया गया है।

1965-66

नारी सेवा समिति लखनऊ को सभा भवन बनाने के लिए 17,686/- रु०।

1966-67

लखनऊ स्थित भारतीय संगीत का भातखंडे कॉलेज के भवन के निर्माण के लिए 7,500 रु०। 1966-67 में सहायता लेने वालों ने यह रकम राशि ली नहीं है।

विश्वविद्यालयों में परामर्शदान केन्द्र

1736. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्यार्थी कल्याण तथा सम्बद्ध मामलों से सम्बन्धित विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की समिति ने विद्यार्थियों की भावनात्मक समस्याओं को हल करने के लिये विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में परामर्शदान केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन)—(क) समिति ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में समुचित रूप से गठित परामर्श पद्धति संगाठत करने का सुझाव दिया है, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि यदि साधनों की कमी के कारण इसे बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सके, तो ट्यूटोरियल पद्धति में सुधार करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए।

(ख) सरकार, आम तौर पर सुझावों से सहमत है।

भारतीय प्रशासन सेवा का प्रशिक्षण

1737. **डा० मा० संतोषम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा के लिये चुने गये युवकों तथा युवतियों को उन्हें विभागाध्यक्ष अथवा जिला प्रशासक का स्वतंत्र रूप से कार्यभार देने से पहिले कितनी अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) क्या प्रशिक्षण की कोई निर्धारित अवधि है और यदि हाँ, तो क्या सभी राज्यों में यह अवधि समान है;

(ग) लम्बी सेवा और अनुभव के आधार पर निचले पदों से पदोन्नत किये जाने वाले अधिकारियों की तुलना में ये व्यक्ति कितने कार्य कुशल होते हैं;

(घ) क्या स्वतंत्र कार्य भार वाले उत्तरदायी प्रशासनीय पदों की पात्रता के लिये भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के लिये आयु सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की प्रशासनीय पदों पर नियुक्ति करने से पहले न्यूनतम आयु अथवा अनुभव की न्यूनतम अवधि निश्चित करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख)—परीक्षा द्वारा भरती किये जाने वाले उम्मीदवारों को विभागाध्यक्ष अथवा जिला अधिकारी जैसे वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण देने के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन रूप से नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त करने के लिये कनिष्ठ पदों पर भी नियुक्त किया जाता है। स्वर्गीय श्री वी० टी० कृष्णामचारी ने भारतीय तथा राज्य प्रशासन सेवाएं तथा जिला प्रशासन की समस्याएं नामक अपने प्रतिवेदन में परीक्षा द्वारा भरती किये जाने वाले उम्मीदवारों को जिले का कार्य भार सौंपने से पूर्व दिये जाने के लिये एक प्रशिक्षण व्यवस्था को सिफारिश की थी और सलाह दी थी कि सेवा के छठे या सातवें वर्ष के अन्त में जिले का कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए इन सिफारिशों का पालन कर रही हैं।

(ग) भारतीय प्रशासन सेवा के लिये वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षा एक बहुत ऊंचे स्तर की परीक्षा है और प्रत्येक राज्य संवर्ग के 75 प्रतिशत पदों की भरती इसके जरिए की जाती है। राज्य सिविल सेवा अधिकारी, जो आठ वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, वरिष्ठ पदों में से शेष 25 प्रतिशत के लिये चयन द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा में नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के हकदार होते हैं। अधिकारियों को ऐसे दो वर्गों में बांटने के बाद दक्षता की कोई व्यावहारिक तुलना सम्भव नहीं है।

(घ) जी नहीं। यह ऐसी नियुक्ति के लिये उपयुक्तता पर निर्भर करता है।

(ङ) जी नहीं क्योंकि ऐसे पदों पर नियुक्ति की पात्रता पहले ही सेवा अवधि, परिपक्वता तथा अनुभव पर विचार करके निर्धारित की जाती है।

जमशेदपुर में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के क्वार्टरों का अलाटमेंट

1738 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में क्वार्टर अलाट करने के नियमों की उपेक्षा करके हाल ही में जमशेदपुर में कुछ क्वार्टर कुछ ऐसे अधिकारियों को दिये गये थे, जो नौकरी में मार्च 1967 में ही आये थे, जबकि अनेक वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टरों के लिये वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) क्या स्ती शाफ्ट फर्नेस परिसर में स्थित रिहायशी क्वार्टर वर्षों से अलाट नहीं किया गया, जिससे सरकार को किराये की हानि हुई है, और क्वार्टरों के लिये प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को असुविधा होती है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में जमशेदपुर में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद के क्वार्टरों को अनाधिकृत रूप से शिकमी किरायेदारों को दिये जाने का कोई मामला आया है; और

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षामंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं, नियमों की उपेक्षा करके नहीं।

(ख) जी नहीं। 'लो शाफ्ट फर्नेस प्लान्ट' के अहाते में निर्मित कुछ क्वार्टर केवल अत्यावश्यक स्टाफ के लिए ही है, जिन में संयत्र से सम्बद्ध सुरक्षा स्टाफ भी शामिल है, तथा ये सामान्य नियतन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

प्रसंगाधीन क्वार्टर 1-4-1967 से रहने के काम में आ रहा है और चूंकि इसका किराया नहीं लिया जाता, इसलिए किसी राजस्व की हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रयोगशाला के स्टाफ के किसी सदस्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कुछ संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि ये संघ मान्यता प्राप्त नहीं हैं, इसलिए कोई उत्तर नहीं भेजा गया है।

Accidents in Mines

1739. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) The number of accidents in various mines during 1966-67;

(b) The number of Miners killed as a result thereof; and

(c) The amount of compensation paid to the families of the victims ?

The Minister of State in the Ministry af Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L.N. Mishra) : (a) 264 fatal accidents from April, 1966 to March, 1967.

(b) 311

(c) Such compensation is awarded by the Commissioners of workmen's compensation appointed by the State Governments. The maximum compensation paid in the case of death by accident is Rs. 10,000/-. Details of compensation paid in each case are not available.

लक्कदीव मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीपों के कर्मचारी

1740 **श्री प० मु०सईद :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में श्रेणी एक, श्रेणी दो, श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के पदों पर इन द्वीपों के रहने वाले कितने अधिकारी कार्य करते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि श्रेणी चार के पदों पर भी नियुक्तियां भारत की मुख्य भूमि से ही की जाती हैं जब कि इन पदों के लिये द्वीप समूह में पर्याप्त संख्या में लोग उपलब्ध है ; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख)—एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पदों का वर्गीकरण	पदों की कुल संख्या	द्वीपों के देश जो कितने पदों पर है ।
1	2	3
श्रेणी I	2	कोई नहीं
श्रेणी II	24	1
श्रेणी III	649	146
श्रेणी IV	266	215

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेलीचेरी मुख्य डाकघर

1741. **श्री प० गोपलन :**

श्री अ० क० गोपालन :

श्री राममूर्ति :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्य डाकघर के लिये एक इमारत बनाने के हेतु भूमि का अर्जन किया था ;

(ख) यदि हां, तो भूमि का अर्जन कब किया गया था ;

(ग) क्या इमारत का काम प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) काम कब तक आरम्भ होगा ; और

(च) निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) 25–7–1961 ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) फंड की कमी होने के कारण 1966–67 के दौरान काम हाथ में नहीं लिया जा सका ।

(ङ) इस काम के टेंडर 22–5–67 को खोले गए थे । चूंकि दरें काफी ऊंची थीं, अतः टेंडर फिर से मांगे जा रहे हैं । यदि फिर से मांगे गए टेंडरों पर उचित दरें प्राप्त हो गईं तो काम अगस्त, 1967 के दौरान आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है ।

(च) प्रारम्भ होने के 18 महीने बाद ।

भारतीय इन्जीनियर सेवा

1742. श्री गा० शं० मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इंजीनियर सेवा के गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) देश में इस समय कितने इंजीनियर्स बेरोजगार हैं ;

(ग) उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) इस समय प्रति वर्ष कितने व्यक्ति इंजीनियरिंग का कोर्स पास करते हैं तथा आगामी पांच वर्षों में इंजीनियरों की बेरोजगारी में किस दर से वृद्धि होगी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस सेवा के क्षेत्र में एक केन्द्रीय संवर्ग बनाने की आवश्यकता तथा उसकी संरचना पदों के संवर्गीकरण की सामान्य पद्धति, शिक्षण तथा शोध कार्य जैसे पदों को शामिल करने के प्रश्न आदि जैसे कुछ आधारभूत विषयों पर राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों में अन्तर था । अब तक कुछ निर्णय कर लिये गए हैं । संवर्ग नियमों, भरती नियमों तथा प्रारम्भिक भरती विनियमों के मसौदों के साथ एक ज्ञापन 31–3–67 को सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है । उनके विचार प्राप्त होते ही सेवा के गठन के लिये और आगे कदम उठाये जायेंगे ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1966 की स्थिति के अनुसार देश में ऐम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजों के रजिस्टर में नौकरी के लिये दर्ज स्नातक इंजीनियरों (स्नातकोत्तर इंजीनियरों को मिला कर) की संख्या 4,335 थी । सभी बेरोजगार इंजीनियरों के नाम ऐम्प्लायमेंट एक्सचेंजों में दर्ज नहीं होते । जिनके नाम दर्ज होते है उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो काम पर लगे तो होते हैं, किन्तु और

अच्छी नियुक्ति की तलाश में होते हैं। अतः ऐम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन से बेरोजगारी की स्थिति का मोटा सा अनुमान ही लग पाता है।

(ग) पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न विकास योजनाओं का उद्देश्य सभी श्रेणियों में बेरोजगारी दूर करना है जिनमें बेरोजगार इंजीनियर भी आ जाते हैं।

(घ) 1965 में 10,282 व्यक्तियों ने इंजीनियरी में स्नातक उपाधि प्राप्त की और 1966 में लगभग 12,000 ने आगामी पांच वर्ष में इंजीनियरों की बेरोजगारी का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। तीसरी योजना में इंजीनियरों की शिक्षा सुविधाओं में जो वृद्धि हुई है उसका आधार चतुर्थ योजना की अवधि के दौरान इंजीनियरी कर्मचारियों की अनुमानित आवश्यकताओं पर आधारित था। आगामी पांच वर्षों में नियुक्ति के अवसरों का स्पष्ट रूप से पता चौथी योजना के अंतिम रूप ग्रहण कर चुकने के बाद ही चल सकेगा।

अन्दमान द्वीप समूह के पुलिस कर्मचारी

1743. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **गृह कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस कर्मचारियों को लगभग तीन वर्ष से यूनीफार्म नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस कार्य के लिये स्वीकृत धन का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (च) और (ख) जो सामग्री मंगाई गई थी उसके प्राप्त न होने के कारण कुछ चीजें नहीं दी जा सकीं। वस्त्र तथा सज्जा उप-शीर्षक में मंगाया हुआ माल न आने के कारण आनुपातिक बचत थी ; किन्तु वास्तव में अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के पुलिस विभाग की कुल बजट व्यवस्था में आपातित व्यय शीर्षक में कोई बचत नहीं थी।

अन्दमान के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

1744. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **गृह कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीपसमूह में राजनीति क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्त्ताओं तथा उनके लड़कों को तंग किये जाने के बारे में अन्दमान प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उस क्षेत्र में अविलम्ब लोकप्रिय सरकार बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

गृह कार्य मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई मामला सरकार के पास विचाराधीन नहीं।

मई 1967 में मिजो विद्रोहियों द्वारा आक्रमण

1745. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **गृह कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई के दूसरे सप्ताह में 15 मिजो विद्रोहियों का एक दल कचार जिले में घुस गया था और उसने जलनाछरा गांव में लोगों पर गोली चलाई जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया, उन्होंने कुछ दुकानों को लूटा और नकदी तथा अनाज लेकर भाग गये ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ; और

(ग) सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 300 रुपये की अनुमानित हानि बताई जाती है।

(ग) सुरक्षा दलों को सतर्क कर दिया गया है और गश्त को तीव्र कर दिया गया है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

सशस्त्र लोगों को वापिस बुलाने का नागाओं का प्रस्ताव

1746. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **गृह कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे नागाओं ने मनीपुर के उखरूल और तामेनलांग सब डिवीजनों में युद्ध विराम क्षेत्रों से अपने कुछ सशस्त्र लोगों को वापिस बुलाने का प्रस्ताव रखा है बशर्ते दूसरी ओर भी ऐसा ही किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिडिल अन्दमान में बेतपुर पिचर नाला फार्म

1747. श्री रा० कृ० सिंह : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिडिल अंदमान में बेतपुर पिचर नाला धान फार्म, जिसे अंदमान प्रशासन ने आरम्भ किया था, छोड़ दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुनर्वास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस फार्म को बेकार का फार्म कहा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ङ) 1966-67 में उस फार्म पर कुल कितना धन व्यय हुआ तथा कुल कितना धान पैदा हुआ तथा धान की प्रति मन लागत कितनी थी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)

(क) जी, नहीं, बीतापुर फार्म परियोजना को छोड़ा नहीं गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) 1965-66 के अन्त तक भूमि के जिस भाग का उद्धार किया गया था उस पर परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की धान की बुवाई आजमायश के तौर पर की गई थी । 1936 मन धान पैदा हुआ था । धन के व्यय तथा धान की प्रतिमन लागत के बारे में आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और उपलब्ध होने पर सभा की मेज पर रख दिये जायेंगे ।

स्मारकों के दर्शकों से लिया जाने वाला शुल्क

1748. श्री सेझियान : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों को देखने वाले दर्शकों से शुल्क लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्मारकों के नाम क्या हैं और उनको देखने के शुल्क की दरें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, लेकिन थोड़े ही स्मारकों पर और सभी पर नहीं ।

(ख) ऐसे स्मारकों की सूची संलग्न है, जहां दर्शकों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 554/67]** शुक्रवार को प्रवेश निशुल्क है और सप्ताह के बाकी दिन 15 वर्ष आयु से ऊपर के प्रति व्यक्ति से 20 पैसे शुल्क लिया जाता है ।

भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय के अधिकारी

1749. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, केन्द्रीय सचिवालय के 100 से अधिक अधिकारियों को, जिन्हें योग्यता के आधार पर पदोन्नत नहीं किया गया था,

वही वेतन आदि मिल रहा है जो उन्हें 'तन्निम्न नियम' के अन्तर्गत पदोन्नति पाने पर मिलता; और

(ख) इस नियम के कारण 1963–64, 1964–65 तथा 1965–66 में इस प्रकार कितना अतिरिक्त व्यय किया गया ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) ::(क) जी हां, यह सच है कि 100 से अधिक भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा केन्द्रीय सेवा अधिकारियों (केन्द्रीय सचिवालय अधिकारियों सहित) को 'तन्निम्न नियम के अन्तर्गत उच्चतम वेतन का लाभ दिया गया है। फिर भी, यह कहना ठीक नहीं है कि यह लाभ उन अधिकारियों को दिया गया है जिन्हें नियमित पंक्ति में उपलब्ध होने पर भी योग्यता के आधार पर पदोन्नत नहीं किया जाता। उन अधिकारियों को, जो योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त न हों, 'तन्निम्न नियम' का लाभ नहीं दिया जाता। नियम का उद्देश्य यह है कि नियमित पंक्ति के किसी [अधिकारी को, जो अपनी पंक्ति में रहने पर पदोन्नति प्राप्त कर लेता, हानि नहीं पहुँचनी चाहिए।

(ख) प्रश्न संख्या 3853 के उत्तर में सभा के पटल पर रखी गई सूचना की ओर, जिसके लिये एक अन्तरिम उत्तर 31. 8. 1966 को दिया गया था, ध्यान आकर्षित किया जाता है। (उत्तर की प्रति संलग्न है) [पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 555/67] ।

कोयला-खान भविष्य निधि

1750. श्री देवेन सेन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से कोयला खानों के नियोजक विशेषकर आसनसोल क्षेत्र के, भविष्य निधि का अपना अंश भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं कराते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नियोजकों के पास जमा किया गया कर्मचारियों का भविष्य निधि का अंश भी भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं कराया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके दोषी नियोजक कौन कौन हैं; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) : जी हां। कुछ कोयला-खान मालिकों ने भविष्य निधि में जमा किया जाने वाला अपने हिस्से का अंशदान और श्रमिकों के वेतनों में से काटे गये अंशदान की रकम कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं की है ?

(ग) और (घ) : एक विवरण जिसमें दोषी नियोजकों के नाम और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की सूचना दी गई है, 7 अप्रैल 1967 को लोक सभा के मेज पर रखा जा चुका है।

खनिकों के शिविर और होस्टल

1752. श्री अदिचन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में खनिकों के कितने अनधिकृत शिविर और होस्टल हैं;

(ख) किन कोयला खानों में ये शिविर और होस्टल चल रहे हैं; और

(ग) उन्हें समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) बारह ।

(ख) I—रानीगंज कोयला-क्षेत्र

(1) सामला मंदरबोनी कोलियरी. पो० ग्रो० पाडवेश्वर ।
(2) मधुजोर कोलियरी, पो० ग्रो० कजोराग्राम ।
(3) चुसिक कोलियरी, पो० ग्रो० कालीपहाड़ी ।
(4) पोरासकोल कोलियरी, पो० ग्रो० कजोराग्राम ।

II—झरिया कोयला-क्षेत्र

(1) खरखरी कोलियरी, पो० ग्रो० खरखरी ।
(2) इना कोलियरी, पो० ग्रो० घनसार ।
(3) मतड़ी कोलियरी, पो० ग्रो० घनसार ।
(4) मुरलीडिह कोलियरी, पो० ग्रो० महुडा ।
(5) खास धरमाबाद कोलियरी, पो० ग्रो० मलकेरा ।
(6) लोयाबाद (नोर्थ) कोलियरी, पो० ग्रो० सिजुवा ।

III—करनपुरा कोयला-क्षेत्र

खास करनपुरा कोलियरी, पो० ग्रो० पटातू (हजारीबाग)

IV—पेच वैली कोयला-क्षेत्र

न्युटन चिकली कोलियरी, पो० ग्रो० परासिया, जिला छिंदवाड़ा ।

वास्तव में मामला यह है कि क्या और किन शर्तों पर गोरखपुरी श्रमिकों के लिए इस प्रकार के अनधिकृत होस्टल मंजूर किये जाने चाहिए ?

(ग) केन्द्रीय होस्टल समिति, जिसके अध्यक्ष कोयला खान कल्याण आयुक्त हैं, इस मामले में कार्यवाही कर रही है। यह समिति खनिकों के होस्टलों को मान्यता देती है और मान्यता के लिए मानक निर्धारित करती है। खान सुरक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में हाल ही में एक केन्द्रीय मूल्यांकन समिति स्थापित की गई है और यह समिति भी इस मामले की जांच कर रही है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 में किन-किन कोयला खानों में घातक दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में प्रत्येक खान में कितने मजदूर मारे गये; और

(ग) इनमें से प्रत्येक दुर्घटना में हुई विभागीय जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (ल० ना० मिश्र : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है । पूरक सूचना जैसे ही उपलब्ध होगी, सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

क्रमांक	कोयला खान का नाम	मरे हुओं की संख्या	विभागीय जांच समिति के निष्कर्ष।
1.	सामला दालुरबंद	1	साथ काम करने वाले की गल्ती।
2.	नोर्थलेकडीह	2	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
3.	न्यू माजरी	1	दुर्भाग्य।
4.	डुमन हिल	1	प्रबन्धकों की गलती।
5.	जोगीडिह	1	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
6.	लोयाबाद	1	अधीनस्थ पर्यवेक्षक कर्मचारियों की गल्ती।
7.	मिथरपुर	1	मृतक की गल्ती।
8.	भतडी	1	दुर्भाग्य
9.	लोअर केंडा	1	रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया।
10.	काम्पटी	1	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
11.	बलारपुर	1	रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया।
12.	पूटकी	1	रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया।
13.	सितानाला	1	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
14.	खास कुसुंडा	1	दुर्भाग्य।
15.	श्री अमृतनगर सेलेक्टेड	1	रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया।
16.	चालकरी	1	दुर्भाग्य।
17.	डयुलबेरा	1	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
18.	सामदी संग्रामगढ़	1	प्रबन्धकों और अधीनस्थ अफसर की गलती।
19.	पारे निचितपुर	1	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
20.	घोरी	1	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
21.	केदवाडिह (5 पिट खोइरा)	1	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

कोयला खानों में लाभांश बोनस

1754. श्री अविचन : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी और किन-किन कोयला खानों ने 1965 के लिये लाभांश बोनस नहीं दिया है; और

(ख) बिना और अधिक बिलम्ब किये बोनस का भुगतान करने के लिये कोयला खानों को सहमत कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अब तक 343 कोयला खानों ने अपने कामगारों को 1965 के लेखा वर्ष का लाभांश बोनस नहीं दिया है। इन कोयला खानों के नाम इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) नियोजकों को बोनस की बकाया-रकम की अदायगी करने के लिए समर्थ बनाने हेतु दिसम्बर, 1966 में सरकार द्वारा कोयले की कीमत में मंजूर की गई वृद्धि के बाद नियोजकों की संयुक्त कार्यकारी समिति से कहा गया कि वह अपने सदस्यों को यह सलाह दे कि वे बिना और देरी किए बकाया राशि का भुगतान कर दें। दोषी कोयला-खानों-को कारण बताओ नोटिस देकर उनसे यह जवाब मांगा गया है कि उनके खिलाफ बोनस भुगतान अधिनियम 1965 का उल्लंघन करने के कारण कार्यवाही क्यों न की जाए। अनेक अभियोजन प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

महाजन सीमा आयोग

1755. **श्री नायनार** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि महाजन सीमा आयोग जब लोगों का साक्ष्य लेने के लिये कासरगोड (केरल) गया, तो केरल सरकार ने उसका बहिष्कार किया था;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कर्नाटक में महाजन आयोग के समक्ष केवल उन लोगों के साक्ष्य दिया है जो कि विलय के पक्ष में हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क)से(ग) आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केरल के मुख्य मंत्री ने अपने 17 अप्रैल के पत्र में आयोग को कासरगोड के बारे में राज्य सरकार के दृष्टिकोण से अवगत करा दिया था और यह विचार व्यक्त किया था कि मैसूर तथा केरल के बीच वर्तमान सीमाओं को बनाए रखना ही श्रेष्ठतर रहेगा। आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिये मुख्य मंत्री या उनके मंत्रियों में से कोई एक कासरगौड या मंगलौर में आयोग से मिले। इस सुझाव के उत्तर में मुख्य मंत्री ने आयोग को सूचित किया कि उनके लिये या उनके मंत्रियों में से किसी के लिये आयोग से मिलना आवश्यक नहीं था क्योंकि वे पहले ही राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के कारणों को आयोग के समक्ष स्पष्ट कर चुके थे। अतः आयोग, राज्य सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व करनेवाले, मुख्य मंत्री के 17 अप्रैल के पत्र को ही मान कर चलेगा। यह भी ज्ञात हुआ है कि आयोग द्वारा कासरगोड़ में 15 मई को लिया गया साक्ष्य मुख्यतः संस्थाओं तथा दलों तथा व्यक्तियों का साक्ष्य था, जो कासरगोड तालुका के मैसूर में विलयन के पक्षपाती थे। एक या दो अभ्यावेदन यथा-स्थिति बनाए रखने के पक्ष में भी थे।

अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा योजना

1756. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री प्र० के० देव :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने में प्रतिवर्ष कितना व्यय होने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) : विषय विचाराधीन है।

संसद सदस्यों के निवास स्थानों में चोरियां

1757. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री मधु लिमये :
श्री श्री चन्द्र गोयल :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के मकान में 23 मई, 1967 को चोरी हो गई थी;

(ख) क्या अन्य संसद सदस्य के मकानों में भी गत दो-तीन वर्षों में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं;

(ग) इस प्रकार चोरी तथा सेंधमारी की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(घ) कितने मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा सजा दी गई; और

(ङ) चोरी की इन घटनाओं को रोकने के लिये दिल्ली प्रशासक तथा केन्द्र का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ)—दो विवरण (I & II) सभा के पटल पर रख दिये गये हैं।

विवरण

1965, 1966 तथा 1967 (26-5-67 तक) जिन चारियों में संसद सदस्यों का सामान चोरी हुआ और जिनकी सूचना पुलिस को मिली तथा जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए उनका व्योरा नीचे दिया गया है :

अवधि	अपराध का नाम	सूचित किये गये मामलों की संख्या	गिरफ्तार हुए व्यक्ति	अब तक जिनको दंड मिला
1965	सेंध चोरी	12	2	2
1966	सेंध चोरी	10	—	—
1967 (26-5-67 तक)	सेंध चोरी	6	—	—

1965	चोरी	8	2	2
1966	चोरी	7	2	(दोनों अभियुक्त विमुक्त कर दिये गये)
1967 (26–5–67 तक)	चोरी	1	—	—

सेंध चोरियों तथा चोरियों की रोक थाम के लिए निम्न कदम उठाये हैं—

(i) जिन क्षेत्रों में संसद सदस्य रहते हैं वहां 24 घण्टे गश्त लगाने के लिये पर्याप्त मात्रा में पुलिस वालों को लगाया जा रहा है ।

(ii) वह मकान जिनके चारों ओर कोई और मकान नहीं हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । गश्ती सिपाहियों के कार्य की डिविजनल अधिकारी, चलते फिरते गश्ती दस्ते के अधिकारी, थाने के अध्यक्ष देखभाल करते हैं तथा कभी-कभी स्वयं पुलिस अधिक्षक भी स्वयं देखते हैं ।

(iii) ऐसे मामलों की तफशीश वरिष्ठ तथा अनुभव प्राप्त अधिकारियों को सौंपी जाती है ।

(iv) सम्बन्धित थाने के अधिकारी को इन मामलों की जांच तथा सूचना के स्रोतों का पता लगाने के लिए जिम्मेदार बना दिया है ।

(v) अपराध के घटना स्थल की जांच तथा अभियुक्तों द्वारा हाथ और पैरों के निशान की देखभाल आदि के लिए अपराध-अन्वेषण-विभाग के दल को भेजा जाता है ।

(vi) इन मकानों से जो चोरी की सूचना मिलती है उस पर पुलिस अधीक्षक तथा इलाका राजपत्रित अधिकारी साथ मिलकर तुरन्त जांच करते हैं ।

(vii) 1964 के जुलाई में नार्थ एवन्यू तथा साउथ एवन्यू में रहने वाले सब संसद सदस्यों को पत्र प्रसारित किया गया था जिसमें चोरियों तथा सेंध चोरियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए निम्न मामलों में सहयोग के लिए कहा गया था—

(i) पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस अधीक्षक को जब वे दिल्ली से बाहर जायें तथा जितना समय बाहर रहें उसकी सूचना दे दें ताकि उनके घरों की देखभाल के लिए विशेष जा सकें ।

(ii) पुलिस अधीक्षक को यह सूचना भी दें कि उनकी अनुपस्थिति में उनके मकान में प्रबन्ध किये उनका नौकर, मित्र अथवा रिश्तेदार रहेंगे; और

(iii) क्या उन्होंने कोई गैरेज किराये पर ले रखा है, और यदि हाँ तो क्या वहाँ कोई नौकर अथवा ड्राइवर अथवा कोई और वहां रखा हुआ है ।

पुनर्वास बस्तियां

1758. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव:

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में लोग पुनर्वास बस्तियों को छोड़कर चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1948 से लेकर 1966 तक की अवधि में पुनर्वास तथा सहायता कार्यक्रमों पर कुल कितना धन खर्च हुआ है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1-1 1964 या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये कुछ प्रवजक विभिन्न राज्यों में, इसमें दण्डकारण्य परियोजना भी सम्मिलित है, कृष्य पुनर्वास स्थलों को छोड़कर चले गये हैं। इन छोड़कर जाने वालों के अतिरिक्त, बहुत बड़ी संख्या में परिवार, जिन्हें सहायता शिविरों में रखा गया था, वे पुनर्वास स्थलों में भेजे जाने से पूर्व ही शिविर छोड़कर चले गये थे।

(i) नये वातावरण में अपने आपको प्रव्रजितों द्वारा न ढाल सकना, विशेषकर जलवायु तथा भूमि का अपरिचित होना कम वर्षा का होना तथा फसलों की विभिन्न किस्म का होना।

(ii) देश के बहुत से भागों में सूखा तथा अभाव के वातावरण का होना जिससे पुनर्वास के कार्य पर लगातार दो वर्ष तक प्रभाव पड़ा तथा बाद में इसके फलस्वरूप फसल का न होना।

(iii) रिश्तेदारों का अभी तक पश्चिमी बंगाल में रहना।

(iv) पश्चिमी बंगाल में रहने का स्वाभाविक झुकाव जिसकी दृढ़ता इस बात से बढ़ी कि राज्य की नई सरकार उन्हें राज्य में ही बसा देगी।

(v) बनावटी प्रव्रजितों पर मुकदमा चलाये जाने का डर।

(vi) गैर जिम्मेदार तत्वों द्वारा जो कभी कभी बस्तियों में घुस जाते थे यह गलत तथा भ्रान्तिपूर्ण वचन कि वह उन्हें पश्चिमी बंगाल में फिर से बसा देंगे।

(ग) 1947-48 से 1965-66 तक पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये मंजूर किये गये सहायता तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के लिये 440·08 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। इस राशि में से 199·46 करोड़ रुपये पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के कार्यक्रम पर खर्च किये गये और शेष 240 62 करोड़ रुपये पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के कार्यक्रमों पर खर्च किये गये।

औद्योगिक संस्थानों में उचित मूल्य वाली दुकानें

1756. श्री य० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक संस्थानों में उचित मूल्य वाली दुकानें खोलने के लिये नियोजकों को बाध्य करने हेतु एक विधान लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है।

अकुशल तथा खेतिहर मजदूरों के लिये रोजगार

1760. श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहाती क्षेत्रों में अकुशल तथा खेतिहार मजदूरों को रोजगार दिलाने की एक योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं सम्बन्धी कार्यक्रमों पर कितना धन व्यय किया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) (क) और (ख) अकुशल तथा खेतीहार मज़दूरों को गांव में रोजगार दिलाने की मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं—

1. ग्रामीण कार्य योजना तथा

2. ग्रामीण उद्योग योजना

इन दोनों योजनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा में दिया गया है ।

(ग) ग्रामीण कार्यक्रमों पर तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में 19·33 करोड़ रुपया खर्च हुआ ।

विशाल हरयाणा

1761. श्री बी चं० शर्मा : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाल हरियाणा बनाने की मांग के समर्थन में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुनर्वास मंत्रियों का सम्मेलन

1762 श्री डा० रानेन सेन : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1967 में नई दिल्ली में हुए पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन में केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री तथाकथित अवशिष्ट समस्याओं सम्बन्धी सुझावों के बारे में पश्चिम बंगाल के मंत्री के साथ सहमत नहीं थे ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के पुनर्वास मंत्री ने शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये कुछ योजनायें पेश की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 17 मई 1967 को पुनर्वास मंत्रियों के हुये सम्मेलन मे, पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास मंत्री ने अपने भाषण में कुछ अवशिष्ट समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया तथापि सम्मेलन से पूर्व तथा पश्चात् सुअवसर निकाला गया और पुराने तथा नये प्रव्रजकों के पुनर्वास सम्बन्धी मामलों के बारे में विचार विनिमय किया गया । कुछ विषय जिन पर बातचीत हुई अवशिष्ट समस्या का प्रश्न है, व्यक्तिगत योजनाओं को अमल में लाने के पहलू पर बातचीत हुई । मंजूर शुदा योजनाओं की मंद प्रगति को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को कहा गया कि इन योजनाओं को अमल में लाने की गति को बढ़ाने के लिये आवश्यक उपाय किये जाये । अवशिष्ट समस्या के अधीन स्वीकार किये गये वायदों से सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल पुनर्वास मंत्री के किसी भी सुझाव को वर्तमान वार्ता के दौरान रद्द नहीं किया ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने भारत सरकार को कुछ अन्य प्रस्तावों के बारे में पहुंच की है ताकि शिक्षा, चिकित्सा तथा प्रशिक्षण की अतिरिक्त सुविधायें दी जा सकें और इन क्षेत्रों में 1964 में आये नये प्रव्रजकों के प्रवाह के फलस्वरूप जो दबाव पड़ा है उसे कम किया जा सके। सरकारी तौर पर योजनायें निम्न हैं:—

1. विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों के लिये विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थापित किया जाना ।
2. विस्थापित व्यक्तियों की कन्याओं को नर्सों का प्रशिक्षण दिया जाये और बी० एस० सी० नर्सिंग कालेज स्थापित किया जाये और
3. पुराने विस्थापित परिवार का पुनर्वास जो समाप्त हुये शिविरों के स्थानों पर रह रहे हैं ।

वित्त मंत्रालय से परामर्श करके इन योजनाओं की छान-बीन की जा रही है ।

कांगड़ा जिले में डाकघर

1763. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और बिलासपुर जिलों में कितने डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र हैं ; और

(ख) इन में कितने डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र चल रहे हैं ।

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

	डाकघर	सार्वजनिक टेलीफोन घर
(क) जिला कांगड़ा	676	32
जिला बिलासपुर	78	4

(ग) सभी काम कर रहे हैं ।

मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण

1764. श्री मेघचन्द्र : क्या **गृह कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के समान ही मनीपुर पुलिस और आकाशवाणी कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण की मंजूरी दे रही है ;

(ख) क्या इनके वेतन-क्रम का उस समय पुनरीक्षण किया गया था जब कि मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का 1 अप्रैल, 1964 से पुनरीक्षण किया गया था ; और

(ग) क्या मनीपुर सरकार केन्द्रीय सरकार के वेतन-क्रमों के आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण के लिये केन्द्र से अनुरोध करने वाली है और यदि हां, तो कब तथा वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण किस तारीख से किया जायेगा ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ख) भारत सरकार को हाल ही में मनीपुर के पुलिस तथा आकाशवाणी कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में आराम की दरों के अनुसार संशोधन करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों की जांच की जा रही है।

मनीपुर के स्कूलों को अनुदान

1765. श्री मेघचन्द्र : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर सरकार ने सरकार से सहायता प्राप्त प्रारम्भिक स्कूलों को पिछले कुछ महीनों से नियमित रूप से दिये जाने वाले अनुदान नहीं दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप इन स्कूलों के अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है और वेतन की देय बकाया राशि उन्हें नहीं मिल रही है ; और

(घ) इन अनुदानों को यथासमय देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) जी हां। गत कुछ महीनों में अनुदानों के देने में देर हुई है जिसके कारण अध्यापकों को वेतन देने में अनियमितता हुई है। मार्च 1967 का अनुदान बहुत से मामलों में पहले ही दे दिया है। अप्रैल से अगस्त 1967 तक की अवधि के अनुदान तथा वेतन की बकाया रकम की स्वीकृति हो गई है तथा लेखाधिकारी द्वारा स्वीकृति मिलने पर भुगतान शीघ्र हो जायेगा। देर होने के कारण मुख्य रूप से यह दिया जा रहा है कि लेखों की जांच करना, उपयोग का प्रमाणपत्र लेना आदि प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यवाही है। मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन आगे इस प्रकार की देर को रोकने के लिये रास्ता तलाश कर रहे हैं।

Delhi Police Agitation

1766. Shri Brahmanandji : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a few women and children arrested during the Delhi Police agitation which took place a few days back, are still held in the jails;

(b) If so, the number of such women and children;

(c) The reasons for holding them in jails; and

(d) The arrangements made by Government for the supply of eatables, milk etc. to the children ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : During the Delhi Police agitation, 8 women Constables were arrested and sent to jail. All of them have been granted bail by the court. 4 of them have already been released from jail on completion of surety/bail bonds; the remaining 4 will be released as soon as they complete the surety formalities. No children were arrested.

(d) Does not arise.

अध्यापकों की सेवा निवृत्ति की आयु

1767. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय स्कूलों के अध्यापकों की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है, और

(ख) क्या यह सच है कि कोठारी शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि स्कूलों के अध्यापकों की सेवा निवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 556/67**]

मनीपुर को राज्य का दर्जा देना

1768. **श्री मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर की विधान सभा तथा वहां के समस्त राजनैतिक दल यह मांग कर रहे हैं कि मनीपुर को राज्य का दर्जा दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) सितम्बर, 1966 में मनीपुर विधान सभा ने इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया कि मनीपुर को राज्य का पूरा दर्जा दिया जाये ।

(ख) सरकार का इस संघ राज्य क्षेत्र के दर्जे में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क/असिस्टेंटे की सेवाओं का केन्द्रीकरण

1769. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे लोअर डिवीजन क्लर्क मंत्रालय-वार कितने हैं जो उसी वेतन-क्रम में दस साल की सेवा पूरी कर चुके हैं किन्तु उनकी अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर पदोन्नति नहीं हुई है ;

(ख) इसी अवधि में कितने लोअर डिवीजन क्लर्कों को मंत्रालय-वार पदोन्नति करके अपर डिवीजन क्लर्क बनाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में वरिष्ठ लोअर डिवीजन क्लर्कों को, उनके मंत्रालयों में उस संवर्ग के पद रिक्त न होने के कारण अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सका है और इस कारण कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष व्याप्त है ;

(घ) क्या इन सेवाओं के विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप ही यह विषमता तथा असन्तोष उत्पन्न हुआ है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की विषमता तथा असन्तोष अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेन्ट तथा सैक्सन आफिसरों के मामले में भी व्याप्त है :

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पहले की भांति इन सेवाओं का केन्द्रीयकरण करने का है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है। **(पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 557/67)**

(ख) 1-11-62 सेवा का विकेन्द्रीकरण 1-11:62 से किया गया था। उससे पहले उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग में पदोन्नति अखिल-सचिवालय के आधार पर की जा रही थी।

विवरण–II में 1-11-62 के पश्चात मंत्रालय-वार की गई पदोन्नति की संख्या दी गई है।

(ग) से (छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का विकेन्द्रीकरण, कर्मचारियों की अच्छी व्यवस्था तथा प्रत्येक मंत्रालय में प्राप्त प्रशिक्षण एवं अनुभव के अच्छे उपयोग को सुरक्षित बनाये रखने के विचार से, किया गया था। विकेन्द्रीकरण के पश्चात् एक संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति केवल उस संवर्ग में होने वाली रिक्तियों पर ही पदोन्नति की आशा कर सकते हैं, तथा एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में पदोन्नति की सम्भावना में इसलिए कुछ विषमता अवश्यम्भावी है। सरकार के विकेन्द्रीकरण की समस्याओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और निर्णय किया है कि यद्यपि इसने कुछ संवर्गों में पदोन्नति के अवसरों में कुछ विषमता पैदा की है फिर भी विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध को बनाये रखना कुल मिलाकर जनहित की दृष्टि से उचित ही रहेगा। अत: इन सेवाओं का पुन: केन्द्रीकरण करने का कोई प्रश्न नहीं है।

दिल्ली न्यायिक सेवा

1770. श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने दिल्ली न्यायिक सेवा के नियम संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बना लिये हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 234 के अन्तर्गत अपेक्षित है ;

(ख) कितने अधिकारियों ने दिल्ली न्यायिक सेवा में आने की इच्छा व्यक्त की है और चुनाव का तरीका क्या होगा अथवा क्या रहा है ;

(ग) क्या संवर्ग नियम न होने के कारण उनके इच्छित विकल्प पर विचार किया गया है और यदि नहीं, तो कितने अधिकारियों का चुनाव किया गया है तथा यह चुनाव किसने किया है;

(घ) यह चुनाव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की अधीनस्थ न्यायपालिका का संयुक्त न्यायिक संवर्ग होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ)–दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के लिये एक उच्चतर न्यायिक सेवा एवं एक हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) बनाने का विचार है। पहली सेवा के अन्तर्गत जिला तथा सैशन जज एवं सदृश पद होंगे। दूसरी सेवा के अन्तर्गत सब-जजों, न्यायिक-मजिस्ट्रेटों तथा सदृश पद होंगे। नियमों मसौदे, जिला उच्च न्यायालय के साथ परामर्श से, तैयार किये जा रहे हैं।

Labour Unions in Oil India Refineries

1771. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4496 on the 27th April, 1966 regarding Labour Unions in Oil India Refineries and state :

(a) Whether the investigation regarding the recognition of the labour union in the Oil India Refineries which was postponed earlier has now been taken in hand; and

(b) If not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L.N. Mishra) : (a) Yes. Some further investigation in this regard is being made.

(b) Does not arise.

Ghazipur Head Post Office

1772. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1518 on the 16th November, 1966 and state :

(a) Whether the construction of the building for Ghazipur Head Post Office which was discontinued for lack of funds would now be taken up again; and

(b) If so, when the construction of the said building would be completed ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) Construction work of the building has been awarded to a contractor for execution on 22-5-1967. The contractor is making arrangements for materials etc. and the work is likely to be started at site shortly.

(b) Construction of the building is scheduled to be completed by June, 1968, as per contract. If no unforeseen difficulties crop up, it is expected that the building will be completed by June, 1968.

भारत में ईसाई धर्म प्रचारक

1773. श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्र पाणि :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी ईसाई धर्मप्रचारकों पर सरकार ने कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं;

(ग) भारत में, राज्यवार, कुल कितने धर्मप्रचारक काम कर रहे हैं ; और

(घ) भारत में उनकी गतिविधियां किस प्रकार की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) विदेशियों के भारत में प्रवेश, आवास तथा घूमने से सम्बन्धित नियम विदेशी धर्म प्रचारकों पर भी लागू हैं। हाल ही में इन नियमों को कामन वैल्थ देशों से आये धर्म प्रचारकों पर भी, जिन्हें अब तक इनसे छूट मिली हुई थी, लागू कर दिया गया है ।

(ग) विदेशी तथा कौमनवैल्थ धर्मप्रचारकों की संख्या को दिखाने वाले विवरण सदन के सभा–पटल पर रख दिये गये हैं । **(पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 558/67)**

(घ) मुख्य गतिविधियां जिनमें वे लगे हुए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा सामाजिक, ईसाई-धर्म-सम्बन्धी आदि हैं ।

आसाम में केन्द्रीय स्कूल

1774. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में अब तक कितने केन्द्रीय स्कूल खोले गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्कूल संगठन ने मालीगांव अर्थात पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे मुख्यालय, पांडू में एक स्कूल खोलने से इंकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने निकट भविष्य में आसाम में कुछ और केन्द्रीय स्कूल खोलने की कोई योजना बनाई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तीन ।

(ख) जी नहीं । केन्द्रीय स्कूल संगठन ने रेलवे प्राधिकारियों को सूचित कर दिया है कि यदि स्थान तथा आवश्यक धन प्राप्त हो जाये तो वे मालीगांव में एक स्कूल खोलने को तैयार हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी हां । धन के प्राप्त होने तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं के मिलने पर स्कूल खोल दिया जायेगा ।

Pay Scales of Primary Teachers of Mysore

1775. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) Whether Government propose to increase the pay scales of the teachers of primary schools of the State of Mysore; and

(b) If so, the amount of funds that Central Government have decided to give to the said schools of Mysore State during the Fourth Plan period ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : The question of increasing the pay scales of primary teachers of the Mysore

State is primarily for the State Government. The pattern of Central assistance in the Fourth Plan does not provide for any assistance to the States for this purpose.

मध्य प्रदेश में लघु उद्योग

1776. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये नये लोगों के पुनर्वास के लिए लघु उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार को पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव कब आये थे और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों की स्थापना की मंजूरी देने के आदेश इस बीच जारी कर दिये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० न० मिश्र) : (क) जी, हां। (ख) से (घ) नवम्बर, 1965 में मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये 2,480 नये लोगों को रोजगार देने के लिए इटारसी में, 57 लघु उद्योगों की औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने के बारे में 56·48 लाख रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्ताव भेजे थे। बाजार लाभ, कच्चा माल, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता तथा पूंजी की लागत के अनुपात में रोजगार संभव्य को ध्यान में रखते हुये प्रस्तावों की छान-बीन की गई थी। 15 औद्योगिक खण्डों के लिए योजनाएं उपयुक्त नहीं समझी गई थीं। 13 योजनाओं के संशोधन के बारे में राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी गई थीं। राज्य सरकार को यह भी प्रार्थना की गई थी कि कुछ खण्डों को स्थापित करने के लिए बीतुल परियोजना के निकट स्थान पर विचार किया जाये जहां कि नये विस्थापितों को बड़ी संख्या में बसाया जा रहा था और राज्य के वर्तमान खण्ड जो समरूप वस्तुएं तैयार करते हैं उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उत्पादन के बारे में बाजार की आशा निश्चित की जाये।

2 दिसम्बर, 1966 में हुई बातचीत के फलस्वरूप राज्य सरकार से जनवरी 1967 में बीतुल के निकट 451 नये विस्थापितों को रोजगार देने के लिए लगभग 36·33 लाख रुपये की अनुमानित लागत के 13 औद्योगिक खण्ड तथा 841 नये विस्थापितों को रोजगार देने के लिए 40·72 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 21 औद्योगिक खण्ड स्थापित करने के बारे में संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

संशोधित प्रस्ताव भेजने के साथ राज्य सरकार ने यह भी बताया था कि आर्थिक व्यवस्था तथा बाजार के बारे में ध्यान पूर्वक विचार कर लिया जाये। राज्य सरकार को प्रार्थना की गई है यह सूचित किया जाये कि इन पहलुओं का परीक्षण कर लिया गया है और यदि यह ठीक है तो परीक्षण को ध्यान में रखते हुए 34 योजनाओं में से वे किन की सिफारिश करते हैं। निधि की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से यह भी प्रार्थना की गई है। इन योजनाओं का

अग्रता-क्रम बताया जाये जिसके अनुसार पूंजी के व्यय के अनुपात में रोजगार सम्भाव्य को ध्यान में रखते हुये व्यय की व्यवस्था की जाये।

उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा

1777. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में उड़ीसा राज्य में लड़कियों की शिक्षा पर कितना खर्च किया; और

(ख) इस काम के लिए उड़ीसा के लिए 1967–68 के लिए कितना धन नियत किया गया है ?।

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राज्य सरकार से विवरण मांगा है। जैसे ही वह प्राप्त होगा, सभा के सामने रख दिया जायेगा।

(ख) क्योंकि उड़ीसा सरकार से जिन्होंने 1967–68 की योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया है अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, 1967–68 के आंकड़े देना संभव नहीं है।

उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों की इमारतें

1778. श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में उड़ीसा सरकार को प्राथमिक स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिए कितना धन देने का विचार है, और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) उड़ीसा सरकार को 1967-68 के लिए अन्तिम वार्षिक आयोजना प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। फिर भी, योजना के लिए 1967–68 के दौरान 40 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिल सकती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में शिक्षा योजनायें

1779. श्री हीरजी भाई : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने उड़ीसा को 1967–68 में राज्य में शिक्षा योजनाओं के विस्तार के लिए कितना धन देने का विचार किया है, और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) 1967–68 के लिए राज्य शिक्षा योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। राज्य सरकार को 1967–68 के लिए केन्द्रीय सहायता की रकम का निर्धारण योजना के अन्तिम विवरण प्राप्त होने पर ही किया जा सकता है।

विदेशों को भेंट की गई पुस्तकें

1780. श्री ख० प्रधानी : **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में उनके मंत्रालय ने विदेशों को जो पुस्तकें भेंट की हैं, उनके नाम क्या हैं तथा वे कितने मूल्य की हैं, और

(ख) किन-किन देशों तक संस्थाओं को ये पुस्तकें भेंट की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और जल्दी ही सभापटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्त अधिकारी

1781. श्री हेमराज : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हैं और प्रत्येक विभाग में उन अधिकारियों की संख्या कितनी कितनी है ; और

(ख) अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि में उन्हें कुल कितना अतिरिक्त वेतन आदि मिलता है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1962 और 1967 के बीच प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संख्या विभागों के अनुसार इस प्रकार है :—

लोक निर्माण विभाग तथा बहुउद्देशीय प्रायोजना विभाग	145
भारतीय प्रशासन सेवा	10
भारतीय पुलिस सेवा	3
वन	3
वित्त-सचिव	1

न्यायिक-सचिव	1
परिवहन तथा निर्माण प्रबन्धक	1
योग	164

(ख) अगस्त, 1966 तक प्रतिनियुक्तियों पर लाये जाने वाले अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तें प्राप्त होती थी जिनसे सामान्यतः उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करने पर आधार भूत वेतन के 20 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त हो सकता था। अगस्त 1966 के बाद से केवल उन्हीं को प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने का हक है जिन्हें ऊँचे पदों के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। कुल अतिरिक्त प्राप्तियों का योग प्रत्येक अधिकारी के वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि की दर पर निर्भर होगी।

दिल्ली-मद्रास टेलीफोन लाइन

1782. श्री प्र० के० देव : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल–मई 1967 के दौरान दिल्ली और मद्रास के बीच सीधी टेलीफोन लाइनें प्राय: खराब रहती थीं ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो महीने में टेलीफोन लाइनें कितने घण्टे खराब रहीं और इसके परिणामस्वरूप विभाग को कितनी हानि हुई ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) कुछ गड़बड़ी हुई थी।

(ख) चार परिपथों पर दो महीनों के दौरान 573 घण्टे। चूंकि लेखे इस आधार पर नहीं रखे जाते अतः विभाग को हुई हानि सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

डाकघरों में रजिस्ट्री

1783. श्री शिवचन्द्र झा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी व्यक्ति को डाकखाने में कोई रजिस्ट्री कराने के लिए तीन काउन्टरों पर, एक पर डाक का वजन कराने के लिए, दूसरे पर रजिस्ट्री पर लगाने के लिए डाक-टिकिट लेने के लिए तथा तीसरे पर रजिस्ट्री कराने के लिए जाना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो समय की बरबादी को रोकने के प्रयोजन से ये सभी व्यवस्थाएं एक ही काउन्टर पर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। कुछ बड़े डाकघरों में ऐसी स्थिति है।

(ख) बुक करने के काम में शीघ्रता बरतने के लिए और ग्राहकों को एक काउन्टर से दूसरे काउन्टर पर जाने की आवश्यकता को दूर करने के लिए निम्न कदम उठाये गए हैं।

(i) यह हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि बड़े डाकघरों में टिकिट विक्रेता रजिस्ट्री और पार्सल क्लर्कों के बीच में बैठाया जाए।

(ii) ये आदेश भी दे दिये गए हैं कि छोटे डाकघरों में रजिस्ट्री और पार्सल क्लर्क टिकटों का स्टाक खुद अपने पास रखें और उनकी बिक्री ग्राहकों को करें।

(iii) कुछ चुने हुए डाकघरों में जहाँ रजिस्ट्री वस्तुएं बहुत बड़ी संख्या में बुक होती हैं, डाक-प्रसार-अंकन मशीनें लगा दी गई हैं, ताकि डाक-टिकिट खरीदने की जरूरत न रहे।

Theft of Ancient Idols

1784. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether the Central Government received some complaints in regard to theft of idols from ancient temples;

(b) whether Government have made any enquiries into these complaints;

(c) whether it is a fact that these stolen idols are being sold openly at shops situated at Janpath, New Delhi; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. The complaints concerning the thefts from monuments which are centrally protected were or are being enquired into.

(c) No such instance has come to Government's notice.

(d) Does not arise.

Free Higher Secondary Education

1785. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Y.S. Kushwah :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the decision taken by Government last year to provide free education upto higher secondary or matric standard has since been implemented;

(b) if so, the number of schools and colleges in the country in which free education upto Higher Secondary or matric standard is being imparted;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) when this scheme would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : No such decision was taken by the Central Government last year However, the position of free education upto high school or higher secondary stage, according to the information available in the Ministry, is as follows:—

Andhra Pradesh (for girls only)
Jammu and Kashmir.
Madhya Pradesh (for girls only).
Madras.
Mysore (upto X standard).
Orissa (for girls, children of primary school teachers and State Class IV employees and Scheduled Castes/Scheduled Tribes).
Punjab (for certain categories e.g. for girls and for children of backward and Harijan classes subject to prescribed income conditions).

Uttar Pradesh (only for girls upto X Class).
West Bengal (upto X Class for tribal and Scheduled Castes pupils with low literacy percentage).
Andaman & Nicobar Islands.
Dadra & Nagar Haveli.
Laccadive, Minicoy & Amindive Islands.
North East Frontier Agency.
Pondicherry (for girls only).

(c) and (d) : Do not arise.

State Symbol

1786. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Madras Government have removed the words "Satyamev Jayate" in Devanagari script from the State Symbol and have substituted them in regional language; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y.B. Chavan) : (a) and (b) : This has come to the notice of the Government of India. The matter is under consideration.

Free Education in Eastern Districts of U.P.

1787 Shri Ram Swarup :
Shri Vansh Narain Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have made any arrangements for providing free education to the students studying in the primary schools and colleges of the scarcity-hit eastern districts of Uttar Pradesh; and

(b) if so, since when and the names of the districts ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : According to the information received from the States, primary education is already free throughout the State. Information about colleges is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

नेफा की तलहटी में प्राचीन नगर

1788. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में नेफा की तलहटी में एक प्राचीन नगर के खण्डहर पाये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो यह प्राचीन नगर किस काल का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस संबंध में सरकार को कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है। ऐसा मालूम हुआ है कि इस स्थल पर नेफा प्रशासन के ऐतिहासिक अनुसंधान अधिकारी कार्य कर रहे थे। आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

नेहरू संग्रहालय से वस्तुओं की चोरी

1790. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मधु लिमये :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस अफवाह में कोई सच्चाई है कि स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के बहुत से सरकारी तथा निजी कागज़ नई दिल्ली में तीन मूर्ति स्थित स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के निवास स्थान की अलमारी से गायब हो गये हैं।

(ख) यदि हां, तो इन कागजों के गायब होने के बारे में कब पता चला था, और

(ग) क्या खोये हुए कागजों को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) प्रधान मन्त्री नेहरू के कागजों के लापता होने की न तो कोई सूचना प्राप्त हुई है और न कोई घटना हमारे ध्यान में आई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई का टेलीफोन एक्सचेंज

1791. श्री जार्ज फरनेन्डीज
श्री० एस० एम जोशी :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बृहत्तर बम्बई में कितनी टेलीफोन एक्सचेंज हैं तथा वहां पर कुल कितनी टेलीफोन लाइनें लगी हुई हैं ;

(ख) बृहत्तर बम्बई में अभी तक कितने आवेदनकर्ताओं के नाम टेलीफोन लगवाने वालों की प्रतीक्षा सूची में हैं तथा विभिन्न एक्सचेंजों में ये आवेदनपत्र कितने-कितने समय से अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) बम्बई की टेलीफोनों की पूर्ण मांग कब तक पूरी हो जायेगी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) सभापटल पर एक विवरण पत्र रखा जाता है जिसमें बृहत्तर बम्बई के टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या, लगाई गई कुल लाइनें, प्रतीक्षा-सूची में आवेदकों की संख्या तथा वे कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसका ब्यौरा दिया गया है। **(पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 559/67)**

(ग) कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है। फिर भी, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देने के लिए नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने, मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने और जमीन के नीचे केबल बिछाने के प्रयत्न लगातार किये जा रहे हैं, बशर्ते कि उनके लिए साधन उपलब्ध हों।

ड्यूलबेरा कोयला खान म हड़ताल

1792. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में ढेनकनाल जिले में ड्यूलबेरा कायला खान, तालमेर के कर्मचारियों ने 4 मई, 1967 से हड़ताल कर रखी है;

(ख) क्या ड्यूलबेरा कोयला खान के मजदूर संघ के प्रधान ने समझौते के लिये अपील की है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। परन्तु कोयला खान के रेत भरने वाले जो कामगार उसी मैनेजमेंट के अधीन अस्थायी रूप से तालचर कोयला खान में स्थानांतरित किये गये थे, वे ड्यूलबेरा कोयलाखान में ही अपनी मर्जी से काम करते रहे और उस काम के लिए उन्होंने मंजूरी की मांग की।

(ख) जी हां, ऐसी यूनियन के एक समूह ने जो मान्यता-प्राप्त नहीं थी।

(ग) समझौते की कोई कार्रवाई नहीं की गई लेकिन पूछताछ की गई। प्रबंधकों और मान्यता-प्राप्त यूनियन के एक समूह के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हो गया जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश कामगार पुनः काम पर आ गये हैं।

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)
MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

Shri S. N. Joshi (Poona) : It was stated here yesterday that five persons have been killed in Gaze whereas it has appeared in the papers that eight persons have been killed there.

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

Shri S. N. Joshi : Please allow me to speak, There are other Indian Citizens.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कहेंगे उसको सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

Shri S. N. Joshi : *

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचनाएँ बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही हैं। यदि किसी सदस्य की सूचना को स्वीकार नहीं किया जाता तो वह इस प्रकार बोलना आरम्भ कर देते हैं। यदि माननीय सदस्य इस बारे में नियमों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री न. थपाई (राजापुर) : हमारी सूचना के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : विचाराधीन है।

*कार्यवाही को वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
*Not recorded.

हिन्दुस्तान टाइम्स के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE HINDUSTAN TIMES

Shri Madhu Limaye (Monghyr) The article appeared in the daily Hindustan Times under the heading 'Shades of the Star Chamber' on Sunday is highly objectionable. In this article absurd attacks have been made on the Members of Parliament. First of all the heading of the article is objectionable because 'Star Chamber' was a 17th century cout in England which was considered as an instrument of oppression. It is, there. highly improper to accuse the Parliament and its proceeding as an instrument of repression. It has been further stated that charges levelled against the Birlas in Parliament are absurd. But it has appeared in to-days 'Statesman' that five high officials of the Hindustan Motors have been summoned to the Court on charges of forgery and using forged documents as genuine.

Considering as our duty we may speeches, give arguments and instances and urge the Government to take action against such activities. But our speeches have been described in the article a mild charges. Still the worse things have been said in the article which goes on to say 'how far can we go in allowing Parliament to behave like some kind of a Star-Chamber'. I do not know how tho Editor could daro to write like that Article. Further states that such criticism undumines democracy itself. It has become further alleged in that article that those who criticise Birlas are subverting the democratic set up of the country. I, therefore, move :

> "That this question of breach of privil ge against the columnist, Editor, Publisher, Printer and Proprietor of the Hindustan Times be referred to the Committee of Privileges".

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : लेख में उचित टिप्पणी ही की गई है। यह लेख विशेषाधिकार भंग के अन्तर्गत नहीं आता। दूसरे यह प्रस्ताव केवल लेखक तथा सम्पादक तक ही सीमित होना चाहिए।

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री मधुलिमिये द्वारा दिये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। उक्त लेख में और भी बहुत आपत्तिजनक बातें हैं। एक वाक्य में कहा गया है कि लोगों का लोकतन्त्रीय संगठनों में विश्वास समाप्त होता जा रहा है। उसी दिन के समाचार पत्र में बनाया गया कारटून भी बहुत आपत्तिजनक है।

श्री शशि रंजन (पपदी) : लेखक द्वारा लेख में सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्था पर आक्षेप किया गया है। एक वाक्य में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति में शताब्दी पहले का निन्दा कानून एक दम पुराना है और कि यह विनाशकारी तथा चोर बाजार करने वालों के हाथों में एक साधन बन कर रह गया है।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : इस मामले से सम्बन्धित सभी मामलों पर हमें सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि संसद सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए असीमित अधिकार होना चाहिए। फिर भी इस अधिकार को अपवाद रूप में लेना होगा। स्वतन्त्रता इस बात के लिए कोई लाइसेंस नहीं हैं। कुछ प्रतिबन्ध अवश्य होने चाहिए। प्रत्येक सदस्य को उचित तथ्यों के आधार पर ही टीका टिप्पणी करनी चाहिए। यदि कोई पत्रकार यह दृष्टिकोण अपनाता है कि असीमित तथा निराधार टीका टिप्पणी की गई है तो हम उससे पृथक दृष्टिकोण अपना सकते हैं तथा उससे सहमत नहीं भी

हो सकते । परन्तु यदि हमें उस टीका टिप्पणी पर आपत्ति उठाते हैं तो इसका अर्थ प्रेस की स्वतन्त्रता को कम करना है ।

प्रेस संसद की दोनों सभाओं के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है । हमें प्रेस को उतनी स्वतंत्रता देने के लिए तैयार रहना चाहिए जितनी कि हम दूसरों पर टीका टिप्पणी करने के लिए चाहते हैं । इसलिए मेरे विचार में यह एक उचित टिप्पणी है और पत्रकारों के अधिकार के अन्तर्गत है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "हिन्दुस्तान टाइम्स" के स्तम्भ लेखक, सम्पादक प्रकाशक मुद्रक तथा मालिक के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग के इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

श्रम :रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं श्री हाथी की ओर से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 40 की उपधारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एम. ओ. 1776 की एक प्रति जो दिनांक 20 मई 1967 के भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में 'किसी तेल-क्षेत्र में सेवा' शब्द जोड़े गये । सभापटल पर रखता हूँ । **(पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 542/67)**

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर, के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ । **(पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल०टी० 543/67)**

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE-CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि सभापटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी अन्य मदों को लिया जाय मैं कहना चाहता हूँ कि श्री नाथपाई को ध्यान दिलाने वाली सूचना 10·30 के पश्चात् प्राप्त हुई है । इस कारण उस पर विचार नहीं किया जा सका उस पर अब पृथक से निर्णय किया जायेगा ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैंने जिस समय सूचना दी थी उस समय ठीक 10·30 हुए थे । परन्तु फिर भी मेरा निवेदन है सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाये गये संकल्प के बारे में वैदेशिक कार्य मंत्री एक व्यापक वक्तव्य दें ।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जैसा समाचार पत्रों में छपा है तीन और भारतीय सिपाही गाजा में मारे गये हैं। क्या आप मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : संसद कार्य मंत्री सभा की भावनाओं को वैदेशिक कार्य मंत्री तक पहुंचा दें।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : The Prime Minister stated yesterday that they wanted to bring the Indian soldiers back from Gaze but the responsibility was taken over by the U. N. O. to do the same. To day U. N. I. report indicates that the Defence Ministry was willing to bring them back by air but some official of the said ministry raised certain objection on the plea that it would involve huge expenditure. I would request the hon, Minister to clear this point also in his statement.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात ठीक नहीं है। सही स्थिति यह है कि जवानों के स्वदेश लौटाने, उसके लिये तिथि निश्चित करने और उन्हें लौटाने की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। यह ठीक है कि एक बार यह सुझाव दिया गया था कि उन्हें विमान द्वारा लौटाया जाये। परन्तु यह गलत बात है कि भारत सरकार के प्रतिरक्षा या वित्त मंत्रालय के किसी अधिकारी ने उसे रद्द कर दिया था। यह महा सचिव का उत्तरदायित्व था और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वदेश लौटाने का काम योजना–बद्ध तरीके से हो। उन्होंने भारतीय जवानों के लौटने की 19 जून की तिथि निश्चित की थी।

श्री नाथपाई (राजापुर) : कनाडा तथा अन्य देशों की सेना की टुकड़ियां पहले ही जा चुकी थीं।

श्री स्वर्ण सिंह : कनाडा की टुकड़ी इसलिये वापिस बुला ली गई थी क्योंकि संयुक्त अरब गणराज्य ने उसका विरोध किया था परन्तु अन्य कुछ देशों की टुकड़ियां अभी वहीं थीं। यह बात गलत है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय के किसी अधिकारी ने वित्तीय कारणों से जवानों के विमान द्वारा लौटाये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। हमारी सेना की टुकड़ी काफी लम्बे समय तक राष्ट्र संघ की सेवा करती रही है और इसलिये हम महासचिव के इस सुझाव को ठुकरा नहीं सके जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी वापिसी योजना-बद्ध ढंग से की जाय। उन्होंने जवानों के लौटने की तिथि भी निश्चित की और यह भी कहा कि वे समुद्री मार्ग से लौटाये जायें।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र (जारी)

PAPERS LAID ON THE TABLE (Contd.)

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकार तथा पुनर्वास संशोधन नियम

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निम्न लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :

(एक) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन नियम,

1967 की एक प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 1 67 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एम० आर० 435 में प्रकाशित हुए थे।

(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 544/67)

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1966–67 के संशोधित अनुमानों तथा वर्ष 1967–68 के बजट अनुमानों की एक प्रति। **(पुस्तकालय मे रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 545/67)**

(तीन) दिनांक 3 जून, 1967 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-2 (3)/67 की एक प्रति जिसके द्वारा कच्चा लोहा खनन उद्योग के विषय में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय प्रकाशित किये गये।

(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 546/67)

(चार) दिनांक 3 जून, 1967 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-2 (4)/67 की एक प्रति जिसके द्वारा चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खनन उद्योगों के विषय में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय प्रकाशित किये गये।

(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 547/67)

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियमों में संशोधन

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

1. अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 696 की एक प्रति जो दिनांक 13 मई, 1967 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 548/67)

2. भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 41 के अन्तर्गत भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 26 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 781 में प्रकाशित हुए थे।

(पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 549/67)

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

तीसरा प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTIONS TO COMMITTEES

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

(एक) **शिक्षा मंत्री डा० (श्री त्रिगुण सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है; "कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग के संकल्प संख्या एफ० 122–3/35 8 अगस्त, 1935, के पैरा 3(2) (डी), समय-समय पर संशोधित रूप में, अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

(दो) **शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर, के विनियमों के विनियम 3·1 तथा 3.1·1 के साथ पठित, उक्त संस्था की सम्पत्तियों तथा निधियों के प्रशासन तथा प्रबन्ध संबंधी योजना के खण्ड 9 (1) के उप-खण्ड (ई) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उस संस्था की परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सामान्य आयव्ययक 1967-68 सामान्य चर्चा (जारी)

GENERAL BUDGET 1967-68 GENERAL DISCUSSION (Contd.)

अध्यक्ष महोदय : अब सामान्य आयव्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। इस चर्चा के लिये 20 घण्टे का समय निश्चित किया गया था जिसमें से 4 घण्टे और 50 मिनट का समय इस चर्चा पर लगाया जा चुका है और अब 15 घण्टे और 10 मिनट शेष हैं। इस समय 12 बज कर 57 मिनट हैं। हम मध्याह्न भोजन के लिये सभा को स्थगित करते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy-Speaker *In the chair*)

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर): मैं अनाज के लिये राज्य सहायता की चर्चा कर रहा था। अनाज के लिये राज्य सहायता दिये जाने के फलस्वरूप चोर बाजारी और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सस्ते दामों की दुकानें लगभग 23 करोड़ जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करती ही हैं। दूसरे शब्दों में 118 करोड़ रुपये की बड़ी धन-राशि जो अनाज के उत्पादन के लिये दी जा रही है, वह केवल समाज के एक ही भाग को दी जा रही है। आप इस बात से सहमत होंगे कि समस्त राष्ट्र को लाभ भी समान रूप से होना चाहिये और कठिनाइयां भी समान रूप से झेलनी चाहिये। अधिकांश लोगों को थोड़े से लोगों को इस प्रकार भुगतान करने के लिये विवश करना सामाजिक न्याय नहीं है।

तीसरी बात यह है कि यदि हम अनाज के लिये दिये जाने वाली राज्य सहायता के प्रश्न को तर्कपूर्ण दृष्टि से देखें तो राज्यों की मांग अपने आप कम हो जायेगी, अनाज के आयात में भी कमी हो जायेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यदि वित्त मंत्री अनाज के लिये दी जाने वाली राज्य सहायता में कमी करते हैं या उसे समाप्त कर देते हैं तो हम बहुत से करों को समाप्त कर सकते हैं।

मूल्यों में कमी करने का काम एक चुनौती का काम है। अब तक इस काम में सभी सरकारें असफल रही हैं। यह काम कोई शक्तिशाली व्यक्तित्व ही कर सकता है। यदि वर्तमान वित्त मंत्री इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें तो भारत की जनता उन्हें सब से महान परोपकारी मानेगी। परन्तु यदि वह असफल रहे तो उनमें जनता का विश्वास समाप्त हो जायेगा।

मुझे प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्य करने का सुअवसर मिला है। श्री मसानी ने भी आयोग के काम को सराहा है। कांग्रेस दल की यह नीति है कि जिस दल में जो अच्छी बात हो उसे ग्रहण कर लिया जाये। हमारा मुख्य उद्देश्य देश की प्रगति है और देश की प्रगति प्रशासन पर निर्भर करती है। स्वतंत्र पार्टी ने आयोग की सिफारिशों का अनुमोदन किया है और मुझे विश्वास है कि अन्य दल भी आयोग के काम की सराहना करेंगे और आयोग के साथ सहयोग करेंगे।

गजेन्द्रगडकर आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका है और मुझे पता चला है कि कुछ महीनों के लिये 28 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा और यदि मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित सिफारिशों को स्थायी रूप से लागू किया गया तो यह खर्च बढ़ कर 40 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। वित्त मंत्री को राज्यों की सभी सरकारों के प्रति सहयोग की भावना दिखानी चाहिये। गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय वित्त मंत्री की एक बैठक होनी चाहिये और आपस में मिल कर मंहगाई भत्ते के सूत्र का निश्चय किया जाना चाहिये। हमें देखना है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच वेतन ढांचे, उपलब्धियों, उन्नति की सम्भावनाओं का अन्तर दूर नहीं हो तो सामाजिक न्याय की बात खोखली हो जायेगी।

सरकार को बार बार प्रशासनिक खर्च में कमी करने के लिये कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी खर्च में कमी तभी हो सकती है यदि फालतू कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया जाये। परन्तु यदि हम कोई ऐसी कार्यवाही करते हैं तो हमारे कई मित्र यह कहते हैं कि आप इन लोगों को नौकरी से नहीं निकाल सकते। सामाजिक न्याय और रोजगार की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में जनशक्ति का उचित वितरण हो। पढ़े लिखे सभी व्यक्ति कार्यालय में काम करना चाहते हैं। बहुत सी बेकारी तो इसी कारण है। यदि हम सरकारी कार्यालयों से कुछ व्यक्तियों की छटनी करके उन्हें कारखानों अथवा खेतों में काम करने के लिये कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। निश्चय ही उन्हें उन्हीं स्थानों और उन्हीं वेतनों पर नियुक्त करना सम्भव नहीं होगा। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में जन शक्ति को समुचित रूप से बांटा जाना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : We are very much disappointed over the budget presented in the House. It cannot take the country out of present crisis. When America and Russia can come together why opposition parties of India cannot do so. The main reason for the present crisis is that we depend too much on foreign aid with the result that our own people have lost their intiative and capacity to do hard work. The foreign influence has done much harm to our nation. In 1951 when U. S. A, was approached for supply of wheat, U. S. A. put several conditions America passed a resolution that they would have from India strategic materials like mangenese ore and monezite ore. Since then the country has been losing its prestige. When China had emerged a great power, America and Russia desired to have a country with them who could stand against China. Both Russia and America thought that India could be made such an instrument. America had his way in the material field and Russia in ideological field. Since then our country has been under perpetual poverty and foreign influence.

If we look at foreign aid being received by our country we find that there has been continuous increase in aid, but national income has been on the decrease. We should strive to reduce the amount of foreign aid we are receiving and increase our national income so as to make our country selfreliant.

Though the aim of our Plans has been to make the country self-reliant but in practice they have been proved to be self-deceptive. The content of foreign aid has been increased from 320 crores to 800 crores. If it had led to the formation of correspondingly more capital and greater agricultural and industrial production we would not grudge. But this could not happen and the burden on the nation has been increased. I have been told by several foreigners that we need tractors, steel plants etc., they do not talk of human relations. In fact we should stop all wasteful expenditure whether it was on privy purses or amenities provided to Ministers or on any other items. All unproductive and wasteful expenditure should be reduced to minimum facilities of the minister and millionaire should be curtailed. All the capacity of manufacturing motor cars should be converted for manufacturing tractors. All the children upto the age of five o ten years should be made to study in similar schools irrespective of the status of the families. Maximum limit for expenditure should be fixed. I would suggest that no body should be allowed to spend more than Rs. 1500/- per month. That will bring about a saving of 15.0 crores of rupees. In this way we will also be able to bring down the prices.

The main concern of the present Government is to keep itself in power some how or the other. It has created dishonesty, narrow mindedness and self-interest among the people. The people have lost faith in the present developing economy and every body is busy in enhancing its stand in the last which is going on for the last twenty years. Such a situa-

tion has been created. Everybody is exploiting the other for its own selfish ends. The people have lost all hopes of recovery in agricultural as well as in industrial fields. It constitutes a grave danger that the people have stopped thinking in broad terms of the country as a whole.

Plan expenditure has been cut down by Shri Morarji Desai by about one thousand crores of ruppes. I will suggest that this money should be spent for increasing the means of irrigation facilities.

It has been said that I have received one lakh rupees from Sahu Jain for submitting his petition in the Lok Sabha. In this connection I would simply say that I came to know of it only when it appeared in the Papers.

No limit on expenditure has been fixed in the Income tax rules and therefore the tendency to spend more is on the increase.

Like the agitation in Mizo and in Nagaland agitation in the Jyanti, Garo and Khasi Hills for independence is also getting momentum. A leader of the Garo Hills people Capt. Sangma had already sent his one hundred and fifty persons to Pakistan for training. All this is happening because of the weak policy of the Government and because they want to remain in power in Assam to somehow or the other. They believe in the policy of divide and rule.

The non-Congress Governments in States are doing something good. I would suggest to their ministers to do one good thing in a day. If they act on the phrase of 'one good turn every day' much can be done. They should clean up the administration.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Baih) : There are no two opinions that Dr. Lohia is a man of principle. But I would request him not to indulge in personal affairs.

We have to view the budget in the sense whether it deals with the problems confronting the country to-day. There is no doubt that devaluation had an adverse effect on our economy. But the problems have become more acute due to the drought. During the Second Five Year Plan we made a considerable progeress in the economic field. There was a general appreciation in the Parliament also at that time. But actually there ocurred the imbalance in the economy of our country. Sufficient attention was not paid to the other fields.

As a result of that we could not achieve proportionate progress in the fields of agriculture, irrigation power and such other important fields. The resulted imbalance has aggravated our problems. The other reasons for the present day economic disaster one economic indiscipline and the devaluation of the currency.

The great imbalance has developed in our imports and exports. After the First Five Year Plan our imports have increased considerably whereas our exports have not increased to that level. One reason for that is that cost of production in our country is much higher as compared to other countries. As a result one fail to compare with other countries in the world market. Even in the case of jute, coffee and tea we are meeting bond competition. After the devaluation our exports have decreased to the tune of 130 million tons.

We should use our resources to the full extent because again there is a great imbalance in the percentage of the land we occupy and the percentage of population we have in the World. The Finance Minister should give more attention towards the under-utilized

resources of our country. The utilization of resources is not more than 60–62 percent. The performance of the public sector undertakings is also not creditable. The return is only 10%. The hon. Finance Minister should also pay more attention to this side.

The Finance Minister should also try to reduce the expenditure in various Government departments. It can be done if sincere efforts are made.

The present procedure being followed in the Government departments should be revised because it causes delay and which ultimately creates some problems.

That there is a problem caused by the black money. According to one estimate it is three to four thousand crores of rupees but no body knows the actual figures of this black money. It has become a parallel currency to-day in the country. This should be unearthed and its circulation should be checked otherwise we will not be able to bring down the prices and to do away with the disparities prevailing in the economic field. The hon. Finance Minister should look into the desirability of adopting the solution which have been worked out in Belgium i. e. of investing the black money on the immovable properties. In this way we might also be able to solve the housing problem of the country.

So far as the collection of taxes etc. are concerned the concerned rules are faulty. The deduction should be made at the source of income. Contractors and truck owners all are evading income tax. At the time of issuing the tax token to truck owners. The Income tax clearance certificate should be taken from them. Relevant rules should be amended accordingly. Severe punishment should be given to the tax evaders. All India Radio should be used for making the tax payers familiar with the rules and relevant procedure.

So far as partnership firms are concerned the tax should be levied not as the income of the partners separately but on the income of the firm itself.

Double auditing system should be introduced in the public undertakings. In this way it will be easier for the Government to find the faults.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रापाड़) : इस समय देश एक भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति विनाश के बिल्कुल निकट है। किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो रही है। सभी क्षेत्रों में स्थिरता आ गई है। शायद यही कारण है कि श्री मसानी ने इस बजट को 'पूर्ववत्' (स्टेटस को) बजट कहा है। समाजवाद के नाम पर सरकार ने लोगों के दिमाग में भ्रम भर दिया है और देश को विनाश के समीप ला खड़ा किया है। श्री मोरारजी ने एक बार कहा था कि प्रशासन व्यय में दस प्रतिशत कटौती की गुंजायश है।

श्री गु० सिंह ढिल्लों पीठासीन हुए

Shri G. S. Dhillon *In the Chair*

बीस वर्ष की योजना के पश्चात् भी प्रतिव्यक्ति आय में बहुत मामूली वृद्धि हुई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात् केवल 17 प्रतिशत का ही परिवर्तन हुआ है। 1965-66 के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा कृषि उत्पादन में 17 प्रतिशत की कमी हुई है। साथ ही साथ जूट, चावल, तम्बाकू तथा तेल के बीजों के उत्पादन में भी कमी हुई है जिनके ऊपर बहुत हद तक विदेशी मुद्रा की कमाई निर्भर करती है। औद्योगिक उत्पादन में भी तेजी से कमी हो रही है।

चौथी पंचवर्षीय योजना का मसौदा अभी तक सभा में पेश नहीं किया गया है जबकि हम उसके द्वितीय वर्ष में से गुजर रहे हैं। बजट से ऐसा लगता है कि योजना में 2,000 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है यद्यपि उसको अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने योजना आयोग के बारे में अपनी सिफारिश की है। उनको कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर विशेषज्ञों का एक निकाय बनाया जा सकता है।

यदि सरकार की आर्थिक तस्वीर पर नजर डाली जाए तो केन्द्रीय सरकार को वास्तव में बने नहीं रहना चाहिये। सरकार को स्वतन्त्र पार्टी की पेशकश को स्वीकार कर एक स्थायी सरकार की नींव डालनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था के विकास तथा प्रशासन को चलाने के लिए पूंजीपतियों तथा विदेशी सहायता पर निर्भर हैं। ऐसी दशा में राजनीतिक शक्तियों में अवश्य ही कुछ फेरबदल होगा।

एशिया में हमारी विकास दर सब से कम है। जापान तथा न्यूजीलैण्ड की प्रतिव्यक्ति आय को प्राप्त करने के लिए हमें क्रमशः 137 तथा 201 वर्ष लग जायेंगे। इसलिए हमें अपनी वर्तमान नीतियों में आमूल परिवर्तन करने चाहिए। वर्तमान गति से प्रगति करना सम्भव नहीं है। कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पास किया है कि बैंकों तथा बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। परन्तु बजट से ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता कि सरकार इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने वाली है।

वित्त मंत्री ने घाटे को पूरा करने तथा संतुलित बजट पेश करने के लिए अधिक कर लगाने का सुझाव दिया है। उन्होंने व्यय को कम करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है इसलिए इस बजट को मैं संतुलित बजट नहीं कह सकता। इस बजट में केवल इतना ही किया गया है कि बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए अधिक करों का सुझाव दे दिया गया है।

यद्यपि वित्त मंत्री ने मूल्यों के बढ जाने पर चिन्ता व्यक्त की है तथा उनको कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने मूल्यों में केवल स्थिरता लाने का ही वचन दिया है परन्तु आवश्यकता मूल्यों को कम करने की है। इसके कुछ उपाय नहीं सुझाये गये हैं। काफी, जूतों तथा चाय पर लगाये गये उत्पादन शुल्कों से मूल्यों में वृद्धि हो जाने की शंका है। संसार में मूल्यों में सबसे अधिक वृद्धि हमारे देश में ही हुई है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मूल्यों का समाकलन करने तथा आयकर नीति के बारे में सरकार को एक उच्चस्तरीय आयोग नियुक्त करना चाहिए।

यदि आप मूल्यों और आय की समन्वित नीति स्वीकार करें तो हमें विभिन्न वस्तुओं पर कठोर नियन्त्रण लगाने होंगे। जब वस्तुएं कम होंगी और आवश्यकताएं अधिक होंगी तो नियन्त्रण को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में नियन्त्रण हटाने से जमाखोरों और मुनाफाखोरों को ही लाभ होगा। इन परिस्थितियों में सर्व प्रथम मूल्य वृद्धि को रोका जाना चाहिए। दूसरे अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य यथासम्भव कम किये जाने चाहिये। तीसरे यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक हो तो वह वृद्धि कम से कम की जानी चाहिये। यदि हम इन बातों को स्वीकार करें तो हम मूल्यों की स्थिरता पर अपनी अर्थ-व्यवस्था को निर्भर कर सकते हैं। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि समाज के कुछ वर्गों की आय में भी स्थिरता आ जाये। हमें उच्चतम आय की सीमा

निर्धारित कर देनी चाहिये तभी हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना धन होना चाहिये, इससे अधिक नहीं। आय में वृद्धि से उत्पादकता में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। जो वस्तुएं फालतू होंगी वे कम आय वालों में बांटी जायेंगी ताकि उनका जीवन स्तर उन्नत हो सके।

आज कृषि के विषय में कितनी बातें कही जाती हैं। समस्त देश का विकास कृषि पर निर्भर करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को छोड़कर द्वितीय तथा तृतीय योजना के दौरान कृषि की नितान्त उपेक्षा की गई है। अब हम उसके परिणाम भोग रहे हैं। जब भी कभी कृषि उपज की बात होती है तो खाद्य मंत्री कह देते हैं "कृषि की उपज का उत्तरदायित्व राज्यों पर है, वे खाद्य-नीति को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं करते। मेरा काम खाद्यान्न की पूर्ति करना है"।

अब हम विदेश से अनाज मंगवाना बन्द करने के बारे में सोच रहे हैं। परन्तु इसमें पता नहीं कितना समय लगेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया था कि 1971 के अन्त तक विदेशों से अनाज मंगवाना बन्द कर दिया जायेगा। विदेशों पर अनाज की निर्भरता समाप्त करने के लिये क्या कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है? वे अपनी असफलताओं को सूखे, अकाल, तूफान, तथा बाढ़ का नाम लेकर छिपाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं तो हर जगह होती रहती हैं। पाकिस्तान को भी इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा था परन्तु उन्होंने अगले वर्ष से अपनी प्राथमिकताओं को बदल दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि आज वे आयात पर इतना निर्भर नहीं करते जितना हमें करना पड़ता है। यहाँ तक कि जिन वस्तुओं से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उदाहरणार्थ पटसन, तिलहन, तम्बाकू तथा चाय उनके उत्पादन में भी भारी कमी हो गई है। राष्ट्रीय आय का पचास प्रतिशत भाग तो कृषि पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में क्या आशा की जा सकती है? भूमि-सुधारों को तो लागू किया नहीं गया और न ही सहकारिता की योजना को क्रियान्वित किया गया है। जब तक सरकार किसानों को पानी, बीज, उर्वरक आदि की सुविधाएं प्रदान नहीं करती तब तक कृषि की उपज में वृद्धि नहीं हो सकती। यह कहना उचित नहीं कि हमारे किसान रूढ़िवादी हैं।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): हमारे किसान रूढ़िवादी नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): यह ठीक है। परन्तु उनको आवश्यक वस्तुएं तो मिलनी चाहिये। किसानों को पानी, उर्वरक आदि देने की कोई योजना नहीं बनाई गई। कृषि की उपज बढ़ाने के लिये क्रान्तिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है। परन्तु इस आयव्ययक में इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उल्लेख नहीं।

जहां तक कर लगाने का प्रश्न है, सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कर किस पर लगाया जाय। यह सभी अर्थशास्त्री मानते हैं कि अप्रत्यक्ष कर लगाने से साधारण व्यक्ति पर बोझ पड़ता है। यहां पर कर लगाने का ढंग ऐसा है कि उसका सीधा प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है। मेरा तात्पर्य यह है कि सरकार को कर इस ढंग से लगाने चाहिये कि उनको कर वसूल भी हो जाएं और साथ ही निर्धन व्यक्तियों पर उनका अधिक बोझ न पड़े। वर्तमान कर पद्धति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। करों का बोझ निर्धन समुदाय पर नहीं पड़ना चाहिये। कर लगाने के लिये अन्य साधनों का सहारा लिया जा सकता है, जैसे शहरी जायदाद पर कर लगाया जा सकता है और उससे पर्याप्त धन-राशि वसूल हो सकती है। ये बड़े बड़े भवन भी उद्योगपतियों के हैं, इन पर कर क्यों न लगाया जाये। बागान पर कर क्यों न लगाया जाये।

होटल रेस्तरां, तथा रात्रि क्लबों पर लाइसेंस फीस लगाई जानी चाहिये। रेफ्रीजेरेटरों और कूलरों पर कर लगाये जाने चाहिये, उन्हें राजाओं की आय और व्यक्तिगत आस्तियों पर कर लगाना चाहिये। राजाओं की निजी थैलियां समाप्त कर देनी चाहिये।

अर्थ-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि हम अपने आर्थिक विकास के ढांचे को परिवर्तित करें। समाज में आय और धन की विषमता को हमें दूर करना चाहिये। पूंजी के एकाधिकार को समाप्त कर देना चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त कर दे। महालेनोबिस समिति की सिफारिशों तथा एकाधिकार जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिये।

Shri Ram Kishan (Hoshiarpur) : I should thank Mr. Morarji Desai who has presented a balanced budget at such a critical time through which our country is passing. Efforts have been made to make this budget industrial as well as agricultural oriented. I do not agree with Shri Dwiedy that agriculture had been neglected. Though there has been increase in the agricultural production yet we have to step up our production because we are facing serious food shortage. In case we do not became self reliant in the matter of food. sovereignity and integrity of our country will be jeopardised. We will always depend on foreign countries.

I am happy to note that Shri Morarji Desai has made a provision of Rs. 225 crores in order to provide fertilizers etc. I can definitely say that with the funds and resources available to the Government the country can become self sufficient in agriculture. The production of fertilizers has not been according to schedule. If we have to make our country self-sufficient by 1970-71, we need 24 lakh tons of nitnagen fertilizers. In this connection I may state that with all the resources at our disposal we cannot produce more than 17-18 lakh tons of fertilizers. We should, therefore, try to find out resources to make up the deficiency of 6 lakh tons. So far the question of supply of water is concerned I may state that we had not yet been able to provide sufficient water for the cultivators. It has been found that water capacity has not been fully utilised. The Government should, therefore, see that the water potential did not go unutilised.

We should feel pleasure that with new experiments in the field of agriculture we will be in a position to grow much more food.

The Director of Agriculture University, Punjab has claimed that he can produce 10,000 lbs. of wheat in one acre of land. He has also claimed that he can manage to produce 10 lakh tons of additional wheat provided he is supplied with sufficient water and fertilizers. He has also said that he can arrange to meet all the requirements of improved seed for the entire belt of Northern India for the year 1971 from Agriculture University. We should see that talents of all the Agricultural Universities are fully utilised. We can certainly solve the food problem provided the requirements of cultivators are fulfilled.

It is said that our imports go on increasing and exports are on the low side. We should make every effort to increase our exports. It can be done only when our Government give incentive to the producers. In foreign countries various types of incentives are given to the producers viz. fiscal incentives, special export incentives and other forms of export assistance. If we want to increase our income, we have to review the entire position.

Sometime before a United Nations Team on Export Production visited this country. We should keep the recommendations of this team in mind while considering the ways and means for increasing our exports.

I am sorry to mention that progress of public undertakings is not upto the mark. The time has come when a higher power commission headed by Deputy Prime Minister himself should be constituted who should go into the working of these undertakings and suggest ways and means to increase efficiency.

It was revealed by the Deputy Prime Minister that there is an arrear of income-tax of Rs. 552 crores as on 31st March, 1967. We should take steps to realise this amount which will help us in coming over our financial crisis. We should also reduce our expenditure to the minimum.

Under the present zonal system there is unequal distribution of food in various States. Besides prices of foodgrains also differ from place to place. I, therefore, suggest that a national commission should be constituted who should recommend ways and means to equalise distribution of foodgrains throughout the country and to bring unfortunately in the prices of foodgrains.

I would request the leaders of all the opposition parties to postpone the tactics of 'Gheraos' and 'strikes' which may ruin our country. We should encourage the cultivators to produce more. We should create a suitable atmosphere in which investments could take place.

श्री अमियनाथ बसु (आरामबाग) : हमें अपने अनुभव से लाभ उठाना चाहिये। श्री मुरारजी देसाई ने आम चुनावों के समय एक भेंट में कहा था कि रुपये के अवमूल्यन के कारण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है और निर्यात में भी वृद्धि नहीं हुई है। अब मन्त्रालय को इस का कारण बताना चाहिये था इसके लिये सरकार जिम्मेदार है। माननीय मन्त्री को स्वयं मालूम होना चाहिये था कि जनसाधारण के प्रयोग की वस्तुओं पर कर लगाने से मूल्यों में और भी वृद्धि होगी और इससे निर्यात व्यापार को भी किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इन करों से आम लोगों को कठिनाइयां और बढ़ जायेंगी।

यह सर्वमान्य है कि जब मूल्य बढ़ते हैं तो मजूरी उसी अनुपात से नहीं बढ़ती है। इस प्रकार करों की वृद्धि से पूंजीपतियों के मुनाफे में वृद्धि हो जाती है। आज देश के सामने दो मुख्य समस्याएं हैं। एक तो है खाद्य समस्या तथा दूसरी है देश की सुरक्षा की समस्या। आज चीन हमारी सुरक्षा के लिये खतरा बना हुआ है। उसने हमारी उत्तरी सीमा पर बड़ी संख्या में हवाई अड्डे बना लिये हैं। अब उसने परमाणु हथियार भी बना लिये हैं। पाकिस्तान का रवैया भी शत्रुता पूर्ण है। इन सुरक्षा समस्याओं के बारे में बजट में समुचित प्रबन्ध होना चाहिये।

खाद्य समस्या के समाधान के लिये हमें चार सिद्धांतों को सामने रखकर चलना चाहिये। ये सिद्धान्त ब्रिटेन युद्ध के समय अपनाये थे। प्रथम यह है कि हमें सभी मन्त्रालयों का निर्माण कार्य बन्द कर देना चाहिये। इससे काफी धन बचाया जा सकता है। दूसरे खर्चे की सभी मदों में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी जाये। इससे बहुत बचत होगी। मन्त्री महोदय को प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर देना चाहिये। यह अधिक आय वालों पर लागू होना चाहिये। सरकार को देश की

सुरक्षा के खतरे को ध्यान में रखते हुए परमाणु बम बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये। हमारे देश में वैज्ञानिकों तथा अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठ सीन हुए

(Mr Deputy Speaker *in the Chair*)

विश्व के देशों की वर्तमान स्थिति को देखते हमें परमाणु हथियार बनाने चाहिये। हमें भी अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है; नहीं तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। सरकार को इस बारे में हिचकिचाना नहीं चाहिये और अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी बजट में हम परमाणु हथियारों के बनाने सम्बन्धी व्यय का प्रबन्ध कर सकते हैं। मैंने वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अनुमानों का अध्ययन किया है। मैंने यह पाया है कि हम बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के लिए धन का भुगतान करते हैं परन्तु उनसे हमें कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार व्यय किये जाने वाले धन को राष्ट्र निर्माण के अन्य कार्यों में प्रयोग में लाया जा सकता है।

मुझे खां अब्दुल गफ्फार खां से 21 मई, 1967 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें उन्होंने पख्तूनिस्तान के लिये पख्तूनों की भारत से सहायता की मांग की है। खान अब्दुल गफ्फार खां भारत के स्वतन्त्रता की लड़ाई में प्रमुख नेताओं में से एक हैं। उन्होंने भारत से सहायता की मांग की है। हमारी सरकार को चाहिये कि उनकी सहायता करे। महात्मा गांधी ने पठानों को सहायता का वचन दिया था। वह अब पूरा किया जाना चाहिये।

मेरे विचार में यह बजट समाजवाद के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। इससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। सरकार की घोषित नीतियों की पूर्ति के लिये इसमें कोई उपाय नहीं किये गये हैं। योजना मन्त्री ने समाजवादी होते हुए समाजवाद के लिये कुछ नहीं किया है। इस बजट से जनसाधारण को किसी प्रकार भी आशा नहीं बंधती और न ही यह सशस्त्र सेनाओं के देश की रक्षा कार्य में प्रोत्साहित करता है।

Shri Randhir Singh : (Rohtak) : I give my whole hearted support to this Budget. It has been prepared by an able leader of Congress Party. Keeping in view the difficult situation through which are passing, this Budget is the best possible. It is an easy job to critise others.

I am all praise for the hon. Finance Minister for this Budget in which Rs. 600 crores have been provided for the farmers. This has been done for this first time.

I hope that this sum would increase in coming years. Government should provide more help to the village people who constitute about 80 per cent of the total population of our country. If we want to take forward our country more attention would have to be paid to the villages. Our villages are in a very bad state of affairs. We have to construct roads in villages. Electricity will have to be provided there. Adequate arrangements will have to be made for education. Arrangements should be made for imparting technical education to the people of rural areas. Central Government should provide necessary funds for this,

We have made considerable progress during the last 20 years. The backward classes of our country have made much progress. This is due to the role of Congress Party in the country.

You go throught the history of British rule in India. You will find that famines were very frequent in this country. 31 famines took place in our country from 1801 to 1901. About four crore persons died of this during this period. During the last 20 years not a single person died of starvation. The credit for this goes to the Congress Party. This Party has many talented persons as its members.

Government has given concession in export and import duties. It would have been better if these concession would have been given to villagers in the form of exemption from land revenue etc.

Government should enact a model act for this. It would go a long way in helping the poor people of villages. Steps should be taken to give more facilities to the farmers. They should be convinced that is they who are the backbone of the country. It is he who can save the country from catestrophe. Crop insurance schemes should be introduced.

There should be an Agriculture Finance Corporation on the lines Industrial Finance Corporation. The farmer should be given easy credit facilities. If we provide for the facilities to the farmer, our food production will go up. Irrigation should be given the first priority. I urge that Government should pay proper attention to the needs of farmers.

The farmers should be assured and given remunerative price for their produce. The State Trading Corporation should purchase their foodgrains etc. A plan for making irrigation facilities available for the entire country should be drawn up.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य बजट*

NATIONAL FOOD BUDGET

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir hon. Minister of Food and Agriculture was requested to place on the table a copy of the draft food budget which was placed at the Chief Minister Conference. It is not a secret item. No security risk is involved in this I think he is not prepared to place it on the table because there are many irregularities and discrepancies in that draft. I am trying to obtain one copy. If I get it, I will place it on the table. I understand that they have prescribed per capita quantity of yearly consumption of people of different states. Bihar State is the most backward state of our country. Even after the execution of three five year plans we have not determined the per capital income of different states of our country. I am told that Planning Ministry is studying this. I charge this Government of neglecting its primary duty towards the public.

We are being given figures about the All India average but statewise figures are not supplied. I want that statistics regarding the per capita availability cum consumption of food of people in Bihar and Uttar-Pradesh and other backward areas have not been supplied to us. I think Government has not got statistics about this. The Council of Applied Economics, which is headed by Dr. Lokanathan has published these statistics. It shows that condition in bakward states is going from bad to worse. The disparity in the per capita income of these states and other states is increasing.

There are certain Districts of Maharashtra and West Bengal where average income is very low. About 2 years back Report of Agricultural Prices Commission was received

---

*आधे घंटे की चर्चा
Half an hour discussion

but no action has been taken by Government on it. After that many Reports on various items have been received but these Reports have not been published. It is because the Commission has bitterly criticized the Government policy. The National Food Budget is not being finalised because Government has not got a clear cut policy of its own. There is great difference in prices of foodgrains in different states of our country. The price of wheat in Punjab is Rs. 77 quintal and in Delhi it is not that price. This chaotic state of affairs is due to wrong policy of Government. I request the hon. Minister to consider this problem seriously.

Government should determine per capita consumption of food in our country. People living in backward areas of Bihar, U. P. and M. P. are dying of hunger. Government should prepare a national food budget.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : पश्चिमी ऐशिया की लड़ाई के कारण सरकार को राष्ट्रीय खाद्य बजट में संशोधन करना पडेगा। अब सरकार विभिन्न राज्यों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यक्रम बना रही है ?

श्री नायनार (पालघाट) : लगभग दस वर्ष पूर्व खाद्यान्न जांच समिति ने सिफारिश की थी थोक के व्यापार पर सामाजिक नियन्त्रण होने पर ही खाद्यान्नों के मूल्यों मे स्थिरता लायी जा सकती है। इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। नवम्बर, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निर्णय किया था कि खाद्यान्नों का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले ले। क्या सरकार अब इस कार्य को करेगी ?

Shri Rabi Ray (Puri) : I want to know whether Government will assure that the prices will not be allowed to go up in between two crops.

श्री सकवीरा (गोआ, दमण तथा दीप) : मंत्री महोदय ने कहा था कि मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के बाद खाद्य बजट तैयार किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक हो जायेगा ? इस बारे में एक उत्तर में उन्होंने कहा था कि जानकारी एकत्र की जा रही है। इस सम्बन्ध में क्या प्रगति है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : श्रीमान मैं इस चर्चा को बहुत लाभदायक मानता हूं। श्री लिमये एक बहुत महान संसदविज्ञ है। हम सब उनका बहुत आदर करते हैं। यह चर्चा प्रश्न संख्या 20 से सम्बन्ध रखती है।

Shri Madhu Limaye : Sir, the hon. Minister had stated that a tentative proposal was being circulated. I want to know what has happened to that ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हां एक खाद्य बजट पर मुख्य मन्त्रियों ने विचार करना था और कुछ पत्र आदि भी परिचालित किये गये थे। सम्मेलन में खाद्य तथा कृषि मन्त्री ने बताया था कि पूरी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसे राज्यवार खाद्यान्नों की खपत के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा आदि की भी ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। खपत के ढंग भी भिन्न-भिन्न हैं। अनाज की प्रति-व्यक्ति खपत देश के राज्यों में एक समान नहीं है। फिर कहीं अनाज के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं भी खायी जाती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय खाद्य मन्त्री ने सुझाव दिया कि पहले के अस्थाई सुझावों पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती जिस बारे में मुख्य

मन्त्रियों को सूचित किया गया था शायद कुछ मुख्य मन्त्रियों ने भी इस बजट के बारे में कठिनाई व्यक्त की थी। अतः खाद्य बजट को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य ने इस चर्चा को आवश्यक क्यों समझा है ?

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में खपत के ढंग भिन्न-भिन्न हैं। इस बारे में बहुत अध्ययन किया गया है। यही बात हमारे देश पर लागू होती है। यहां एक राज्य से दूसरे राज्य में तो अन्तर है परन्तु कई राज्यों में तो जिलों में भी प्रति व्यक्ति खपत में काफी अन्तर है। महाराष्ट्र के बारे में मुझे मालूम है। वहां भी यही स्थिति है।

सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि इस अन्तर को समाप्त किया जाये। बहुत से माननीय सदस्यों ने अनाज पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्धों का उल्लेख किया है। इस बारे में खाद्य नीति समिति ने कहा है कि देश की वर्तमान खाद्य स्थिति को देखते हुए ऐसे प्रतिबन्ध लगाना देश के हित में है। यह समिति अर्थशास्त्रियों की समिति थी और इसमें राजनीतिज्ञ नहीं थे। इस समिति के प्रतिवेदन को मुख्य मन्त्रियों के समक्ष भी रखा गया था। हमारा देश राज्यों का एक संघ है। अतः हमें मुख्य मन्त्रियों को साथ मिलाकर चलना है।

अप्रैल में हुए सम्मेलन में इस पर विचार किया गया था। लगभग सभी राज्यों ने मांग की थी कि अन्तर्राज्य व्यापार पर प्रतिबन्ध रहना चाहिये। हमें कठिन स्थिति से राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिये। हम सबको इसका प्रयत्न करना चाहिये कि देश का खाद्य उत्पादन बढ़े।

Shri Madhu Limaye : The report of the Agricultural Prices Commission should be placed on the table of the House.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस पर विचार किया जायेगा। हम चाहते है कि राज्य सरकारें अधिक मात्रा में अनाज वसूल करें। इस बारे में केन्द्रीय सरकार सब प्रकार का सहयोग देने को तैयार है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 8 जून, 1967/ज्येष्ठ 18, 1889 (शाक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, June 8, 1967/ Jyaishtha 18, 1889 (Saka)